खण्ड-265, अंक-4
मंगलवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1888
(22 मार्च, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेधनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गौरादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभान गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
जंग बहादुरसिंह, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बास, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करहरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री

बख्तसिंह, श्री
बलदेवसिंह सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजा अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेरीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मारोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलंधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिक्षा विद्या, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेहरलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहरसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराज, श्री
रघुवंशसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रशेखर, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री

रामबोलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'मंजल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामाधार राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मणराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूपुक, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सिराजुलहसन, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला राहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री

हिम्मतसिंह, श्री	हेमराज, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री	होतीलाल अग्रवाल, श्री
हुलरामसिंह, श्री	होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह जी भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधीश शाहजहांपुर द्वारा असलहा लाइसेन्स रद्द करना

**१—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर में जो लाइसेंसदार अपना असलाहा बेचता है या ट्रान्सफर करता है उसकी लाइसेन्स तुरन्त खारिज कर दी जाती है जिससे जनता में और लाइसेंसदारों में घोर चिन्ता व असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सुरक्षा तथा जनहित में तुरन्त कार्यवाही करेंगे और शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी करेंगे?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

जी हां, प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि जिला मैजिस्ट्रेट शाहजहांपुर ने ऐसे कुछ लाइसेंस खारिज किए हैं। यदि कोई लाइसेंसदार अपना असलाहा बेच देता है अथवा ट्रान्सफर कर देता है तो लाइसेंस फार्म ३ की शर्त १३—बी (१) के अनुसार उसका लाइसेंस स्वयं रद्द (void) हो जाता है। ऐसे रद्द (void) लाइसेंस के खारिज करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह शर्त नये आर्म्स रूल्स १९६२ के अन्तर्गत भारत सरकार ने लगाई है और इसमें राज्य सरकार द्वारा कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है।

**२—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि सिर्फ शाहजहांपुर जिले को शासन से कोई जी० ओ० गया है उसके अन्तर्गत ऐसा हो रहा है? यदि हां, तो जनहित में तुरन्त जी० ओ० को रद्द किया जायेगा?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

आपका जो संशोधित आर्म्स ऐक्ट है उसे लागू हुए चार वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि असलहा बेचने वाले का लाइसेंस कैंसिल हो गया हो, तो अब क्यों किया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

पहले ऐसी गलती हुआ करती थी। अब यहां से क्लैरीफिकेशन भेजा गया है कि वह वायड है, उसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

इस बात को देखते हुए कि देश में सुरक्षा की आवश्यकता है और सेन्ट्रल तथा प्रदेश की सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दिये जायं, क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सरकार रेकर करेगी ताकि यह दिक्कत दूर हो?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि गलती हो रही थी किन्तु इसको हम ठीक नहीं कर सकते।

श्री टण्डेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अगर एक आदमी ने असलहा ट्रान्सफर किया और दूसरे को वह लेता है जिसके नाम से लाइसेंस स्टैन्ड करता है तो उसे असलहा बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये और उसके नाम का लाइसेन्स कैंसिल नहीं होना चाहिये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर वह ट्रान्सफर भी हो गया तो पहले का लाइसेंस कैंसिल हो जायगा, इनएफेक्टिव हो जायगा। और अगर वह उसके बाद फिर लाइसेंस चाहते हैं तो उनको अजसरैनी सब कार्यवाही करनी पड़ेगी जो नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिये करनी पड़ती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने बतलाया कि असलहा बेचने के बाद उसका लाइसेन्स समाप्त हो जाता है और उसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिये फिर से अजसरे नौ कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो पहली जांच में आप उस व्यक्ति की उपयुक्तता को जांच कर लेते हैं, इसलिये दुबारा लाइसेन्स के लिये अप्लाई करने पर बिना जांच के एक निश्चित अवधि के अन्दर उसे लाइसेन्स दिये जाने में क्या दिक्कत है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

भारत सरकार के जो रूल्स बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार यह सब किया जा सकता है। प्रादेशिक सरकार इस सबध में कोई नियम बना नहीं सकती।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—

इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार लाइसेन्स बनवाने में बहुत दिक्कत पड़ती है इस बात पर माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे कि हथियार ट्रान्सफर होने से यदि लाइसेन्स वायड हो गया तो केवल इतना ही पर्याप्त होना चाहिये कि यदि वह पुराना लाइसेन्स होल्डर फार्म भर कर दे दे तो उसे लाइसेन्स मिल जाय और उसे फिर से सारी कार्यवाही न करानी पड़े? क्या यह कराना संभव होगा?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो रूल्स भारत सरकार ने बनाये हैं उसमें यह करना लाजमी होगा। लेकिन कुछ सुझाव शाहजहांपुर के डी० एम० ने दिये हैं, उनको ले कर हम भारत सरकार से लिखा पढ़ी शुरू करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

डी० एम० शाहजहांपुर ने जो सुझाव दिये हैं क्या उनमें यह सुझाव भी उन्होंने दिया है कि भारत सरकार से इस बात का निवेदन किया जाय कि जो लाइसेन्सी अपना असलहा ट्रान्सफर

करता है और जिसने लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये उसकी सारी फारमैलिटीज पूरी कर ली हैं इसलिये जब उसकी हैसियत की जांच करायी जा चुकी है तो उसका फार्म भरने के बाद ही आसानी से लाइसेन्स मिल जाना चाहिये, क्या इस बात को वह भारत सरकार को लिखने जा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर दिया कि उस संबंध में उनके सुझाव आये हैं जो विचाराधीन है और भारत सरकार से सरकार लिखा-पढ़ी करेगी ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

अगर आर्म्स डिलर कर दिया और लाइसेन्स कैंसिल हो गया तो दोबारा लाइसेन्स को अप्लीकेशंस पर वेरिफिकेशन की जो व्यवस्था है वह कहां से लिया गया है, किसके आदेश से होता है ?

श्री अध्यक्ष—

आप नियम देख सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

अगर आर्म बेकार हो जाता है, सर्विस बिल नहीं है और जान माल की सुरक्षा के लिये बन्दूक की जरूरत पड़ती है तो वह क्या करे ?

श्री अध्यक्ष—

वह बेचता ही क्यों है, अगर जरूरी है उसके लिये ?

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

अगर अनसर्विसेबिल हो जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यों कहिये । वह तो नियम में होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जो सुझाव शाहजहांपुर के डी० एम० ने दिये हैं अगर सब यहां न कहे जा सकते हों तो थोड़ा सा बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हम उन पर विचार कर रहे हैं बताना ठीक न होगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नौगढ़ बांध की डूब की जमीन पर काश्त

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नौगढ़ बांध, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के डूब की जमीन कितने किसानों ने इस रबी में बोया है और क्या उसका बन्दोबस्त किया गया है? उसमें कितने किसान ऐसे हैं जो पहले से उस जमीन को बोते रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इस जमीन को इस साल फसल रबी १३७३ फ० में ३०२ किसानों ने जोता है।

उक्त जमीन का बन्दोबस्त नहीं किया गया है।

२६६ किसान ऐसे हैं जो पहले से उस जमीन को जोत रहे हैं।

गोरखपुर क्षेत्र में नलकूपों में खराबी

*२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर तथा अक्तूबर, १९६५ में गोरखपुर डिवीजन में कितने सरकारी नलकूप ७ दिन से अधिक बिगड़े रहे जिससे कि पानी किसानों को नहीं दिया जा सका? तथा बिगड़े रहने का कारण क्या था?

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

७९ नलकूप ७ दिन से अधिक बिगड़े रहे।

द्वितीय भाग—इनके बिगड़े रहने का कारण यांत्रिक एवं विद्युत संबंधी खराबी थी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ७९ नलकूपों में से कितने ऐसे थे जो सीजन के प्रारंभ होने से पहले बिगड़े थे और उसके कारण कितना एरिया सींचा नहीं जा सका?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अलग अलग तारीख मेरे पास हैं, ७९ नलकूप हैं। आप हर जिले का पूछ लें कि कितने नलकूप हैं और किस कारण से बिगड़े।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरा प्रश्न यह था कि सीजन प्रारंभ होने से पहले ७९ में से कितने बिगड़े थे और इन ७९ नलकूपों के बिगड़े रहने के कारण कितना एरिया सीजन में सींचा नहीं जा सका?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हर एक की डेट तो नहीं बता सकता इस तरीके से ७९ नलकूप हैं। इससे कितने रुपये का नुकसान हुआ है परसेंटेज के हिसाब से वह इसमें दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि सीजन प्रारंभ होने से पहले कितने नल कूप काम नहीं कर रहे थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सवाल में नवम्बर और अक्तूबर का सवाल पूछा गया है। जहां तक एरिया का सवाल है, यह तो घंटों के हिसाब से चलते हैं और उसकी फीगर्स मेरे पास हैं और यह हिसाब है कि वे क्यों बन्द रहे, अलग अलग उसका ब्यौरा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

अक्तूबर तथा नवम्बर में जो इतने नलकूप बन्द रहे वे किस कारण से रहे, कोई ब्रेक डाउन था, मशीनरी खराब थी, या क्या कारण थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हर नलकूप का कारण अलग-अलग है, वह ब्यौरा मेरे पास है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट आयी थी कि अक्तूबर मास तक तमाम नलकूपों को सही हालत में कर दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आदेश उनको थे कि वे उनको सही हालत में रखें, मगर बीच-बीच में वे खराब होते रहे ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इन नलकूपों में कितने ऐसे हैं जो बने ही नहीं हैं, और उनमें से बस्ती जिले के कितने हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सवाल तो आपने यह पूछा था कि कितने नलकूप चले नहीं, वह सूचना मेरे पास है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह कुंवा कौन-सा है जो सब से ज्यादा दिन तक नहीं चला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

देवरिया जिले में एक कुवां ७४ दिन तक नहीं चला, इसका पम्प खराब हो गया था और मोटर कोई चुरा ले गया था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं श्रीमन्, आपको बता दूं कि जिला बस्ती में झांसी के पास जो कुवां है उससे एक बूंद पानी नहीं खींचा गया, वह रास्ते में पड़ता है, मैंने उसे स्वयं देखा है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह शायद पीने के पानी का कुवां होगा।

आगरा तथा कानपुर क्षेत्रों में बस कण्डक्टरों व बुकिंग क्लर्कों के विरुद्ध कार्यवाही

*३—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कानपुर तथा आगरा रीजन की कितनी बसों पर किन-किन अधिकारियों ने किन-किन कण्डक्टरों को बिना टिकट सवारियां ले जाते हुये पकड़ा तथा पृथक पृथक प्रत्येक केस में क्या कार्यवाही हुई ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

आगरा रीजन में २८३ तथा कानपुर रीजन में ३२४ कण्डक्टर पकड़े गये। इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा सदस्य महोदय कृपया मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

*४—श्री सूबेदारसिंह—

उपरोक्त कण्डक्टरों में से कितने कण्डक्टरों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं ? उनमें से कितनों को किन-किन अधिकारियों द्वारा किन आधारों पर बहाल कर दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

आगरा रीजन में ४१ व कानपुर रीजन में ४९ कण्डक्टरों की सेवायें समाप्त की गईं जिनमें से क्रमशः ८ व १७ कण्डक्टरों को जनरल मैनेजर अथवा उप परिवहन आयुक्त द्वारा पुनः नियुक्त अथवा बहाल किया गया। पूर्ण विवरण सदस्य महोदय कृपया मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

*५—श्री सूबेदारसिंह—

कानपुर तथा आगरा रीजन में वर्ष १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कितने और किन-किन बुकिंग क्लर्कों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन के केस चलाये गये और उनमें क्या-क्या कार्यवाही हुई? ऐसे कितने बुकिंग क्लर्क हैं जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, किन्तु उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कानपुर में ३ और आगरा में ७ बुकिंग क्लर्कों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पूर्ण विवरण सदस्य महोदय मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

श्री सूबेदारसिंह—

श्रीमन्, आगरा रीजन में २८३ और कानपुर में ३२४ कण्डक्टर्स पकड़े गये, उन सबका अपराध एक सा ही है, तो क्या कारण है कि आगरे में केवल ४१ और कानपुर में ४९ व्यक्तियों की ही सेवायें समाप्त की गयीं, शेष की क्यों नहीं की गयीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसके लिये तो प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत और उस पर की गई कार्यवाही को तफसील से देखना पड़ेगा इसलिये मैंने प्रार्थना की थी कि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कक्ष में देख सकते हैं। अगर तब भी शिकायत होगी तो उसका उत्तर दे देंगे।

श्री सूबेदारसिंह—

अगर मैं यह कहूं कि हमारे यहां के जो ए० जी० एम० हैं वे हर एक केस में रुपया ले लेते हैं। जो रुपया दे देते हैं उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करते हैं और जो नहीं देते हैं उनकी सेवा समाप्त कर देते हैं। तो क्या सरकार इस आरोप के बारे में जांच करेगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यदि माननीय सदस्य कोई शिकायत किसी केस की दे देते हैं तो जरूर जांच करा ली जायेगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस प्रकार की शिकायत सारे सूबे में है कि रोडवेज एम्प्लायर्स स्वयं और अपने दोस्तों को बसों में सफर कराते हैं और आगरा से फर्स्ट क्लास में बैठते हैं जिससे बोनाफाईड पैसेंजर्स को बैठने को जगह नहीं मिलती?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक केस बताइये।

श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आगरा रीजन में निकाले हुए कण्डक्टर्स में से अछूत कण्डक्टर्स की तादाद ज्यादा है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि बिना टिकट यात्रियों को चलाने की जो बीमारी है रोडवेज विभाग में, उसमें जो पकड़े जाते हैं रोडवेज कर्मचारी, उनकी

रुपया ले करके नौकरी नहीं दी जाती है, उनको तो नौकरी रिश्वत पर व माननीय विधायकों की सिफारिश पर दी जाती है, इस प्रकार के कण्डक्टर्स की कोई अपील न सुनी जाय जिन्हें सेवा से इस अपराध से पृथक कर दिया जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

बिना टिकट यात्रा करने के अपराध में जो पकड़े जाते हैं उनके लिये शासन का आदेश है कि ऐसे कण्डक्टर्स के साथ कोई रियायत न की जाय।

श्री सूबेदारसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कण्डक्टर्स बहाल किये गये हैं उनमें कितने कण्डक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिना टिकट ले जाने के अपराध को एक बार से अधिक दोहराया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह सूची इतनी लम्बी है कि उसमें ट्रेस आउट करना मुश्किल है। इसलिये मैंने प्रार्थना की थी कि माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर देख लें।

श्री सूबेदारसिंह—

क्या इस तरह के कई कण्डक्टर्स हैं जिन्होंने एक बार से ज्यादा अपराध किया है और फिर भी उन्हें बहाल कर दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसके लिये देखना पड़ेगा और सूचना की आवश्य-ता होगी। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट के निश्चित आदेश हैं।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कन्नौज तिरवा रूट पर बुकिंग क्लर्क ओवर चार्ज करते हैं और इस प्रकार का लाभ ए० जी० एम० आदि तथा श्री मोहनलाल, स्थानीय कार्यकर्ता ने लिया है ? यदि ऐसा है, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

[२२ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

विकास खण्ड, फतेहपुर मडांव में नलकूप

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, फतेहपुर मडांव, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कितने नलकूप कहां-कहां लगे हैं तथा चालू वर्ष में कहां-कहां लगाने हेतु सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति की संस्तुति आई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दो राजकीय नलकूप ग्राम काठसरांव व नीमडांड में लगाये गये हैं। निम्नलिखित ४ ग्रामों में नलकूप लगाने की क्षेत्रीय समिति की संस्तुति आई है :—

१—मधुबन
२—बुधारी
३—उसरी सरपा
४—परसूपुर।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप लगाये गये हैं क्या वे सिंचन के लिये चलाये गये हैं या वे बेकार पड़े हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर लगाये गये नलकूप ठीक चले तो और लगाने की सोचेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो ४ नलकूप लगाने का प्रस्ताव है वे कब तक लगेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वहां का लिफ्ट लेविल जरा ऊंचा है, इसलिये परफारमेंस देख कर और रुपया मिला तो ज्यादा लगाने पर विचार किया जायगा।

*३-५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिये गये।]

सुलेला ग्राम में सिंचाई व्यवस्था

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम सुलेला में रजबहा किठौट (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) में कुलाबा नम्बर १४२ के सिंचाई क्षेत्र में कितनी भूमि है और उक्त कुलाबा का दहन कितना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रजबहा किठौट कुलाबा नं० १४२ के कमांड में कुल ९२ एकड़ कल्चरेबिल भूमि है जिसमें से ३३ एकड़ ग्राम सुलेला और ५९ एकड़ रवानी कटीरी में है। इस कुलाबे का दहन ४ इंच है।

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम सुलेला के कृषकों ने उनको दिसम्बर, १९६५ में इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि चकबन्दी के द्वारा उनके चकों तक सिंचाई के लिये नालियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप उनके चक खाली हो गये हैं? तो इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री ने क्या कार्यवाही की? यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों नहीं की और ऐसे पीड़ित कृषकों के लिये क्या व्यवस्था होगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बुलन्दशहर जिले के विधान सभा क्षेत्र स्याना के सुलेला ग्राम के काश्तकारों द्वारा सिंचाई मंत्री को दिसम्बर १९६५ में दिया गया प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। सम्बन्धित सदस्य महोदय ने अधिशासी अभियन्ता को सम्पर्क स्थापित करने पर यह सूचित किया है कि सुलेला ग्राम के श्री प्रभूसिंह का एक प्रार्थना-पत्र किठौर रजबहा के कुलाबा नं० १३५ पर उनके चक के सिंचन हेतु एक गूल बनवाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय को सीधे प्राप्त हुआ है। किसानों को समझा कर आपसी तरीके से गूल बनाने की कोशिश की गई परन्तु सफलता नहीं मिली। अब गार्डनर इंडिया कनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट के अनुसार गूल बनवाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

ये दोनों सवाल एक दूसरे से मुखतलिफ हैं। जो कुलावे दिये जाते हैं उनमें कितने क्षेत्रफल की सिंचाई का लक्ष्य होता है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक पहला सवाल है, उसमें से पानी मिलता है और लोग संतुष्ट हैं, यह हमारे पास लिखित है। दूसरे सवाल के बारे में यह है कि प्रार्थना-पत्र तो हमको नहीं मिला लेकिन अधिशासी अभियन्ता को पता चला कि पूरनसिंह और प्रभूसिंह के खेत में पानी नहीं आता है। अब इंजीनियर ऐक्ट के हिसाब से कार्यवाही करेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इसमें कम से कम तीन साल लग जावेंगे, तो क्या आप कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे जल्द पानी की व्यवस्था हो जाय?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम तो कानून से ही जमीन लेकर कुलावा निकाल सकते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे इन पीड़ित कृषकों को आसानी से और जल्दी पूलों की व्यवस्था हो सके?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर मेम्बर साहब जल्दी जमीन दिलवा दें तो हम १५ दिन में बनवा देंगे। वरना तो कानून से ही जमीन ली जा सकती है, जिसमें समय लगता है। माननीय सदस्य किसी से राजी से जमीन दिला दें तो जल्दी हो जायगा।

वाराणसी जिले में नलकूपों की मांग

*८—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गांव भीखमपुर, रगजापुर, महावन, कंठीपुर परगना कसवार राजा, तहसील वाराणसी व गांव परसोत्तमपुर व गांव बरवही, विकास खण्ड भदोही तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों का सर्वे करा कर सरकार ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करेगी? क्या गांव भीखमपुर-रजापुर का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो ट्यूबवेल कब लगेगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम भीखमपुर, रगजापुर, महाजन एवं कंठीपुर में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। नलकूप निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर ही किया जा सकता है।

गांव परसोत्तमपुर व गांव बरवही की सिंचाई की व्यवस्था वर्तमान नलकूपों से होती है तथा इस क्षेत्र में दूसरा नलकूप बनाने के लिये पर्याप्त क्षेत्र नहीं है।

श्री ऊदल—

परसोत्तमपुर और बरवही का रकबा कितना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

परसोलमपुर का रकबा ३१५ एकड़ है जिसमें सिंचाई-योग्य २०३ एकड़ है। इसमें १६८ एकड़ नलकूप बोरा दरान पड़ता से सिंचित होता है। २२ एकड़ बरसाती नदी के किनारे पड़ता है जिसमें सिंचाई नहीं हो सकता है। बरदहा का रकबा ४७० एकड़ है। कृषि योग्य ३४३ एकड़ है जो कई नलकूपों के कमांड में पड़ता है।

श्री ऊदल—

परसोलमपुर की सिंचाई बोरे नलकूप से नहीं होती है, क्या माननीय मंत्री जी फिर से जांच करावेंगे और एक ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास तो यह सूचना है कि सिंचाई होती है। अगर आप खास तौर से चाहेंगे और लिख कर देंगे तो उसको भी दिखला लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रदेश के प्रत्येक जिले में चौथी योजना में जिन-जिन स्थानों पर नलकूप लगाये जायेंगे क्या मंत्री जी ने उनका प्राक्कलन तैयार करवा लिया है, यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल—

यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार के बीच विचाराधीन है। हम प्लानिंग कमीशन से ३ हजार ट्यूबवेल्स मांग रहे हैं। जब वह स्वीकृत हो जायेंगे तब यह तय किया जावेगा कि कहां-कहां पर कितने नलकूप लगाये जायं। फिलहाल हर जिले का सर्वे कर लिया गया है कि कहां-कहां एशोनामीकवली नलकूप लगाये जा सकते हैं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बरदहा और परसोलमपुर की सिंचाई जिन ट्यूबवेल्स से होती है, उसका कमांड एरिया कितना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

छाता तहसील में नालों का निर्माण

*९—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील में मास्टर प्लान के अन्तर्गत बरसाती पानी को निकालने हेतु जुलाई, १९६६ तक कितने नालों का निर्माण हो जायेगा और इसमें जितना धन व्यय होने का अनुमान है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मथुरा जिले की छाता तहसील में जुलाई, १९६६ तक दो नालों का निर्माण होने की आशा है जिनकी अनुमानित लागत ४०,५०० रु० है।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे दो नाले कौन-कौन से हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तरौली नाला और चोमा नाला भतियाखट।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बैठेन ड्रेन के टेंडर मांगे जा चुके हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिनके बारे में मुझे सूचना थी, वह मैंने बता दिये। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

छाता तहसील में रजबहों पर पुलों की खराब हालत

*१०—श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रजबहा-शेरगढ़ व रजबहा-बुखरारीव रजबहा सहार व रजबहा कोशी व रजबहा नन्दगांव पर कितने पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत ८ साल से न होने के कारण बैलों की गाड़ियां तथा मवेशियों का निकलना मुश्किल हो रहा है? क्या उनकी मरम्मत शीघ्र करा दी जायगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—ऐसा कोई पुल नहीं है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन, इसके उत्तर में सब चौपट ही कर दिया। माननीय मंत्री जी ने कहा—जी नहीं। रजबहा नन्दगांव के पटेनकला, बहगवां और हाथियां में पुल हैं और रजबहा शेरगढ़ पर कलेन, बरचावली, बुखरारी, बरला और आजई खुर्द में पुल हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो पुल गिना रहे हैं। उन्होंने जो "जी नहीं" कहा, वह आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिन पुलों की ८ साल से मरम्मत नहीं हुई है।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, यही तो बीमारी है। रजबहा नन्दगांव पर पुल है, रजबहा-शेरगढ़ पर पुल है और कोसी कलां रजबहा पर ग्राम खायरा पुल जोकि छाता बरसाना रोड पर है....

श्री अध्यक्ष—

जरा आप समझ लें। आप उन पुलों के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं कि जिनकी मरम्मत नहीं हुई है तो आप यह पूछिए कि फलां पुल की मरम्मत कब हुई, यह सब पढ़ने से क्या फायदा।

श्री लखीसिंह—

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसा कोई पुल नहीं है तो मैंने जो यह पांचों पुल बताए हैं उनकी जांच आपने किस अधिकारी से कराई और कैसे आपको इसका ज्ञान हुआ कि ऐसा कोई पुल नहीं है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि यह पुल तो हैं लेकिन ऐसा कोई पुल नहीं है जिसकी मरम्मत न हुई हो, मरम्मत सबकी हुई है।

श्री लखीसिंह—

आपने यह जांच किस अधिकारी से कराई है जिसने यह कहा है कि ऐसा कोई पुल नहीं है जिसकी मरम्मत नहीं हुई है?

श्री अध्यक्ष—

मैं आप के प्रश्न को रोकना नहीं चाहता लेकिन प्रश्न की कुछ साफ मन्शा होनी चाहिए। आपका कहना क्या है?

श्री लखीसिंह—

यह पुल जो मैंने बताए हैं उनकी छत टूट रही है, कोसी मन्डी से जिस पुल का सम्बन्ध है उस पर से किसान अपना माल बेचने आते हैं तो उस पर से निकला नहीं जाता, वह हमारे क्षेत्र में पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी मरम्मत किस मास में और किस साल में हुई थी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

होता यह है कि हर साल हम नहर की सफाई कराते हैं, मिट्टी वह निकालते हैं, सड़क बनाते हैं पुलों की मरम्मत भी करते हैं, इसके लिए अलग से कोई एलाटमेंट नहीं होता, यह हमारे रेगुलर काम हैं इसलिए अलग से यह नहीं बताया जा सकता कि कितना रुपया इसमें से किस मद पर किस-किस साल में व्यय हुआ। दूसरे अब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जितना रुपया दिया जाता है वह मंहगी के कारण कम हो जाता है, जितनी अच्छी मरम्मत इतने में पहले हो जाती थी इतनी अच्छी अब नहीं होती। यह विकट अब है, एक दो पुल की बात हो तो वैसे भी हम बनवा देंगे।

श्री लखीसिंह—

इन पुलों की मरम्मत अंग्रेजों के जमाने से नहीं हुई है और अब अविश्वासी अभियन्ता कहते हैं कि पैसा नहीं है, मन्त्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई पुल नहीं है कि जो मरम्मत के काबिल हो, तो मैं मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या इन पुलों की दोबारा किसी अधिकारी से जांच करा के मरम्मत कराने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह कभी नहीं कहा, मैंने तो यह कहा कि ८ साल में इन पुलों में थोड़ा बहुत पैसा लगाकर मरम्मत कराई जाती रही है, हो सकता है कि कोई पुल ऐसा हो कि जिसमें ज्यादा मरम्मत की जरूरत हो लेकिन ज्यादा रुपया हमारे पास नहीं होता और थोड़ी बहुत मरम्मत हम कराते रहते हैं। यह डेफिनिट है कि ८ वर्ष में थोड़ी बहुत मरम्मत होती रही है।

श्री लखीसिंह—

सन् १९६५ के किस मास में हुई, अब यह बता दीजिये?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो सवाल ही नहीं पूछा था। आपने तो ८ साल का पूछा था।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास यह सूचना हो तो बता दें कि सन् १९६५ में किस पुल की मरम्मत हुई।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस तरह से अलग से हर पुल की सूचना हम रखते ही नहीं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों में से कितने पुल ऐसे हैं जिनकी कि केवल कागज पर ही मरम्मत हुई है और वास्तविकता में नहीं हुई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कागज की बात तो मैंने नहीं कही, वास्तविकता जो थी वह मैंने बता दी।

श्री ऊधल—

जिस पुल का अभी खास तौर से जिक्र किया गया यह जो कोतो कला बाजार का है जिस पर लोग गल्ला लेकर आते जाते हैं। क्या मन्त्री जी इस एक पुल की मरम्मत कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखी सिंह जो सिर्फ यह चाहते हैं कि मरम्मत होती हो या न होती हो लेकिन कुछ पुल ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत में हैं और उनकी मरम्मत हो जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में वे चाहते हैं कि आप विशेषरूप से जांच करा लें कि ऐसा तो नहीं कि आमदरफ्त में लोगों को परेशानी होती हो?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

(व्यवधान)

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि माननीय मन्त्री जी ने क्या कहा?

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब है कि वे दिलवा लेंगे।

कानपुर क्षेत्र में यातायात निरीक्षकों की नियुक्ति

*११—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में दिनांक २६ अगस्त, १९६४ को जो लिस्ट यातायात निरीक्षकों की भर्ती के लिए निकाली गई थी उसमें से अब तक किन व्यक्तियों को नौकरी दी गई है और क्या उन्हें लिस्ट के सीरियल के अनुसार दी गई है? यदि न दी, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

१२ व्यक्ति जिनको नौकरी दी गई है की सूची संलग्न है। इनमें से सर्वश्री माता प्रसाद व प्यारे लाल जाटव अनुसूचित जाति के तथा श्री ध्रुवनारायण विस्थापित स्वर्णकार होने के कारण अपने नम्बर के पहले नियुक्त कर दिए गए। शेष को लिस्ट के सीरियल के अनुसार ही नियुक्त किया गया है।

(देखिये परची 'क' आगे पृष्ठ ४११ पर)

*१२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लिस्ट में जितने ए० टी० आइ० अब तक बाकी हैं उनको कब तक नौकरी दी जायगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

लिस्ट की वैधता समाप्त हो गई है तथा बाकी व्यक्तियों को नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त लिस्ट मेरिट के अनुसार बनाई गई थी? यदि हां, तो नम्बर १३, १४, १६ के व्यक्तियों को पहले नौकरी कैसे दे दी गई जबकि उनके ऊपर नम्बर १, १०, ११, १२, १५ के व्यक्तियों को अब तक नौकरी नहीं दी गई और क्या उन्हें अब लैप्स किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

नं० १ को नौकरी दे दी गई है। शेष ४ व्यक्तियों को न लेने का कारण प्रश्न संख्या ११ व १२ के उत्तर में बता दिया गया है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उन १६ यातायात निरीक्षकों की सूची में एक बैकवर्ड जाति का श्री बाबूलाल भी है? तो जब बैकवर्ड को भी हरिजनों की तरह सुविधा है तो उसको नियुक्त न करने के क्या कारण हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है कि सूची में कोई बैकवर्ड भी था और उनकी नियुक्ति करना आवश्यक था। उनका नाम भी मेरे पास नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

प्रश्न १२ के सम्बन्ध में क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब एक १६ आदमियों की लिस्ट थी और उनमें से ४ व्यक्ति बाकी थे तो उनमें से किसी को नियुक्त न करके लिस्ट के बाहर से २ व्यक्तियों को, श्री सुशील कुमार और श्री राजेन्द्र कुमार को क्यों नियुक्त किया गया है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में निवेदन कर दिया है कि जो लिस्ट बनी थी उसमें से १२ को नौकरी दे दी गयी है और वे उसी में से लिए गए हैं।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि १६ की लिस्ट में से जब ४ नाम बाकी थे तो उसमें से न लेकर श्री सुशील कुमार और श्री राजेन्द्र कुमार, जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं थे, क्यों रखा गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अभी तक जो लिस्ट बनती है वह साल भर के लिए बनती है। उस अवधि के लिए तो उसका फोर्स रहता है तो जब इसकी अवधि समाप्त हो गयी, उसके बाद ही उन्हें लिया गया होगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो आदमियों को नियुक्त किया गया उनकी लिस्ट कब बनी थी और वे किस लिस्ट में थे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मेरे पास जो सूचना है, उनमें २ आदमियों का हवाला ही नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्लर्क्स को और ए० टी० आई० को क्या परीक्षा के आधार पर लिया जाता है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, इस प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल ए० टी० आई० से है और उनको मेरिट के आधार पर लिया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

जो १६ आदमियों की लिस्ट बनी थी उसमें १२ नियुक्त हुए और ४ नहीं हुए और दो आदमी बाहर से नियुक्त हुए जब कि दुबारा कोई सेलेक्शन नहीं हुआ और इन दो आदमियों को बिना लिस्ट के नियुक्त कर दिया गया, तो जब दूसरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो पहली लिस्ट के चार आदमियों को प्रायारिटी क्यों न दी जाय?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

साल भर के बाद पहली लिस्ट का कोई फोर्स नहीं रहता और साल भर के बाद उन्होंने एप्वाइन्ट किया है। दो का हवाला नहीं है कि वह एप्वाइन्टमेंट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखित देंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मन्त्री जी ने कई बार चर्चा होने पर इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि जो एप्रूव्ड लिस्ट होगी उसी को आगे रखा जायगा और उसी में नामिनीज को एप्वाइन्ट करने में प्रायमिकता दी जायगी। तो जब १६ की एप्रूव्ड लिस्ट थी और १२ आदमियों को रखा गया और बाकी ४ को न रख कर बाहर से दो आदमी रखे गए तो क्या मेरे इस सुझाव पर विचार किया जायगा कि एप्रूव्ड लिस्ट बनने के बाद उन्हीं आदमियों को लिया जायगा और नए आदमी नहीं लिए जायेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

माननीय सदस्य ने जो मन्त्री महोदय के आश्वासन के सम्बन्ध में कहा है उस पर विचार किया जा रहा है और उसे देखा जा रहा है। वह बात अपनी जगह पर ठीक है लेकिन जिन दो आदमियों का जिक्र है उसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

परिवहन विभाग में ऐसा होता है कि २७ आदमियों की लिस्ट बनी, ५ को ले लिया और २२ को खारिज कर दिया। फिर दूसरे साल अपने आदमियों को मन्त्री जी ले लेते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में नौकरी कैसे दी जाय यह बड़ा भारी विचारणीय प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी से मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि ए० टी० आई० की १६ आदमियों की जो लिस्ट बनाई गई वह लिस्ट घोषित की गयी और कितनी ए० टी० आई० की जगहें खाली थीं और कितनी भरीं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह इन्टरव्यू सन् ६४ में हुआ था और कुल ६ वेकैन्सीज थीं और ६ के अगेनस्ट १६ की लिस्ट बनी।

श्री उग्रसेन—

क्या इस लिस्ट की घोषणा हुई थी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

२६ अगस्त, सन् ६४ को यह लिस्ट घोषित हुई थी।

श्री रघुवीरसहाय कँयवार—

जो लिस्ट २९ अगस्त, सन् ६४ को थी वह हुई थी उसमें १२ आदमी लिए गए और २ आदमी जनवरी में रखे गए तो यह ४ आदमी जो बाकी रहे उनको सूची में से समाप्त करने का आधार क्या है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जैसा मैंने निवेदन किया साल भर के लिए सूची होती है। साल अगस्त में पूरा हो गया और दो एप्वाइन्टमेंट दिसम्बर, जनवरी में हुए और यह १६ की लिस्ट नवम्बर से पहले हो चुकी थी। मुझे यह भी शक है कि ये दो नियुक्तियां हुई भी या नहीं हुई क्योंकि सरकार की ओर से स्टैंडिंग आर्डर्स यह हैं कि फ्रेश एप्वाइन्टमेंटस् न किए जायं। हो सकता है कि ये दो नियुक्तियां लीव वेकेन्सीज में की गयी हों।

फीरोजाबाद तहसील में टापा ड्रेन का निर्माण

*१४—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि फीरोजाबाद तहसील के बरसाती पानी की निकासी के वास्ते गत वर्ष टापा ड्रेन एक्सटेनशन का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कितना खर्च हुआ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इसपर अभी तक ८८,६४४ रु० का व्यय हुआ है।

*१५—श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या टापा ड्रेन का कोई भाग फीरोजाबाद नगरपालिका की सीमा के भीतर होकर जाता है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके निर्माण का व्यय सरकार नगरपालिका से मांग रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—जी हां। इस नाले पर कार्य आरम्भ होने के पूर्व यह तय हो गया था कि इस पर किए गए व्यय का वहन नगरपालिका, फीरोजाबाद करेगी क्योंकि इस कार्य से फीरोजाबाद का औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित होता है।

डायर मेकिन, लखनऊ तथा मोहननगर, गाजियाबाद के कारखानों में बिजली की खपत

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डायर मेकिन लिमिटेड, लखनऊ तथा मोहननगर, गाजियाबाद द्वारा चलाए जाने वाले विविध कारखानों में सन् १९६४–६५ में प्रति मास कितनी बिजली की खपत हुई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सन् १९६४–६५ में डायर मेकिन लिमिटेड, मोहननगर, गाजियाबाद व लखनऊ का प्रति मास कन्जम्पशन संलग्न †परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' में दिया हुआ है।

*१७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त फर्म द्वारा अपने कारखानों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास गृहों में जो बिजली दी जाती है उनका कोई अलग मीटर नहीं होता बल्कि कारखाने के ही मीटर से बिजली दी जाती है? ऐसा क्यों?

---

†छापा नहीं गया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मोहन नगर, गाजियाबाद में अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास गृहों में बिजली अलग मीटर से दी जाती है।

लखनऊ में डायर मेकिन को बिजली उनके एग्रीमेन्ट के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास गृहों एवं फैक्टरी के लिए एक ही मीटर के द्वारा दी जा रही है।

*१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त फर्म पर ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कितना धन विद्युत् शक्ति का बकाया था और उसकी वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त फर्म को, कारखाने और आवास गृहों के लिए किस दर पर बिजली दी जाती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मोहन नगर, गाजियाबाद व लखनऊ की सप्लाई के निमित्त कोई भी धनराशि ३१-१२-६५ तक वसूल करने के लिए बकाया नहीं है।

बिजली की सप्लाई की दरें संलग्न परिशिष्ट *'स' में दी हुई है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि नियमतः पावर के साथ लाइट कनेक्शन परसनल यूज के लिए नहीं दिया जा सकता, क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि लखनऊ डायर मेकिन लिमिटेड को बिजली का जो पावर कनेक्शन दिया गया है उसके साथ-साथ व्यक्तिगत लाइट कनेक्शन दिया गया और दिया गया तो कितने दिन के लिए एग्रीमेंट किया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार के लेने से पहले यहां एक कम्पनी काम करती थी, मार्टिन कम्पनी। उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया एक जगह बिजली देने का और वादा कर लिया। उसमें कह दिया कि लाइट भी उससे ले सकेंगे। यह चूंकि एग्रीमेंट है और उसी एग्रीमेंट से हमने लिया है इस लिए पूरा कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी इस एग्रीमेंट को खत्म करने पर विचार करेंगे क्योंकि इससे सरकार का नुकसान हो रहा है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सन् ६७ तक के लिए है। उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

डायर मेकिन को जो आपने सस्ती बिजली दी तो उसको सस्ती बिजली देने का क्या औचित्य है? क्या यह आधार है कि सस्ती शराब बन सके?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने बिजली दी नहीं। उनसे एक कम्पनी ने पहले से एग्रीमेंट किया था बिजली की दर का। हम उस कम्पनी के सक्सेसर हैं। हम पहले के एग्रीमेंट को यह नहीं कह सकते कि आनर नहीं करते।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ३१-१२-६५ तक कोई बकाया नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि लास्ट बकाया की रकम कब अदा की गयी और कितनी अदा की गयी?

---

* छापी नहीं गई

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह हर महीने होता है। १९६५ तक बकाया नहीं है। हमारे यहां कायदा यह है कि जितने बिल आते रहते हैं पे करते रहते हैं। कोई बकाया का सवाल नहीं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

टाइम से अदा करने पर दो परसेन्ट की छूट दी जाती है। क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि इस कम्पनी को कितनी छूट दी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह नियम के अनुसार है कि जो टाइम पर दे देंगे उनको इतनी छूट दी जायगी।

पैसुनी बांध योजना

*१९—श्री ब्रजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के जिलों में सिंचाई उन्नति के हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार में दोनों प्रदेशों की सीमा पर बांध बनाने की योजना पर हाल में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है? यदि हां, तो उस योजना की क्या प्रगति है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य महोदय का अभिप्राय पैसुनी बांध योजना से प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति करने पर इस योजना पर सर्वेक्षण का कार्य स्थगित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

गाजीपुर व बलिया जिले में नलकूपों से सिंचाई

*२०—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर व बलिया जिले के सरकारी नलकूपों द्वारा कितने एकड़ की सिंचाई १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में हुई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ ४१२ पर)

*२१—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने सरकारी नलकूप गाजीपुर व बलिया जिले में बेकार पड़े हैं और सम्बन्धित कमान्ड एरिया के लिए सिंचाई का क्या प्रबन्ध सरकार करने जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गाजीपुर जिले में इस समय ७ नलकूप बेकार पड़े हैं। इन नलकूपों के पुनः बोर हो जाने पर सम्बन्धित कमान्ड एरिया की सिंचाई समस्या हल हो जाएगी। बलिया जिले में कोई नलकूप बेकार नहीं पड़ा है।

*२२—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कौन-कौन नलकूप हैं जहां पहले नालियां बना दी गयीं और नलकूप नहीं बना ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा कोई नलकूप नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मन्त्री ने उत्तर में बताया कि बलिया जिले में कोई नलकूप नहीं है। क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जिला बलिया का नलकूप पिपरौंटा कब लगा और आज तक बेकार पड़ा है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है। नोटिस दे दें तो पता चला लेंगे। मेरे पास सूचना यह है कि कोई नलकूप बेकार नहीं है।

अगर आप की सूचना दूसरी है तो जांच करवा लेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं सूचना दूंगा कि कौन-कौन ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि यदि उनको जो सूचना अधिकारियों से मिली है वह गलत हो, तो क्या उन के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इनको करना ही पड़ेगा। यहां अब यह बात तय हो चुकी है कि यदि गलत सूचना मिलती है मन्त्री जी को, और वह गलत सिद्ध हो जाती है, तो उन्हें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। यह इस सदन का निश्चित मत है।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

आपने अपने बयान में कहा कि गाजीपुर में ७ नलकूप इस समय काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि वह ट्यूबवेल्स कहां-कहां हैं और किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सैदपुर, बहादरी, ऊसाबर, स्योरीडीह, काहूबारा कलां, रामपुर बलभद्र और शेखपुर।

श्री रघुवंशराम—

क्या सिंचाई मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सात नलकूप जो खराब पड़े हैं जिसके कारण जो खेतों के किसानों की भूमि असिंचित रही है और फसल को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए मन्त्री महोदय ने अब तक क्या कार्यवाही की कि उन को सिंचाई की सुविधा दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो इलग इलग सर्वे में हैं, आप जिसके बारे में पूछें उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन इस में हमारी एक पालिसी यह है कि कुछ नलकूप तो ऐसे हैं जो रबी मौसम में चलते हैं, कुछ खरीफ में चलाये जाते और कुछ बहुत कम चलते हैं—उनका परफार्मेंस अच्छा नहीं है, उन की युटिलिटी अभी वहां पर ज्यादा नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

गाजीपुर में ९–१० ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जिन में आपने अभी बिजली नहीं लगाया है और ७—८ में ट्रांसफार्मर जल गये हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पर ६ घंटा भी ट्यूब वेल नहीं चलते हैं. तो क्या इसकी जानकारी आपको है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब बिजली की बात है तो बिजली नहीं जाती होगी, तो हो । सकता है न चलते हों ।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह जो आप ने कहा कि कुछ रबी में चलते हैं या खरीफ में चलते हैं, उसमें समानता है कुछ ? उस को जानकारी करने की आप कोशिश करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर में जितने भी ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं वे फ्रेंच कम्पनी के द्वारा लगाये गये जिनका डिस्चार्ज ११ हजार गैलन से ज्यादा नहीं हुआ, जब कि २२ हजार होना चाहिये था, जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर सके हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो एक ऐसी चीज है जिस पर आप हमारे कमरे में आकर बात कर सकते थे, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि यहां पर प्रश्न कर के पूछा जाता ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

आपने जिनकी सूची दी है, उसके अलावा भी शेरपुर में भी एक ट्यूबवेल है जो ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा है यह वर्षों से पड़ा हुआ है । तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस के ट्रांसफार्मर की बीमारी कब तक दूर हो जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह एक्सप्लोरेटरी वेल था, इसका पानी खारी निकल गया, जिसके कारण नहीं हुआ ।

श्री मैनजरसिंह—

आप ने कहा कि बलिया में कोई ट्यूबवेल खराब नहीं है और गाजीपुर में ७ खराब पड़े हैं । तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि गाजीपुर में जहां ट्यूबवेल्स से २०-२-६६ तक आप की सूचना के अनुसार १० हजार एकड़ अधिक सिंचाई हुई है इस वर्ष तथा बलिया में जहां सभी ट्यूबवेल्स आप की सूचनानुसार ठीक हैं वहां केवल ४ हजार एकड़ अधिक सिंचाई इस वर्ष इस अवधि में हुई है । तो क्या इसका कारण यह है कि बलिया के ट्यूबवेल कम चले हैं जिसके कारण आप की सूचनानुसार बलिया में ट्यूबवेल्स ठीक रहते हुए भी कम सिंचाई हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप इसका चाहे जो अनुमान लगा लें । मैंने तो एक फैक्ट बता दिया है ।

*२३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

गोंडा जिले में बस सर्विस की शिकायत

*२४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बलरामपुर से बहराइच, गोंडा, लखनऊ तथा उतरौला पहुंचने के स्थान से सन् १९६५ में समय से कभी भी बसें न छूटने की कम्प्लेंट बुक पर कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

नोट—तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

२२ शिकायतें। इस में से १२ पर जांच के पश्चात् उचित कार्यवाही की गयी। शेष १० की जांच अभी हो रही है।

*२५—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि उक्त भाग में गोंडा स्टेशन पर दिनांक १८ दिसम्बर, १९६५ को प्रश्नकर्ता ६.३० की सायं के बस से बलरामपुर आने के लिए पौन घंटा पूर्व से टिकट की प्रतीक्षा में बैठा रहा न इन्चार्ज का पता चला, न डपटी बाबू, श्री गुप्ता ने अपना नाम बताया, न कम्प्लेंट बुक दिया और गाड़ी भी समय से नहीं गयी बल्कि ७.४० पर दूसरी जो ७.१५ पर चलती है गयी? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—

फैजाबाद से गोंडा आते समय रास्ते में ड्राइवर को लाठी से मारा गया जिस के कारण बस ३.३० बजे न पहुंच कर गोंडा ६ बजे पहुंची। तत्पश्चात् बस की चेकिंग व दूसरे परिचालक का प्रबन्ध किया गया। अतः बस गोंडा से लेट छूटी। कम्प्लेंट बुक स्टेशन इन्चार्ज के पास रहती है जो कार्यशाला के अन्दर रेकार्ड चेक कर रहे थे। श्री गुप्ता को उन के व्यवहार के लिए चेतावनी दे दी गयी है।

घाटमपुर तहसील में बिजली

*२६—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर में कौन-कौन से ग्राम ऐसे हैं जिनकी आबादी एक हजार से ऊपर है और उनमें अब तक बिजली नहीं लगी है?

श्री गिरधारीलाल—

१९५१ की जनगणना के अनुसार कानपुर जिले में घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत ५८ ग्राम ऐसे हैं जिनकी जन संख्या १,००० से अधिक है और जिनमें अभी तक बिजली नहीं लगी है। उक्त ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'ग' आगे पृष्ठ ४१३ पर)

*२७—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री उन गांवों में जहां कि अभी तक बिजली नहीं लगी है बिजली देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है? और किन-किन गांवों में कब तक बिजली लग जायगी?

श्री गिरधारीलाल—

इन ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए जांच पड़ताल की जा रही है और जो उपयुक्त पाये जायेंगे उनका विद्युतीकरण धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

घाटमपुर तहसील में नहर निर्माण योजना

*२८—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत कौन-कौन सी माइनरें बढ़ाने अथवा नवनिर्माण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है और उनमें कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त स्थान पर सूची में दी गयी माइनरों के बढ़ाने तथा नवनिर्माण करने के लिए सम्भावित योजनाओं का प्रस्ताव है। परन्तु सर्वे पूर्ण हो जाने पर यह कहना सम्भव हो सकेगा कि इनमें से कौन-कौन-सी माइनर बन सकेंगी। इन के कार्य करने की कोई तिथि अभी निश्चित नहीं की गयी है परन्तु इनको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लिये जाने की आशा है।

(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ ४१४ पर)

नगरपालिका, ललितपुर को बिजली देने की प्रार्थना

*२९—श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् से 'नग्न निवेदन' नामक बुलेटिन द्वारा १ जनवरी, सन् १९६६ को अध्यक्ष, नगरपालिका, ललितपुर द्वारा ललितपुर में माताटीला बांध से बिजली न दिये जाने के कारणों पर जो आरोप व शिकायतें उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को दी गयी हैं उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गिरधारीलाल—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को 'नग्न निवेदन' नामक बुलेटिन प्राप्त हुई है। नगरपालिका, ललितपुर को बिजली देने का मामला परिषद् के विचाराधीन पहले से ही था। अध्यक्ष, नगरपालिका से पूछा गया था कि वह माताटीला से ललितपुर तक ६६ के० वी० लाइन तथा ललितपुर में ६६/११ के० वी० सब स्टेशन बनाने में जो व्यय होगा उसका १० प्रतिशत वार्षिक किराया देने को तैयार है या नहीं। परन्तु नगरपालिका ने इसमें असमर्थता प्रकट की है और इस प्रश्न पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। उनके प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जा रहा है।

चिरईगांव तथा कटेहर विकास खण्ड में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*३०—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के चिरई गांव विकास खण्ड में कुकुड़ा, अम्बा, अमौली गांवों की कृषि की सिंचाई के लिए एक नलकूप लगाने के लिए कुकुड़ा के आराजी नं० ३ में सिंचाई विभाग के इन्जीनियर द्वारा स्थान चुना गया और नलकूप लगने का तैयारी होने लगी, तब क्या कारण है कि सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारी पिछले कई महीने से इस स्थान का निरीक्षण करने में समय बिता रहे हैं? कुकुड़ा के आराजी नं० ३ में कब तक नलकूप लग जावेगा?

श्री गिरधारीलाल—

राजकीय नलकूप लगाने के लिए ग्राम कुकुड़ा की आराजी नं० ३ को नहीं चुना गया बल्कि उस से २५ फीट की दूरी पर ग्राम अमौली की आराजी नं० ५७३ में एक नलकूप लगाया जा रहा है।

*३१—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि कटेहर विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी के गोसाईंपुर मोहांव (विकास खण्ड हरहुआ) और डगरपुर अभियार (विकास खण्ड चौलापुर) में वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में नलकूप लगाने की कोई योजना थी? यदि हां, तो अब तक नलकूप क्यों नहीं लगे? और इन नलकूपों की निर्माण-व्यवस्था कब तक की जा सकेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :—प्रश्न नहीं उठते ।

*३२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वाराणसी के चिरई गांव विकास खण्ड के अन्तर्गत मुस्तफाबाद गांव को सिंचाई के लिए नलकूप गाड़ने का निर्माण हो चुका है किन्तु गांव के विभिन्न प्रभावशाली लोगों ने अपनी-अपनी सुविधा के आग्रह पर कि नलकूप अमुक जगह गड़े, जिले के विभागीय अधिकारी काम स्थगित किये बैठे हैं ? यदि हां, तो सिंचाई की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए अधिकारी जन-जन की अलग-अलग राय की उपेक्षा करके अपने उचित निर्णय के अनुसार कब तक नलकूप लगा देंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सत्य नहीं है कि ग्राम मुस्तफाबाद, विकास खण्ड चिरई गांव के अन्तर्गत नलकूप गाड़ने का निर्णय हो चुका है । इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उपर्युक्त स्थान मिलने पर नलकूप लगाया जायेगा ।

आजमगढ़ जिले में बस दुर्घटना में श्री सहदेव की मृत्यु

*३३—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गत २४ मार्च, १९६५ को रोडवेज की बस दुर्घटना में आजमगढ़ जिला में, खीरीकोठा ग्राम निवासी थाना मधुबन, आजमगढ़ के श्री सहदेव हरिजन नामक जो व्यक्ति मर गया उसकी स्त्री तथा चार निराश्रित बच्चों को सरकार ने क्या मुआवजा अथवा गुजारा दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह मामला अभी विचाराधीन है ।

शोहरतगढ़ को बिजली

*३४—श्री झारखण्डेराय—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकार शोहरतगढ़ कस्बा, जिला बस्ती में बिजली लगवाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वहां कब तक बिजली लग जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बांसी, नौगढ़ तथा आनन्दनगर में ३३/११ के० वी० सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है । इन के पूर्ण हो जाने पर ही शोहरतगढ़ कस्बे का विद्युतीकरण संभव हो सकेगा ।

विजयनगर उपनिवेश में नलकूप की आवश्यकता

*३५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर के अन्तर्गत विजयनगर (कोठिया गोदिया) कालोनी की जमीन बहुत ही ऊंची है और उसमें सिंचाई का कुछ भी साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या वहां शीघ्र ही नलकूप लगाने की कृपा करेंगे जिससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३६-३८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—

[प्रश्नकर्ता सदस्यों से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिये गये।]

आजमगढ़ जिले में सिंचाई तथा जल निकासी सम्बन्धी प्रार्थना

*३९—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ दिसम्बर, १९६५ को प्रश्नकर्त्ता के एक पत्र द्वारा लखनऊ बलिया रोड के १४३ मील के पहले फलांग में आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत फरसुडिया ग्राम के सामने किसानों की सैकड़ों बीघे खेत को सिंचाई के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर एक साइफन बनाने के लिए मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था? यदि हां, तो उक्त साइफन के कब तक बन जाने की सम्भावना है?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४०—श्री दौलतलाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने एक पत्र दिनांक १५ अक्तूबर, १९६५ द्वारा आजमगढ़ जिले के पवई विकास खण्ड के कोहड़ा ग्राम में पानी की निकासी की योजना के लिए और शारदा कैनाल की शाखा दोदारगंज रजबहा पर ईशापुर ग्राम के सामने नहर पर पुलिया बनाने तथा खूपुलपुर रजबहा पर सजेरपुर नामक ग्राम के सामने नहर पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था? यदि हां, तो कोहड़ा ग्राम में पानी निकासी योजना तथा ईशापुर और सजेरपुर ग्राम के सामने नहर पर पुलिया बनवाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—

कोहड़ा ग्राम में पानी की निकासी के लिए फूलपुर रजबहा के ४६ किलोमीटर पर एक साइफन का निर्माण हो रहा है।

दोदारगंज रजबहा के नाम से कोई नहर नहीं बनी है। मालूम करने पर पता चला है कि ईशापुर इस्केप के एक मील पर एक बैलगाड़ी का पुल बनाने की मांग है। इस इस्केप पर ० मील ५ फर्लांग २७५ फीट पर एक बैलगाड़ी के पुल का निर्माण हो रहा है अतः केवल २ १/२ फर्लांग की दूरी पर सरकारी खर्च से एक दूसरा और पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

तीसरी मांग खूपुलपुर रजबहा पर सजेरपुर ग्राम के सामने फूलपुर रजबहा के ६१ किलोमीटर ६२७ मीटर पर एक बैलगाड़ी का पुल बनाने की है। इस स्थान से ऊपर की ओर एक बैलगाड़ी का पुल ६१ किलोमीटर २७० मीटर पर तथा नीचे की ओर ६२ किलोमीटर ७७७ मीटर पर बने हुए हैं। चूंकि इच्छित स्थान से बीने दो फर्लांग ऊपर पुल मौजूद है इसलिए वहां पर अन्य पुल बनवाने की आवश्यकता नहीं है।

खजुहा तथा चमोली विकास क्षेत्रों में सिंचाई

*४१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के नवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न सूची में खजुहा तथा चमोली विकास क्षेत्रों के जिन असिंचित ग्रामों के लिए तीन योजनाओं की समाप्ति तक

सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकी है उनके लिए क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावशाली प्रयत्न किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव किया गया है वह संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१५ पर)।

*४२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सूची में उल्लिखित ग्रामों में नवीन रजबहे निकालने अथवा रजबहों को बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

श्री गिरधारीलाल—

नवीन रजबहे निकालने अथवा रजबहों को बढ़ाने में पानी की कमी की कठिनाई है।

स्याना क्षेत्र में नलकूप बढ़ाने की प्रार्थना

*४३—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, ग्राम जिला बुलन्दशहर में ग्राम लड़ाना, ग्राम बिगराऊ, ग्राम गिरौरा और ग्राम मोलिया के बीच में कई सौ एकड़ भूमि अधिक उपजाऊ ऐसी है जो राजकीय सिंचाई की सुविधा से वंचित है ? क्या सरकार शीघ्र ही वहां एक राजकीय नलकूप के निर्माण पर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष में होना प्रस्तावित है। सर्वेक्षण के पश्चात् ही कहा जा सकता है कि वहां राजकीय नलकूप लगा सकता है या नहीं।

*४४—चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नलकूप संख्या जे० बी० ७ के सिंचाई क्षेत्र ग्राम लड़ाना की जो भूमि है उसकी सिंचाई सन् १९३५ से अब तक नहीं हुई है और न हो सकती है, उसका क्या कारण है सरकार जे० बी० संख्या और उक्त भूमि को क्या ७ राजकीय नलकूप के सिंचाई क्षेत्र से निकाल कर उक्त राजकीय नलकूप के क्षेत्र में सम्मिलित करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

राजकीय नलकूप सं० ७ जे० बी० के कमान्ड में ग्राम लड़ाना का ६९४ एकड़ क्षेत्र है। इसमें से २१४ एकड़ की सिंचाई कभी भी नहीं हुई है और न होने की आशा है। क्योंकि यह भूमि अधिकतर बंजर एवं भूड़ है। कुछ भूमि सिंचाई योग्य भी है किन्तु ऊंची होने के कारण उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। केवल ४० एकड़ ऐसी भूमि है जिसे नलकूप लगाने हेतु बाकी क्षेत्र में मिलाया जा सकता है किन्तु अभी इसका सर्वेक्षण होना बाकी है।

*४५—श्री मैनेजरसिंह—

[६ठें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

श्री ए० जे० फैन्थम, एडवोकेट, लखनऊ द्वारा मोटर परमिट लेने की शिकायत

*४६—श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोई शिकायत इस सम्बन्ध में ट्रांस्पोर्ट के कमिश्नर को प्राप्त हुई है कि एस० टी० ए० सेक्शन के हेड क्लर्क दफ्तर से फाइल ए० जे० फैन्थम एडवोकेट, लखनऊ की कोठी पर ले जाते हैं और श्री फैन्थम उन फाइलों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। पर बार बार मौका देने पर भी शिकायत करने वाले बाकायदा जांच में उपस्थित नहीं हुए। फिर भी उन की अनुपस्थिति में यथा सम्भव जांच की गयी एवं शिकायत निराधार पायी गयी।

*४७—श्री शराफत हुसेन रिजवी—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि उक्त शिकायत के सम्बन्ध में शिकायत करने वाले ने बयान हलफी भी दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। की गयी कार्यवाही प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर में बतायी गयी है।

*४८—श्री शराफत हुसेन रिजवी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ए० जी० फैन्थम एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने कितने परमिट मुस्तकिल और कितने आरजी श्री जीवननाथ बहाल, जगन्नाथ बहाल, (बी० ओ० हार्म) महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, डब्ल्० एल० रौज और अन्य नामों से हासिल किये हैं ? और इनमें कैसे कितने ऐसे परमिट हैं जिनका इख्तयार हुक्म मेरठ आगरा और बरेली रीजन से मुताल्लिक है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उनके बारे में सूचना संलग्न है। इन सब प्रार्थियों के श्री ए० जे० फैन्थम वकील थे, श्री फैन्थम द्वारा कथित व्यक्तियों के नाम से परमिट हासिल करने की सूचना शासन के पास नहीं है।

बिना नाम और पता के और सूचना देना सम्भव नहीं है। इन परमिटों में से आगरा रीजन से सम्बन्धित १ तथा मेरठ से ४ और बरेली से कोई नहीं है।

(देखिये परची 'च' आगे पृष्ठ ४१६ पर)

रोडवेज विभाग में नान-क्वालीफाइड कर्मचारियों की पदोन्नति

*४९—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का यह आदेश है कि नान क्वालीफाइड कर्मचारियों को भी सहायक यातायात निरीक्षक को पदोन्नति तथा नान-क्वालिफाइड परिचालक को भी सीनियारिटी से यह पदोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो यह आदेश कब हुआ और इसका पालन इलाहाबाद रीजन में हो रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। अब प्रश्न नहीं उठता।

*५०-५२—श्री महरामसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

हैदरगढ़ बस स्टेशन

*५३—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हैदरगढ़ बस स्टेशन, लखनऊ-सुल्तानपुर रोड, जिला बाराबंकी की बिल्डिंग कब तक बनवाने का सरकार का इरादा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

भूमि मिलने के पश्चात् बस स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण हो सकेगा।

*५४—श्री मूलचन्द शास्त्री—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

नलकूप आपरेटरों व पतरौलों के क्वार्टर

*५५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई आदेश है कि नलकूपों के आपरेटरगण जो कि नल कूपों के साथ बने क्वार्टरों में बिना राजकीय स्वीकृति के रहते हैं उनसे किराया वसूल किया जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

बिना स्वीकृति के क्वार्टरों में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार का ध्यान जी० ओ० क० १०३६/१००-१९४, दिनांक ३ सितम्बर, १९४१ की ओर गया है जिस से कि नलकूप विभाग के समस्त आपरेटरों तथा पतरौलों को प्रश्न (१) में उल्लिखित क्वार्टरों में बिना किराये रहने की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो अब किराया वसूल किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—प्रश्न में उल्लिखित दिनांक ३-९-४१ के जी० ओ० में तत्कालीन सिंचाई खंड पूर्व एवं सिंचाई खंड बदायूं के ही आपरेटरों और पतरौलों को क्वार्टरों में बिना किराये रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

द्वितीय भाग—पुनर्विचार पर नलकूप आपरेटर क्वार्टरों में बिना किराये के आवास के लिए योग्य (eligible) नहीं पाये गये।

रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में कर्मचारियों का बकाया भत्ता

*५७—सर्वश्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज, कानपुर क्षेत्र के किस-किस गजटेड अधिकारी या किस किस माह का कितना कितना दैनिक भत्ते का पैसा १ जनवरी, १९६५ से ३१ जनवरी १९६६ तक की अवधि का भुगतान के लिए शेष है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४१७ पर)

*५८—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—

उक्त अवधि का किस किस यातायात अधीक्षक अथवा सहायक यातायात निरीक्षक के दैनिक भत्ते का पैसा भुगतान के लिए आज भी बाकी है और वह कितना कितना है तथा उसका भुगतान कब तक किया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२ ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट व ५६ ए० टी० आई० का कुल १२,२६० रु० ५५ पैसे दैनिक भत्ते का भुगतान बाकी है जिसका कारण बिलों का देर से प्राप्त होना है। बिलों के शीघ्र भुगतान का प्रबन्ध किया जा रहा है। विस्तृत सूचना सदस्य महोदय मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

*५९—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—

क्या अन्य गजटेड रोडवेज कर्मचारियों का भी दैनिक भत्ते का पैसा भुगतान के लिए शेष है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसका भुगतान प्रति माह क्यों नहीं किया गया ? और अब कब किया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१३४ अन्य कर्मचारियों का कुल १०,८५० रु० १ पैसे दैनिक भत्ते का भुगतान बाकी है। जिसका कारण बिलों का देर से प्राप्त होना है। बिलों के शीघ्र भुगतान का प्रबन्ध किया जा रहा है। विस्तृत सूचना सदस्य महोदय मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

पिपराइच ताल ड्रेन पर पुल निर्माण

*६०—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के सुकरौली ब्लाक के अन्तर्गत पिपराइच ताल से जो ड्रेन निकाली गई है उस पर किन-किन जगहों पर पुल का निर्माण कराने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस ड्रेन पर मोहनपुर तथा सिसरौली ग्रामों पर पुल का निर्माण कराने की योजना है।

फतेहगढ़ बस स्टेशन

*६१—श्री दयाराम शाक्य—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि फतेहगढ़ बस स्टेशन, जो टीन का तथा अस्थायी बना होने के कारण कर्मचारियों तथा यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो अब तक स्थायी स्टेशन न बनने का क्या कारण है ? तथा कब तक बन जावेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कठिनाई तो अवश्य होती है, परन्तु स्थायी बस स्टेशन का निर्माण भूमि मिलने के पश्चात हो सकेगा।

देवरिया ब्रांच नहर

*६२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में नारायनी नहर खण्ड के देवरिया ब्रांच में ग्राम जमुनी बरवा के पास जो चाल नहर है उसको बदल कर दूसरा अलाइन्मेंट

क्यों स्वीकार किया गया जब कि पुरानी चालू नहर के पास ही देवरिया ब्रांच के निर्माण के लिए सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता श्री बी० पी० शर्मा ने ३ मार्च, १९६५ तक कोई अलाइन्मेंट दिया था और वर्तमान प्रस्तावित रूट के विपरीत कोई राय जाहिर की थी ? श्री बी० पी० शर्मा के अलाइन्मेंट के विपरीत वर्तमान प्रस्तावित नहर के लिए जमीन क्यों एक्वायर की गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया ब्रांच के निर्माण के लिए स्वीकृत अलाइन्मेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। श्री बी० पी० शर्मा ने कोई नया अलाइन्मेंट नहीं बताया था और न ही उन्होंने उसके विरुद्ध कोई राय दी, जहां तक जमीन के एक्वायर करने का प्रश्न है भूमि अधिकरण के कागजात सन् १९६४ में ही भेजे जा चुके थे, अतः स्वीकृत अलाइन्मेंट के विरुद्ध भूमि अधिकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६३—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्री बी० पी० शर्मा द्वारा प्रस्तावित और वर्तमान अलाइन्मेंट जिस की भूमि ऐक्वायर की गयी उन में दोनों में से किस रास्ते से नहर ले जाने में कम भराई करनी पड़ेगी और कम व्यय पड़ेगा तथा सिंचाई का अधिक लाभ जनता को किस रास्ते मिलेगा ? दो का इस्टीमेटेड व्यय अलग-अलग क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि पहले कहा जा चुका है श्री शर्मा ने स्वीकृत अलाइन्मेंट के विरुद्ध कोई राय नहीं दी। अलाइन्मेंट बदलने के लिए कुछ अन्य लोगों ने अवश्य मांग की थी किन्तु उस अलाइन-मेंट के मानने पर खुदाई व व्यय अधिक होने के साथ ही साथ सिंचाई भी कम होने की सम्भावना है। स्वीकृत अलाइन्मेंट में मिट्टी के कार्य पर ५४,१८० रु० के बजाय प्रस्तावित मांग से नहर निकालने पर ७२,६६० रु० व्यय होने की सम्भावना है।

फतेहपुर जिले में बिजली

*६४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में वित्तीय वर्ष, १९६५–६६ में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण करने का निश्चय शासन द्वारा लिया गया था, उनमें से ३१ जनवरी, १९६६ तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और अब शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—

वित्तीय वर्ष १९६५–६६ से जनवरी, १९६६ तक फतेहपुर जिले के रामानगर का विद्युती-करण किया गया है, अन्य और ग्रामों का विद्युतीकरण विचाराधीन है।

शाहजहांपुर रोडवेज बस स्टेशन

*६५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर रोडवेज बस-स्टेशन की इमारत को कब एक्वायर किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह इमारत अभी एक्वायर नहीं हुई है। आवश्यक कार्यवाही जारी है।

*६६—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसका क्या मुआवजा सरकार देने जा रही है और उस रकम की अदायगी कब तक कर दी जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मुआवजा निर्धारित होने के पश्चात् उसका भुगतान किया जायगा।

कानपुर जिले में विद्युतीकरण

*६७—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विगत दो वर्षों में (१९६४–६५, १९६५–६६) में जिला कानपुर के कितने ग्रामों में बिजली लगाई गई ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि गत एक वर्ष में जिले के किसी ग्राम में बिजली न लगाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

कानपुर जिले में १९६४–६५ तथा १९६५–६६ के अन्तर्गत जिन ग्रामों में बिजली लगाई गई है उनकी सूची संलग्न है। गत एक वर्ष में कानपुर जिले के किसी भी ग्राम में बिजली न लगने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये सत्वी 'ज' आगे पृष्ठ ४१८ पर)

*६८—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि जिला कानपुर के ग्रामों के विद्युतीकरण करने के लिए ग्रामों के चयन की कोई सूची शासन या जिला अधिकारी या सम्बन्धित बिजली विभाग ने बनाई है ? यदि हां, तो इस सूची में जिले की भोगनीपुर तहसील के अमरोधा ब्लाक और राजपुर ब्लाक के तथा डेरापुर तहसील के सदेलपुर ब्लाक के कौन-कौन ग्राम हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

*६९—श्री अब्दुस समी—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

जैनुद्दीननगर में नलकूप की आवश्यकता

*७०—श्री महम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा जैनुद्दीन नगर, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर में सरकारी ट्यूबवेल कब तक लगाया जा सकेगा ? यदि नहीं लगाया जा रहा है तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इस ग्राम में एक सरकारी नलकूप मार्च, १९६७ तक बनने की आशा है यदि उस को स्वीकृति जिला नलकूप परामर्शदात्री समिति से मिल जाती है।

मुरादाबाद में बिजली सर्विस कनेक्शन

*७१—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि क्या यह सत्य है कि बिजली सर्विस कनेक्शन नं० १९४५५ शहर मुरादाबाद में, जो दिनांक १८ फरवरी, १९६३ को चालू हुआ है, यह सर्विस कनेक्शन सरकारी कागजात में जाल बना कर किसी दूसरे के नाम पर कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ? और सरकार ऐसे सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट तथा फौजदारी के मुकदमें

*७२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में हर अदालत में क्रिमिनल केसेज कितने ऐसे हैं जिन्हें एक साल से ज्यादा हो गए और उनके फैसले अभी नहीं हुए हैं?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अलीजहीर)—

मैजिस्ट्रेटों के न्यायालय में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। अस्थायी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ऐसे तीन मुकदमे हैं।

*७३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[बाराबंकी जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट या बेंच मैजिस्ट्रेट में कौन-कौन व्यक्ति हैं और उनकी शिक्षा सम्बन्धी तथा कानूनी जानकारी कितनी-कितनी है?

श्री सैयदअली जहीर—

बाराबंकी जिले में इस समय श्री मोहम्मद अशरफ किदवई, स्पेशल मैजिस्ट्रेट तथा श्री मोहम्मद एहसान अन्सारी और श्री रामगोपाल सिंह बेंच मैजिस्ट्रेट हैं। श्री किदवई हाई स्कूल तक पढ़े हैं तथा शेष दोनों मैजिस्ट्रेट हाई स्कूल परीक्षा पास हैं। इन्हें कानून की उचित जानकारी है।

*७४-७६—श्री गंगाप्रसाद—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७७-७८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७९-८०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

हल्द्वानी तथा रुद्रपुर से रोडवेज कर्मचारियों की कुम्भ मेला में ड्यूटी

१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हल्द्वानी और रुद्रपुर से राजकीय रोडवेज के कितने अधिकारी, लिपिक या अन्य कर्मचारी इलाहाबाद कुम्भ ड्यूटी पर भेजे गए हैं और उनके स्थान पर कितने लोग नए रखे गए हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

१०१ कर्मचारी। इनके स्थान पर कोई नया कर्मचारी नहीं रखा गया।

२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रुद्रपुर राजकीय बस स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क, खजांची तथा अन्य कर्मचारियों को अकेले ही १२ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है? यदि हां, तो क्यों? और उनको ओवर ड्यूटी एलाउन्स दिया जायगा या नहीं?

श्री मुजफ्फर हसन—

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के अन्तर्गत ड्यूटी ली जाती है। ओवर टाइम का पैसा भी उक्त ऐक्ट के अनुसार दिया जाता है।

सदर दफ्तर, नहर, जिला बाराबंकी

३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग में काम करने वाले तार मुंशी (टेलीग्राफ अटेंडेंट) का वेतन-क्रम क्या है और यह कि उन्हें क्या महीने में कोई छुट्टी मिलती है?

श्री गिरधारीलाल—

तार मुंशी नाम की कोई पोस्ट सिंचाई विभाग में नहीं है।

४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

बाराबंकी जिले के नहर विभाग में सदर आफिस में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद पर हैं और वे बाराबंकी में किन-किन तारीखों से काम कर रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये परिशिष्ट 'अ' भाग पृष्ठ ४१९-४२० पर)

५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

बलिया बैरिया बांध मार्ग

६—श्री मैनेजरसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बलिया जिलान्तर्गत गायघाट के निकट गंगा नदी के किनारे ठोकरों के निर्माण के सम्बन्ध में योजना से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे?

श्री गिरधारीलाल—

बलिया जिलान्तर्गत गायघाट के निकट गंगा नदी के किनारे अभी ठोकरों के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

७—श्री मैनेजरसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि बलिया–बैरिया बांध–मार्ग की गायघाट के निकट रक्षा की व्यवस्था कर ली गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

बलिया–बैरिया बांध मार्ग को गायघाट के निकट रक्षा की दृष्टि से पीछे हटाने की योजना विचाराधीन है।

लखनऊ क्षेत्र में रोडवेज कण्डक्टरों की नियुक्ति

८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ रीजन में रोडवेज कण्डक्टरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा पिछले बार कब हुई, कितने उत्तीर्ण हुए तथा उन उत्तीर्ण कण्डक्टरों में से कितने को अब तक नियुक्त किया गया है?

श्री मुजफ्फर हुसन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय नववर्ष शक संवत् १८८८ के उपलक्ष में शुभकामना संदेश

श्री अध्यक्ष—

इस आदरणीय सदन की अनुज्ञा से मैं एक नयी बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारा राष्ट्रीय नव वर्ष १८८८ प्रारम्भ हो रहा है। इस राष्ट्रीय नव वर्ष के उपलक्ष में, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों को अपनी तरफ से सादर शुभकामना और बधाई प्रस्तुत करता हूं। (हर्ष ध्वनि)

एक सदस्य—

कल से आरम्भ होगा?

श्री अध्यक्ष—

यह शक संवत्सर है, वह विक्रमी है जो कल से आरम्भ होगा। शक संवत्सर हमारा राष्ट्रीय वर्ष है। तो इस पर्व के उपलक्ष में माननीय सदस्यों के साथ-साथ इस प्रदेश के समस्त निवासियों को इस आदरणीय सदन की शुभकामना प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस उत्तर प्रदेश की तरफ से सारे भारतवर्ष के लोगों को, जिससे यह बात कि हमारा राष्ट्रीय वर्ष आज आरम्भ होता है यह ज्ञात हो जाय। यह विचार मेरे मस्तिष्क में उठने का कारण केवल यह था कि अनेक पत्र शुभकामनाओं के, जनवरी में, मेरे पास आए, मुख्य मन्त्रियों के, अध्यक्षों के, सभापतियों के और प्रधान मंत्री तथा राज्यपाल के आये हैं। दिवंगत माननीय लालबहादुर शास्त्री जी द्वारा जो मुझे शुभकामना का पत्र प्राप्त हुआ, वह अंग्रेजी में था और उसका एक अंश हिन्दी में था। उसी समय मेरे मस्तिष्क में विचार हुआ कि कदाचित् अपने राष्ट्रीय पर्व को प्रतिष्ठित करने के लिए और जिन परम्पराओं को हमने अंगीकार किया है उनको पुष्ट करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस दिवस को मनायें। सारे भारतवर्ष में शुभकामना का पत्र मैं हिन्दी में भेजूंगा ताकि सबको मालूम हो जाय कि हमारी राष्ट्र भाषा क्या है और हमारा राष्ट्रीय दिवस क्या है।

[श्री अध्यक्ष]

अन्त में, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि नियम समिति में बातचीत हुई थी और माननीय रामसुन्दर जी शास्त्री ने मुझसे उस समय आग्रह किया था कि आज का दिवस अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। वह नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था बजट के कारण, लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करूंगा कि भारत सरकार और हमारी सरकार भी आज के दिवस को मनाने के लिए विशेष व्यवस्था करे ताकि सभी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी इस बात से सचेत हो जायं और अच्छी तरह से अवगत हो जायं कि हमारा राष्ट्रीय वर्ष क्या है, उसकी तिथि क्या है और उस तिथि का क्या महत्व है। इन शब्दों के साथ मैं फिर आप सबको सादर अपनी शुभकामना समर्पित करता हूं। आज सायंकाल ७ बजे राज्य अतिथि भवन में हम राष्ट्रीय नववर्ष मनायेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस नयी परम्परा का सूत्रपात किया है, उसके लिए आज पहली बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि यह सरकार तो कुर्सी की लिप्सा में शराबोर है। आपने आज जो भारतीय आत्मा की कद्र करते हुए राष्ट्रीय दिवस के लिए कदम उठाया है उसके लिए हम आपके ऋणी हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं कहना भूल गया। जब इस सम्बन्ध में हमने निश्चय किया तो मैंने संसदीय संघ के सदस्यों को बुलाया। हमारे दुर्भाग्य से हमारे सभापति श्री बरबारीलाल जी शर्मा नहीं थे लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने भी हमारी इस प्रथा को स्वीकार किया है और वे भी हमारे साथ इस राष्ट्रीय दिवस के मनाने में सम्मिलित हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, आज आपने नए वर्ष के समारम्भ की जो बात रखी है, उस खुशी के उपलक्ष में मैं बुन्देलखंड के प्रसिद्ध कलाकार का गायन आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को वहीं सुनवाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया))—

श्रीमन्, इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जब आप नया साल का दिन मनाने की परम्परा डाल रहे हैं तो उसके साथ-साथ साल में तीन दिन जो नया साल मनाने की बात है यानी होली, ईद और पहली जनवरी, इनको भी खत्म किया जाय। यदि आप और एक नया दिन तकलीफ देने वाला पैदा कर दें तो इससे क्या लाभ है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप ठीक कह रहे हैं।

जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६६*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

श्रीमन्, मैं जिला पिथौरागढ़ की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६६ को, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ९५-ए के अनुसार चर्चा के लिए सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गई।

[नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें आई हैं। उनमें एक माननीय मैनेजरसिंह की सूचना को मैंने राजस्व मन्त्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दी है। एक माननीय चन्द्रबलीसिंह की आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ५० लाख टन गन्ना बिना पेरे पड़ा हुआ है। आज उद्योग के अनुदान पर बहस है। उस समय इसका उल्लेख हो जाय। अगर इस सम्बन्ध में आपको उत्तर न मिले तो हम इस पर फिर विचार करेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैंने जो सूचना दी है, उसको आप माननीय मन्त्री जी के पास भेज दें। पुलिस ने अब इन्स्टीट्यूशन में योजनाबद्ध चोरी शुरू कर दी है। जिस दिन इम्तिहान शुरू हुआ था, उसी दिन से चोरी करना शुरू कर दिया है। मैं वहां गया था और मैंने स्वयं इसको देखा है। अतः कृपया आप इसकी माननीय गृह मन्त्री के पास भेज दें ताकि उनका ध्यान आकृष्ट हो और वह उचित कार्य करें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भेज दूंगा।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—उद्योग, अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४३—लेखन समग्री और मुद्रण

*विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १०,८६,५४,९०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिए स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,४४,९९,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत २,२८,६६,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कृषि को बढ़ावें। उसके साथ-साथ इस प्रदेश की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिये हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहां के उद्योग धंधे बढ़ें। उद्योग धंधे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बड़े उद्योग, दूसरे वह उद्योग जो छोटे उद्योग कहलाते हैं और तीसरे बीच के उद्योग। बड़े उद्योगों का जहां तक सवाल है, उसके लिये तो प्रयास हो ही रहा है, लेकिन क्योंकि छोटे उद्योगों के सुधार से ही लोगों का, साधारण लोगों का स्तर ऊंचा हो सकता है इसके लिये हमने प्रयास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रसन्न शर्मा]

किया है कि अपने प्रदेश में छोटे उद्योग धंधे ज्यादा बढ़ायें और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे इस देश में जितने हाथ के बने हुए हेन्डी क्राफ्सट् हैं उनमें हमारे प्रदेश का स्थान प्रथम है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के सामान भी हमारे प्रदेश ने बहुत ज्यादा बनाये और इसमें हमारे प्रदेश का स्थान देश में दूसरा रहा। हमारे प्रदेश में पहले छोटे उद्योग धंधों में इतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी, लेकिन पिछले वर्षों में हमने यह प्रयास किया है कि हम छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ायें और इसका नतीजा यह हुआ कि सन् ६६ में उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में तीसरे नम्बर पर आ गया। हमारा यह निरंतर प्रयास है कि हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ें और हमारे यहां की माली हालत सुधरे। इस संबंध में आप लोगों की बात सुन लेने के बाद में उनका जवाब दूंगा और आपका इस समय अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आपसे बरख्वास्त करता हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और इस अनुदान को स्वीकार करें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान २४, ४८ तथा ४३ के अन्तर्गत मांग की राशियां घटा कर एक-एक रुपया कर दी जायं।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उद्योग मंत्री ने प्रदेश के उद्योगों के बारे में थोड़ा सा परिचय कराया। मैं और सदन यह समझता है कि उद्योग किसी भी प्रदेश या देश की अर्थ समस्या का सबसे बड़ा आधार होता है, लेकिन इस सरकार.....

श्री अध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव तो पढ़ दीजिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

वह मैंने पेश कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी और जो उप मंत्री जी जिन पर इस उद्योग का दायित्व है वह इस सदन में उपस्थित नहीं हैं और इसी से इस सरकार की कार्यक्षमता का पता चलता है। हमारा भारत १९४७ को स्वतंत्र हुआ और १९४८ में इस कांग्रेस सरकार ने मिक्सड इकानामी का स्लोगन जनता को दिया। उसके बाद सन् ५६ में उन्होंने कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना की जायगी। सोशलिस्ट पैटर्न में इनकी अर्थ व्यवस्था क्या है, इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। उसके बाद भुवनेश्वर में सन् ६४ में उन्होंने कहा कि समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की जायगी। बराबर उसमें तबदीली लाते रहे। सन् ६४ में इन्होंने समाजवादी अर्थतंत्र की बात कही। उसको देखते हुए मुझे कहना पड़ता है कि उस पर इन्होंने जो ज्यादा ध्यान देना चाहिये था वह नहीं किया।

(इस समय १२ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

उद्योगों का जहां तक संबंध है, बड़े और माध्यमिक उद्योगों में दो तरह से काम हुआ है। केन्द्रीय सरकार वृहत और मध्यम उद्योगों को करती है और प्रान्तीय सरकार भी कुछ उद्योगों को करती है। उसमें से एंटी बायोटिक कारखाना सन् ५६ के कार्यकाल में हुआ और विद्युत् उपकरण प्रयोजन हरिद्वार में ६८.५० करोड़ की पूंजी लगी और मोटर असेम्बलिंग और डीजल लोकोमोटिव, वाराणसी डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से स्टार्ट हुए। उर्वरक कारखाना, गोरखपुर में और सिंगरौली में चल रहा है। जहां तक सरकारी उद्योगों का संबंध है, उसमें चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, फायर ब्रिक्स प्लान्ट और डल्ला की नई सीमेन्ट फैक्टरी, राजकीय सूक्ष्म यंत्रों को....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जो इसको पढ़ रहे हैं कागज को इसमें से कोई उद्धरण पढ़ें तो उचित होगा। पूरा पढ़ना ठीक नहीं है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

में उसमें से कुछ देख कर पढ़ रहा हूं। अब कतई नहीं पढ़ूंगा। मैं चाहता था कि कुछ उद्धरण जो लिखकर लाया था वह पढ़ दूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नहीं, नहीं जरूर पढ़िये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

प्राइवेट सेक्टर में जितनी इंडस्ट्री पनपेगी, उससे पूंजीवादी व्यवस्था फैलेगी और शोषण की नीति को बल मिलेगा और पब्लिक सेक्टर में जितनी इंडस्ट्री प्रगति करती है उतना ही देश की समाजवादी व्यवस्था के लिये आशा और विश्वास बनता है और आर्थिक उन्नति दृढ़ होती है इसी उद्देश्य से हमने अपनी अर्थ व्यवस्था को समाजवादी अर्थ व्यवस्था बनाने के लिये प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक सेक्टर के पनपाने के लिये प्रयास किया। लेकिन जितना प्रयास होना चाहिये था उतना इंडस्ट्री में नहीं हो पाया। मान्यवर, मैं आपके समक्ष कुछ उद्धरण पेश करना चाहता हूं कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट हर एक स्टेट का कितना है। आंध्र का है ०.३०, आसाम ०.७२ बिहार ०.५२, काश्मीर ०.२८, केरल का ०.३४, मध्यप्रदेश का ०.७०, मद्रास का १.३२, मैसूर का ०.५५, महाराष्ट्र का है ०.६६, उड़ीसा का ०.३४, पंजाब का है ०.३६, राजस्थान का ०.२६ और उत्तर प्रदेश का ०.३७ है। वेस्ट बंगाल में ०.६६, इस तरह से टोटल इन्डिविजुअल इन्वेस्टमेन्ट स्टेट में ०.५२ रु० हुआ, जब कि हमारे स्टेट में ०.३७ रु० हुआ। तो इस तरह से पर कैपिटा टोटल इन्डिविजुअल इन्वेस्टमेन्ट के हिसाब से भी हम पीछे हैं। हमारा स्टेट दुनिया के कई देशों के बराबर है और इस देश में यह सब से बड़ा स्टेट है लेकिन औद्योगीकरण में यह बहुत पीछे है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि हमारे प्रदेश में सही माने में औद्योगीकरण होना चाहिये।

अब तक इस स्टेट में औद्योगीकरण न करने के पीछे यह भावना रही कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या मंत्री हुआ या जो भी सरकार में शासन करने वाला व्यक्ति हुआ उसने सब से पहले अपने क्षेत्र का, अपने निजी संबंधियों का, अपने परिवार के व्यक्तियों का और अपने समुदाय के व्यक्तियों का खयाल किया और इस तरह से वे नहीं चाहते थे कि और जगह भी औद्योगीकरण हो। मैं आपको एक उद्धरण देना चाहता हूं जिससे सही स्थिति का ज्ञान हो जायगा। इलाहाबाद में फूलपुर का एक इलाका है, जहां एक भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर और उनके परिवार के लोग रहते हैं। वहां औद्योगीकरण के लिये कई करोड़ रुपये दिये गये। १२ करोड़ रुपये लगा कर वहां इंडस्ट्रीज लगाने की बात की गयी। यह तो एक विशेष इलाके की बात है जहां औद्योगीकरण के लिये इतने सारे रुपये दिये गये हैं। विकास सब जगह होना चाहिये लेकिन वह न होकर सिर्फ फूलपुर को ही उद्योगों के जरिये विकसित करना मैं ठीक नहीं समझता। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में और जगह भी जनता रहती है, इसलिये वहां के लिये भी विकास की बात होनी चाहिये। फूलपुर में जो इंडस्ट्रीज लगायी गयी हैं उनके लिये पहले यह नहीं देखा गया कि उनके लिये रा-मेटिरिअल वहां प्राप्त होते भी हैं या उनको बाहर से मंगाना पड़ेगा। कानपुर के डाइरेक्टोरेट को इस संबंध में पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिये था लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

कानपुर के पास ही रनिया की बात मैं आपको बतलाऊं कि वहां इंडस्ट्रीज लगाने के लिये उद्योग पतियों का २ करोड़ रुपये लगाने का कमिटमेन्ट था। डाइरेक्टोरेट से लोग रा-मेटिरिअल वहां के लिये ले लेते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज का वहां पर कहीं पता ही नहीं है कि कहां इंडस्ट्रीज हैं और किस तरह की हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं रनिया में आप जाइये और वहां जाकर देखिए कि जहां २ करोड़ रुपये का कमिटमेन्ट था लेकिन ५० हजार रुपये से ज्यादा की चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। इस तरह से हवा में, विचारों में इंडस्ट्रीज लगाने से काम नहीं

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

चलेगा। सही माने में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो तभी आप इस प्रदेश में कुछ विकास का कार्य कर पायेंगे। यह कोई रनिया का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तो पूरे सूबे का प्रश्न है।

श्रीमन्, मैं ग्लास इंडस्ट्री को बिलांग करता हूँ। वह इंडस्ट्री ब्रिटिश काल में १९०८ में चली आ रही है। १९०८ से लेकर आज तक करीब ५८ वर्ष होने वाला है, इस ५८ वर्ष का पूरा इतिहास यह है कि आपका ग्लास टेक्नोलाजिस्ट जो कानपुर में रहता है, आजादी के बाद से उन्होंने कोई नया डेवलपमेन्ट नहीं किया डिजाइनिंग वगैरह में। वहीं के कारीगर जो वहां स्किल्ड लेबर के रूप में रहते हैं, उन्होंने ही अपने आप कुछ डेवलपमेन्ट किया है। वहां कांच बनाने के काम में आने वाला एक रा मेटीरियल होता है, जो कैडियम सलफाईड होता है जो कि कैडमियम मेटिल से तैयार होता है। यह मेटल चांदी में भी मिलाया जा सकता है और मिलाया जाता है। इसका लाइसेन्स फिरोजाबाद में १० व्यक्तियों को मिला हुआ है। यह लोग काफी ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसके लिये मैंने कई बार इन्डस्ट्रियल केमिस्ट, डी० आई० तथा अन्य अधिकारियों को लिखा कि वे इस पर नियंत्रण लगायें और उस पर ब्लैकमेलिंग न हो पाये। यह मेटिल ३० रुपये किलोग्राम की दर से इम्पोर्ट से खरीद कर लाता है, और बाद में मिश्रण करके इसका कैडमियम सलफाइड बनाकर इसको ८० रुपये प्रति किलो ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। इसको लोग बाम्बे पोर्ट पर ही बेच आते हैं। सरकार को इस पर जांच करके नियंत्रण लगाना चाहिये। जिन लोगों को इसके लाइसेन्स दिये गये हैं उनको उद्योग से कोई मुहब्बत नहीं है, देश की गरीबी से कोई मुहब्बत नहीं है, आर्थिक विकास से कोई मुहब्बत नहीं है, उन्हें तो किसी तरह से पैसा पैदा करना है, उन्हें अपने पेट की रोटी से मुहब्बत है। यह लोग अपनी चालाकी से पैसा पैदा करते हैं। ताम्बा, जस्ता, टीन की चद्दरें, यह जितनी भी चीजें हैं, लोग इनके परमिट लेकर इनको ब्लैक में बेच देते हैं। माननीय उप मंत्री जो यहां नहीं हैं इसलिये मैं कुछ उनके विषय में कहना ठीक नहीं समझता। वर्ना मैं बहुत से रहस्योद्घाटन करता। कानपुर डाइरेक्टोरेट की तमाम मिसालें मैं दे सकता हूं, इसके सिवाय सत्ता में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक-एक साल में ५-५ लाख की हुन्डियां चुकाई हैं। खुलेआम नोटों का लेनदेन हुआ करता है। कानपुर से अधिकांश कच्चा माल बाहर जाता है। इसके कई केस पकड़े भी जा चुके हैं। २-२, ४-४ टन के लोग परमिट लेकर इन उद्योग वालों के हाथ बेचते हैं और वे इसको बाहर भेजते हैं। इस संबंध में कुछ लोग पकड़े भी गये हैं, उस पर जांच भी अभी चल रही है। कानपुर से पाकिस्तान जाते हुए बैगन पकड़े गये थे जिसकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है।

मैं श्रीमन्, ग्लास के बारे में बता रहा था। चौधरी नन्द राम जी सैनी को ग्लास इन्डस्ट्री १९०८ से चल रही है। इसमें ब्लाक ग्लास तैयार होता था। इसको पिघला कर शीशियां चूड़ियां, तथा अन्य शीशे के सामान तैयार किये जाते थे। यहां से लोग इसको ले जाकर अधिकतर चूड़ियां बनाते थे। और इस तरह से धीरे धीरे इस फैक्टरी के द्वारा कांच उद्योग की उन्नति होती गई और फीरोजाबाद में रेशम की चूड़ी बनी और उसमें तरह तरह के रंग व डिजाइनों का आविष्कार हुआ और उसमें भी तरक्की होती गई और इसके मालिकान ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये आस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंगलैन्ड और जापान से ग्लास एक्सपर्ट बड़े-बड़े वेतनों पर बुलाये। इसके साथ-साथ इसके मालिकान जापान गये और वहां पर ग्लास इन्डस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से स्टडी की कि हम हिन्दुस्तान में जाकर क्या तरक्की कर सकते हैं। उनको इतना सब कुछ अनुभव होते हुए भी यहां इन्डस्ट्रियल ऐडवाइजरी कमेटी जो बनी उसमें नहीं लिया गया तथा ग्लास इंडस्ट्री की तरफ से जो व्यक्ति लिये गये वे ऐसे लोग लिये गये जिनको ग्लास के बारे में ए० बी० सी० डी० भी नहीं मालूम है। अगर हमें सही मानों में इन्डस्ट्री को पनपाना है और उसका विकास करना है, चाहे वह कोई भी उद्योग हो, तो पहिले यह सोचना होगा कि आदमी को उस उद्योगों में योग्यता तथा सेवा के आधार पर ही हम उसे ऐड-

बाइजरी बोर्ड में लेंगे। सिर्फ इसलिये नहीं कि वे हमारे रिश्तेदार या मित्र हैं। मंत्री जी या दूसरे अधिकारी यह सोचकर एक लेमन को वहां इस प्रकार लगा दें तो मैं समझता हूं कि इन्डस्ट्री का सही मानों में विकास नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, इसके साथ-साथ चूड़ी उद्योग पर एक अजीब सा संकट आया हुआ है। पिछले दिनों जो सेल्सटैक्स लगता था वह चूड़ी जहां बनती थी वहां सात परसेन्ट लगता था और चूड़ी के लिये जो मैटिरियल होता है उस पर भी सात परसेन्ट लगता था। उसको सजाकर मिडलमैन बेच देता था। उसमें कोई टैक्स नहीं था। हमारी सरकार ने फरवरी से नोटीफिकेशन करके सात परसेन्ट और बढ़ा दिया है और दो परसेन्ट सेन्ट्रल सेल्सटैक्स लगता है। तो इस तरह से चूड़ी पर २३ परसेन्ट सेल्सटैक्स लगता है जब कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चूड़ी को सुहाग चिह्न समझ कर इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ-साथ यह नोटीफिकेशन हो जाने के बाद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक पैसा टैक्स वसूल नहीं कर सकती। जो बड़े बड़े गोदाम चलाते हैं वे अपने माल को नागपुर, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, पटना, बिहार और उड़ीसा आदि बड़े बड़े स्थानों को ट्रान्सफर कर देते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता। वे कहने हैं हम तो माल बेचते नहीं हैं ट्रान्सफर कर रहे हैं परन्तु जो गान्धी जी की जय बोलते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि कभी देश में उद्योग का विकेन्द्रीकरण होगा, कुटीर उद्योग पनपेगा, वह टैक्स उन्हीं आदमियों को देना पड़ेगा। क्योंकि उसको यहीं सेल करना है। अगर वही मर जायगा तो गान्धीवाद मर जायगा। इसलिये हम लोगों को चाहिये कि अगर कुटीर उद्योग पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे कि इन्डस्ट्री मर जाय, जिससे डेढ़ लाख लोगों का जीवन पनपता है, हजारों ऐसी अंधी अपाहिज बेवायें जिनको और कहीं काम नहीं मिलता है, उनको यहां काम मिल जाता है, तो उस इन्डस्ट्री पर जो नया टैक्स लगा है मैं समझता हूं कि सरकार विचार कर रही है और उसको माफ कर देगी।

इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि ग्लास के जो ट्वायज का काम है या सजावट की चीजें बनने लगी हैं उन सब चीजों की ओर हमारे डायरेक्टोरेट और उद्योग मंत्रालय ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, वहां पर ट्वायज में मछली और हाथी तथा तरह तरह के कांच के खिलौने बनते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनकी फर्स्ट क्लास मूर्तियां बनती हैं। जहां तक मुझे याद है हमारे यहां को चूड़िया अदन, पोर्ट सईद, आसाम और बहुत जाती थीं। वहां के व्यापारी चूड़ियां लेने आते थे। इसके अतिरिक्त उनके एक्सपोर्ट और दूसरे खिलौनों की चीजों के एक्सपोर्ट के लिये सरकार ने आजादी के बाद कोई प्रयत्न नहीं किया है। इसलिये यह उद्योग पिछड़ा हुआ है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये यहां काकरी भी बनती है जो जन जीवन का उपार्जन का साधन है। इसके लिये विदेशों बाजार तलाश हो। इस प्रदेश का करोड़ों रुपया इन्डस्ट्री के नाम पर लोन दिया जाता है लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से यह सरकार वसूल नहीं कर पाती है। उदाहरण स्वरूप १४३ लाख रुपया साहू जैन बनारस वालों पर बाकी है। उन्होंने न सूद दिया है और न असल दिया है। दो करोड़ रुपया मार्टिन बर्न, इलेक्ट्रिक कंपनी पर बकाया है, ९० लाख रुपया राम रतन गुप्ता, कानपुर वालों पर बाकी है। उन्होंने अपने कमिटमेन्ट और एग्रीमेन्ट के अनुसार फैक्टरी को नहीं लगाया और न रुपया ही लौटाया जा रहा है। ६ करोड़ रुपया प्रदेश की ओर बिजली कम्पनियों पर सरकार का बकाया है। इसके अलावा इनसे जो सरकार सूद लेती है वह साढ़े चार प्रतिशत लेती है जब कि किसानों से सरकार ९ प्रतिशत लेती है। जो कुछ रुपया कर्ज में दिया गया है उसका ४३ प्रतिशत रुपया लघु उद्योगों में लगाया जाता है और ५५ प्रतिशत अन्य कामों में खर्च कर दिया जाता है। उद्योगों के नाम से जो रुपया दिया गया है उसके ५५ प्रतिशत का दुरुपयोग हुआ है।

आजादी के बाद किसी भी देश का जो सबसे पहला नारा होता है वह उस देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का होता है। हमारा देश भिन्न-भिन्न जातियों भिन्न-भिन्न धार्मिक मान्यताओं

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

और भिन्न-भिन्न वर्गों का देश है। इसके अलावा भिन्न-भिन्न जाहरी जातियों ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसकी सभ्यता और संस्कृति तथा अर्थ व्यवस्था को विध्वंस कर दिया था इसलिये आजाद होने के बाद उसको ऊपर उठाना हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है। अपनी आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिये हमें अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लाना होगा और अपने वहां जो कच्चा माल होता है, जो माल दरियाओं से, जंगलों से और खानों से प्राप्त होता है, उनसे कुटीर उद्योगों को स्थापित करना होगा।

जहां तक जंगलों का संबंध है, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी आदि स्थानों पर जो लकड़ी आदि होती है, उसको हम ठेकेदारों को दे देते हैं। अगर हम वहां पर स्टेट की ओर से कारखाने लगाये तो बहुत सी अच्छी चीजें वहां बनायी जा सकती हैं। बड़े बड़े कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं जिससे कि बेकारी भी दूर हो सकती है। इमारती लकड़ी, प्लाई वुड के कारखाने, बुरादे से चीजें बनाने के कारखाने, खिलौने बनाने के कारखाने, हार्ड बोर्ड बनाने के कारखाने हम लगा सकते है जिससे वहां की गरीब जनता की गरीबी दूर की जा सकती है। हमारा प्रदेश कृषि उपज का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, हमारे यहां ८० प्रतिशत इंसान देहात में रहते हैं, जिनका कि खेती पर ही जीवन निर्भर है। खेतों से भी बहुत सी ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिन से हम फूड प्रोडक्ट्स बहुत से तैयार कर सकते हैं। हमारे यहां खाने की भारी समस्या है और मक्का आदि ऐसी चीज हैं जिन से हम तरह तरह की चीजें जैसे स्टार्च, कार्न फ्लेक्स या उसका लावा या भूजा आदि तैयार करके उस को टिन करा सकते ह। यह पूर्वी और पश्चिमी सभी जिलों में हमारे यहां पैदा होती है। शायद सूजी मैदा भी इससे बनती है। इसी तरह से चावल से भी बहुत सा सामान बन सकता है। हमारे यहां कुटीर उद्योग में भुजी लोग आते हैं और वह अपने पुराने ढंग से ही आज भी खील संया भूजा करते हैं अपने छप्परों में, हम आज के मशीन के युग में उनको मशीन वगैरह देकर और पावर कनेक्शन देकर उन का आधुनिकीरण कर सकते हैं। मैंने दिल्ली में कनाट प्लस में देखा और यहां भी एक दिन मैंने हजरतगंज में देखा कि वह बिजली से किसी तरह से मक्का की खील बनाते हैं और शायद ४ आना की आधा छटांक ही देते हैं जबकि आज भी हमारा देहाती भुजी बेचारा अपने पुराने साधनों से ज्यादा ही देता है। अच्छा हो कि इन चीजों को डेवलपमेंट किया जाये। हमको चाहिये कि इन चीजों को प्रोत्साहन देकर दूसरे देश के पैमाने पर चीजों को विकसित करें। हमें इनको मेशीनरी और पावर के कनेक्शन देने चाहिये।

हमारे यहां पशुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है और जो पशु मर जाते हैं, उनके चमड़े से लेदर गुड्स बन सकते हैं। इस तरफ भी हमने खास तौर से अभी ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा सरेस, गोंद हड्डी खाद वगैरह भी सींग आदि से बन सकता है। आगरे में फुटवियर बनाने वालों ने कोआपरेटिव्ज बनाकर कुछ काम कर रखा है और बड़ी मुश्किल से उन को सरकार से रजिस्ट्रेशन मिला है और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट स्कीम में भी काम करके अभी ५-६ साल पहले रूस से जूतों का आर्डर लिया और ५ करोड़ रुपये का निर्यात किया। इसके अलावा वहां फैन्सीलेदर गुड्स भी बनता है और आगरा इस उद्योग में किसी से पीछे नहीं है लेकिन वहां की जो काटेज इंडस्ट्री है उस को हर तरह से पेरेलाइज कर दिया गया है। वहां होता यह है कि जिसको ५०० रुपये की सहायता दी जाती है उसको मुश्किल से ३०० रुपये ही आखिर में मिल पाते हैं और २०० रुपये इधर उधर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वहां के छोटे कुटीर उद्योग वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी जाय। वह जो सरकार का रुपया किसी पर २ करोड़, किसी पर ५ करोड़ बकाया है, एक एक व्यक्ति के ऊपर, उस को लेकर अगर इन हजारों लाखों छोटे-छोटे कुटीर उद्योग वालों को दिया जाय तो उस से उद्योग का भला तो होगा ही साथ ही पूंजी का विकेंद्रीकरण भी होगा जैसी कि आप की नीति है।

हमारे पूरे देश में वारनिश और पेंट भी करीब २५ करोड़ का पैदा होता है और पूरे देश में इस के २०० यूनिट्स हैं, जिसमें से दस यूनिट्स इस प्रदेश में हैं जो कि ७६ लाख का माल हर साल बनाते है। इसके अलावा अलसी हमारे पश्चिमी जिलों में बहुत पैदा होती है

पूर्व को तो मुझे नहीं मालूम उधर भी होती होगी। वह बारनिशों और पट्स के बनाने में काम आती है और इसके तेल का निर्यात भी किया जाता है। अगर हम इस उद्योग को भी घर-घर छोटे यूनिट्स में कुटीर उद्योग की तरह से विकसित करें तो काफी उन्नति हो सकती है। इस तरह से यह उद्योग जो आज हमारे यहां केवल ७६ लाख का है वह ५ करोड़ तक का हो सकता है। लेकिन इस ओर हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, मैं पिछले दिनों बनारस गया था। मैंने वहां पर देखा कि.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें और अंतिम बात जो कहना हो कह लें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि बनारस और मुरादाबाद का जो काम है वह आज का नहीं है बल्कि सल्तनत मुगलिया, यानी अकबर के समय से पूर्व का है। यहां के काम का दूसरे देशों में बहुत बड़ा मार्किट है,लेकिन मैंने बनारस में देखा कि वहां पर जो जुलाहे हैं, उनका बुरी तरह से शोषण होता है। ईद से ३ दिन पहले हम वहां पर थे। हमने उससे एक साड़ी का दाम पूछा तो उसने बताया कि इसकी कीमत ५० रुपये है लेकिन आप इसको २५ रुपये में ले सकते हैं। फिर उससे कहा गया कि यह दाम तो बहुत अधिक है तो फिर वह १५ रुपये में देने को तैयार हो गया। तो एक दुकानदार ने उसको ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि बीच में एक फाइनेंसर होता है जो उससे ले लेता है और अधिक कीमत पर बाजार में बेचता है। तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मुझे कहना है कि हमारा जो खेतिहर इलाका है उसमें कोल्ड स्टोरेज बन गये हैं। उन्हें कनेक्शन भी दिये जाते हैं और कर्ज भी दिया जाता है। अभी जो फसल पैदा होती है वह इसलिये सस्ती नहीं हो पाती है चूंकि उसको कोल्ड स्टोरेज वाले लेकर कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और नतीजा यह होता है कि जो बाबू हैं, जो क्लर्क हैं या जो हमारे रिक्शा चालक हैं या मजदूर हैं उनको नयी सब्जियां २ रुपये पर मिलने लगती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि वे लोग नहीं खा सकते हैं। वास्तव में किसानों से व्यापारी वर्ग जो है वह चोप रेट में ले लेते हैं और उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखकर काफी फायदे पर बेचते हैं और उससे काफी लम्बे चौड़े पैसे वसूल करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें दूसरे देशों से बैकवर्ड रहना चाहिये लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उस पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये। पिछले वर्षों में कोल्ड स्टोरेज के अन्दर माल के रखने का किराये का रेट ३ रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन अब मैंने सुना है कि यह किराया बढ़ कर १८ और १९ रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

*श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय भगवानदास यादवेन्दु हमेशा ही बड़े अच्छे वक्ता रहे हैं और साधारणतया उनके भाषण में बड़ी शक्ति, बड़ा जोश और खरोश रहता है परन्तु आज न मालूम क्या कारण है कि वे चूड़ी और बनारसी साड़ियों में ही रह गए।

मान्यवर, जो अनुदान आज सदन में प्रस्तुत है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। इस प्रदेश का भविष्य भी यहां की इन्डस्ट्रीज पर ही निर्भर करता है। यदि यहां की इन्डस्ट्रीज बढ़ेंगी, तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा। जिस प्रदेश की ६० प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित हो और जिसकी आय केवल ३ १/२ प्रतिशत और राष्ट्रीय आय १५ प्रतिशत हो तो मैं माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि प्रदेश के कल्याण के लिए हमारे इस औद्योगीकरण के अलावा क्या रास्ता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में २२०.१२ करोड़ रुपए की उद्योगों से इनकम हुई जो कि १०.६९ पहुंचती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ४२० करोड़ रुपए का अन्दाजा लगाया जाता है और उसके अन्त में हमारी इनकम १४.८ प्रतिशत तक पहुंच जायगी। जो पालिसी हमारे डायरेक्टोरेट आफ इन्डस्ट्रीज की है, उसकी आज समीक्षा करने की जरूरत है। पिछले ५ वर्ष में डायरेक्टोरेट ने जो काम किए हैं वे अवश्य सराहनीय हैं। जहां तक डिफेन्स प्रोडक्शन का मामला है उसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है लेकिन और चीजों में मुझे बहुत कमी दीख पड़ती है और मैं साफ तरीक से कुछ चीजें सरकार के समक्ष रखना चाहती हूं।

मैं जानना चाहती हूं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में कितनी प्रगति हुई है ? ५,३१० से ११,१८४ स्माल यूनिट्स हमारे सामने हो गए हैं लेकिन इनमें कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे जितने नए रजिस्ट्रेशन हैं वे तो सामने आ जायं और किन्हीं कारणों से जो हमारे पुराने रजिस्ट्रेशन हैं, वे उठ जावें। यह खुशी की बात है कि सन् ६४-६५ में ३३ लाइसेन्सेज दिए गए और सितम्बर, ६५ तक २९ लाइसेन्सेज दिए गए। लेकिन मन्त्री महोदय कृपा कर उस पर इम्प्लायरी करें। ये लाइसेन्सेज जो दिए जाते हैं, इनमें से अधिकांश लाइसेन्सेज ऐसे हैं जो रिवोक कर दिए जाते हैं तो रिवोक करने का कारण क्या है ? इससे फिर पता चल सकेगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता के कारण ऐसा है या प्रशासन में कमी के कारण ऐसा है ? आज सारे राष्ट्र में ७ प्रतिशत राष्ट्रीय आय है और प्लानिंग कमीशन के सामने जब कोर्थ फाइव इयर प्लान बना कर भेजा गया और औसत आय बना कर भेजी गयी तो उसमें कहा गया कि ७ प्रतिशत से अपनी औसत आय को बढ़ाना होगा लेकिन हमारी आय ३ प्रतिशत भी नहीं है तो फिर यह कमी और गलती कहां है ? इसे हमको ढूंढ़ना होगा।

एक खास परिस्थिति उत्तर प्रदेश की है। हमारे पास कोई हारबर नहीं है, पोर्ट टाउन नहीं है। जितना सामान आता है बाहर से आता है। उस पर काफी खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं हैं जिन पर निर्भर रह सकें। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि क्या उसने प्रदेश में उद्योगीकरण में विकास के लिए कोई खास रियायतें दी हैं ? अधिष्ठाता महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने २३ सितम्बर, ६४ को इस सिलसिले में १६ प्वाइन्ट कंसेशन जारी किया है। उसे मांग कर यह सरकार भी उस पर विचार करे और हो सके तो उद्योगों को बढ़ाने पर विचार करे। उसमें मुख्य-मुख्य बातें यह हैं कि जो लोग नई इन्डस्ट्रीज कायम करना चाहते हैं उनको हर तरीके से सस्ती जमीन दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में कंसेशन दिया जाता है। ड्राबैक, सेल्स टैक्स में सहायता दी जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग मेटीरियल्स होते हैं जैसे सीमेंट और लोहा समय-समय पर सरकार की तरफ से उनको दे दिए जाते हैं लेकिन जब परमिट उनके आ जाते हैं तो उनको वह सामान वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा हाउसिंग सबसिडी और मार्केटिंग फैसिलिटीज दी गयी हैं।

इसके अलावा एक खास बात यह कहनी है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के माध्यम से प्रदेश में जगह-जगह हम इन्डस्ट्रीज देखने गए। हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो फंस गए हैं लेकिन औरों को सावधान रहना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि और अधिक सुविधायें सरकार को उनको उपलब्ध कराना चाहिए। कल अखबार में आया कि हमारे प्रदेश में १९ नई योजनायें आ रही हैं। सरकार ने अपने यहां इन्डस्ट्रियल ऐटमासफियर ऐसा पैदा किया है जिससे १९ इन्डस्ट्रीज इस प्रदेश में आ रही हैं लेकिन निश्चित रूप से कितनी आ रही हैं, इस पर दो राय हैं।

मैं एक बात यह भी निवेदन करूंगी कि हमारे यहां पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों से काफी असन्तोष है। मैंने जब इसको देखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हमारे इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट में १०६ आफिसर्स ऐसे हैं जिनको डाउनग्रेड किया गया है। ६० आफिसर्स ऐसे हैं जिनकी पे २५० से ८०० के ग्रेड में बढ़ा कर ३०० से ९०० रखी गयी लेकिन उसे घटा कर ७५० कर दिया गया है जब कि नए विभागों में सहकारिता, हरिजन सहायक आदि में आफिसर्स तथा कर्मचारियों को अपग्रेड किया गया है। इमर्जेन्सी के इस जमाने में हमको सोचना पड़ेगा कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको जमाने की आवश्यकता देखते हुए प्राथमिकता देनी होगी और जहां से वार फुटिंग पर कार्य किया जाय। लेकिन समाज कल्याण ऐसा विभाग है जिसे इस समय छोड़ा जा सकता है। ५ साल जब ऐसी परिस्थिति है तो उद्योग पर थोड़ा-सा जोर दिया जाय और इस कारण मैं यह जानना चाहूंगी कि ६० आफिसर्स को डाउन ग्रेड कर के ७५० रुपए पर क्यों लाया गया है? इसी तरह से एक असिस्टेंट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं उनकी सैलरी ५०० से १,२०० थी उसकी सिफारिश के आधार पर ४०० से १,००० कर दिया गया है लेकिन गवर्नमेंट की सब कमेटी ने उसे बढ़ा कर १,२५० किया है। इसी तरह से इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट में आप देखें कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट २५० से ७५० तक थी उसे बढ़ा कर ६०० की गयी है और इन्डस्ट्रीज में डिप्टी डायरेक्टर जो ६०० से १,२५० पाता था उसको घटा कर ४०० से १,००० क्यों किया गया? इसी कर्मचारी वर्ग से और अधिकारी वर्ग से आपको अपना भविष्य बनाना है तो इस तरह का भेदभाव किस आधार पर किया गया? यह विभाग अगर मुख्य मन्त्री जी के नीचे है तो कम से कम इसमें इस तरह का वर्गीकरण और डिस्क्रिमिनेशन की भावना हटा दी जाय।

एक चीज मुझे यह कहनी है कि डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज का काम टेक्निकल होता है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव जाब तो आई० ए० एस० आफिसर्स कर सकते हैं लेकिन इन्डस्ट्रीज का विभाग जो है उसमें टेक्निकल जाब है। इसके लिए हमको एक ऐसे आफिसर की जरूरत है, जिसको इन्डस्ट्रीज का अनुभव हो और उसके पास इतनी टेक्निकल नालेज होनी चाहिए जिससे उस पोस्ट का टेकअप करने के लिए वह सटेबिल हो। इसके अलावा यह भी होना चाहिए कि उसका पीरियड कुछ अधिक समय के लिए होना चाहिए क्योंकि एक साल काम जानने में लगता है, दूसरा साल काम जमाने में लगता है और तीसरे साल वह चल देता है। ऐसे आदमी को इन्डस्ट्रीज डायरेक्टोरेट का इन्चार्ज बनाया जाय जो टेक्निकल आदमी हो और जो इस विभाग में कई वर्ष रह कर उसे अच्छी तरह से सम्भाल सके। यह ठीक है कि टेक्निकल नालेज गेन करने में समय लगता है। लोग मारे-मारे फिरते हैं। उद्योग के बारे में यह बहुत बड़ा फैक्टर है। मान्यवर, अपने प्रदेश में खास चार मुख्य उद्योग हैं, लेदर, चीनी, तेल और टैक्सटाइल के। इनके बारे में कानपुर में आपने देखा होगा कि म्योर मिल ६ महीने से बन्द पड़ी है, कपड़े का कारखाना एक महीना बन्द रहा। आयल सीड के बारे में प्रदेश में जो हो रहा है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। टैक्सटाइल उद्योग के सम्बन्ध में एक से एक आदेश गए हैं, जिसके कारण उसकी दशा भी दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। ब्रिटेन में सन् १९५८ में एक गवर्नमेंट टेक्सटाइल ऐक्ट पास हुआ, उसके आधार पर उन्होंने अपने यहां इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया, लेकिन धीरे-धीरे उनका आधुनिकीकरण करने की सुविधाएं उन्हें प्रदान की गयी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आप पुरानी टैक्सटाइल मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं, तो उनको सुविधाएं अवश्य प्रदान की जायं जिससे वह धीरे-धीरे अपने उद्योग का आधुनिकीकरण करती चली जाएं। चीनी मिलों का संकट तो सबको मालूम ही है। इसके अलावा इसके बारे में मुझे एक बात और कहनी है। प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, इसमें वह गतिविधि नहीं आई है जो हमें महसूस होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा सारा भविष्य इस पर ही निर्भर है। हमारी उन्नति सोच विचार कर हो, आज यह सोचा जाय कि प्रदेश की उन्नति करनी है, आर्थिक विकास करना है तो इसके लिए अपना टैम्पो बढ़ाना होगा। इसके लिए केन्द्र से ही नहीं बल्कि अपनी इन्डस्ट्रीज़ह भी में स्थापित करनी पड़ेंगी।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी को मैं कुछ सुझाव दूंगा। मान्यवर, उद्योग विकास में आज हम सबसे पीछे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी २.८ इस उद्योग विभाग में लगी है, जबकि भारत में ४.२ लगी हुई है। हमारी आमदनी उत्तर प्रदेश में ७.९ है जबकि केन्द्र की १३.७ है। तो इस हिसाब से माननीय मन्त्री जी ने जो इन्डस्ट्री के बारे में उन्होंने अपने बयानों में दिया, उसमें इस चीज को नहीं बताया और हमें अन्धकार में रखा क्योंकि उन्होंने थोड़ी बात कह दी कि हम हैन्डीक्राफ्ट का सामान भेजकर पहला नम्बर पा रहे हैं और मिलिटरी में भेजकर दूसरा नम्बर पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि हैन्डीक्राफ्ट को कितना आप कम करने में लगे हुए हैं, घरेलू उद्योगों को आप नष्ट करने में लगे हुए हैं। चूड़ी उद्योग, खांड उद्योग, दरी उद्योग, सभी को आप अपनी नीतियों और नियमों से खत्म करने में तुले हुए हैं। आपके नियम ऐसे बने हुए हैं, और सेल्स टैक्स के नियम भी ऐसे बने हुये हैं कि हमारे कुटीर उद्योगों का विलोनीकरण होता चला जा रहा है। एक के बाद एक कानपुर में टैक्सटाइल की मिलें बन्द होती चली जा रही हैं। तो ऐसे ही खांड का उद्योग, टैक्सटाइल का, दरी का, यह सब के सब तहस नहस होते जाते हैं। आपको इन चीजों को देखने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, यह देखने के लिए कि इन वर्तमान नियमों के रहते उत्तर प्रदेश में उद्योग पनप रहे हैं या नहीं। सेल्स टैक्स लगाने से उस पर क्या क्या असर पड़ रहा है? यह कैसी विचित्र बात है कि आप ड्यूटी भी लगाते हैं, सेल्स टैक्स भी लगाते हैं और रिबेट भी देते हैं। आपने कहा कि हम खांड को बाहर नहीं जाने देंगे, आपको उस पर भी विचार करना पड़ेगा। आपको जोन सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। आप बाजार तोड़ते हैं और कहते हैं कि आप बड़ा कल्याण इस प्रदेश का कर रहे हैं। ६ जनवरी, १९६५ तक प्रति छोटी खांड बनाने वाली मशीन (साइज ९ इंच और १८ इंच) पर १,३०० रुपए प्रति मास सेन्ट्रल आबकारी कर लगा हुआ था। अलावा इस आबकारी कर के राब गलावट व शीरे पर, जो दोनों ही इस उद्योग के बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी क्रमशः तीन प्रतिशत व दो प्रतिशत सेल्स टैक्स भी लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स व अनेक लाइसेन्सेज भी लगे हुए थे तथा उत्तर प्रदेश सरकार का लाइसेन्स प्रति मशीन १०० रुपए प्रति वर्ष, सेन्ट्रल एक्साइज लाइसेन्स २५ रुपए प्रति वर्ष, सेल्स टैक्स १० रुपए प्रति वर्ष, गुड़ लाइसेन्स ५ रुपए प्रति वर्ष। इस प्रकार ढाई सौ रुपए लाइसेन्स और टैक्स देने के बाद क्या खांडसारी को पनपा सकते हैं? टैक्स लगा दिया। वे पढ़े लिखे आदमी हैं। हिसाब नहीं रख सकते। आपका इन्सपेक्टर तंग करता है। इस लिए खांडसारी उद्योग पर जो प्रतिबन्ध लगे हुए हैं उनको समाप्त किया जाय। यह चीनी उद्योग को बढ़ाने का षड़यन्त्र है। मेरे जिले में शुगर मिल पन्नी है जिस पर १८ लाख के लगभग उत्तर प्रदेश सरकार का कर्जा है और ६५ लाख किसानों का भुगतान नहीं किया। सरकार चीनी मिलों को खांडसारी उद्योग के ऊपर ले जाना चाहती है। खांडसारी को खाप बचाइए।

दूसरे हैन्डीक्राफ्ट के अन्दर बड़ा भारी गलत काम किया है। दरी उद्योग सीतापुर, आगरा, कानपुर में चल रहा है। पहले उस पर ड्यूटी लगायी गयी लेकिन जब देखा कि व्यवसाय समाप्त हो रहा है तो ड्यूटी हटा दी। अब फिर ड्यूटी लगायी। वहां प्रोडक्शन कम होने लगा है। सूत भी कम बिकने लगा है। मैंने सीतापुर रेलवे की आमदनी के हिसाब से आंकड़े इकट्ठे करवाए। सेल्स टैक्स लगने से पहले अक्तूबर, १९६५ में दो परसेन्ट सेल्स टैक्स लगाया, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ में २९ लाख की बिक्री हुई। १९६५ में १५ लाख। सूत की बिक्री अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर में, १९६४ में साढ़े बीस लाख की हुई और सेल्स टैक्स लगने के बाद साढ़े १७ लाख। इसी प्रकार रंग में ४५ लाख की बिक्री कम हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह आंकड़े हैं कहां के ?

श्री हिम्मतसिंह—

मैंने यह आंकड़े सीतापुर रेलवे स्टेशन और सीतापुर मंडी से यह आंकड़े इकट्ठे करवाए हैं। ऐसी मंडियां इलाहाबाद, आगरा, कानपुर में भी हैं। वहां की मंडियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि आपने खांडसारी को पट कर दिया। अब तुले हुए हैं कि हैण्डीक्राफ्ट कैसे पट हो। मैंने तीन महीने के आंकड़े लिए। आमदनी ३० हजार की हुई और इनकम टैक्स और रेलवे ड्यूटी मिला कर नुकसान ४४ हजार का हो गया। सूत पर दो परसेन्ट की जगह पर तीन परसेन्ट कर लीजिए तो बिक जायगा। परन्तु यह जो दो परसेन्ट का टैक्स लगाया वह उठा लीजिए। क्योंकि एक नम्बर से लगाकर १० नम्बर तक का सूत दरी में लगाने की व्यवस्था है और १० नम्बर से ऊंचे का कपड़ा बनता है, उसमें लगता है, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि हैंडीक्राफ्ट में तो यह करिये वरना काम नहीं चलेगा। दूसरी बात जो माननीय यादवेन्द्र जी ने कही है कि फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग खत्म हो रहा है तो वह तो होगा ही क्योंकि जब सभी जगह चूड़िया बनेंगी और उनमें नक्काशी का काम भी दूसरी जगह चला गया है तो उससे तो नुकसान होगा ही। तो इसको दिखाने के लिये भी एक कमेटी बनावें। आपको देखना चाहिये कि पंजाब में और दूसरे स्थानों में क्या हो रहा है लेकिन आप तो सिर्फ आमदनी देखते हैं लेकिन इस तरह से आपकी आमदनी भी नहीं बढ़नेवाली है। आपने देखा कि कालीन के १० हजार बुनकरों ने भूख हड़ताल की नोटिस दे दी क्योंकि उनकी तनख्वाह ३०० से घटाकर १०० कर दी गयी।

अब मैं राजकीय उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। उसके लिये एक कमेटी बनी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। (लाल बत्ती जलने पर) पांच मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं दो तीन मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री हिम्मतसिंह—

मैं राजकीय चूर्क सीमेन्ट फैक्टरी का उदाहरण लूंगा। वैसे तो जितने आपके सरकारी काम हैं, उनमें नान-टेक्निकल आदमियों को टेक्निकल कामों पर इन्चार्ज बनाकर के रखा गया है। यह खत्म होना चाहिये। जो टेक्निकली एक्सपर्ट हों उनको ही इंचार्ज बनाना चाहिये। आज तक चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी का कोई भी हिसाब ठीक से हमारे सामने गवर्नमेन्ट ने नहीं रखा। सम्पूर्णानन्द शिविर चल रहा है, वहां पर बन्दी लोग जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, वहां है कि एक दिन में १० मन पत्थर तोड़ेंगे और बेचेंगे लेकिन उन लोगों से दो टन पत्थर लिया गया और दसियों साल तक चलता रहा। उस शिविर के अध्यक्ष ने यह डिमांड की कि हमसे इतना पत्थर लिया जा रहा है और इस काम में लगभग ५ करोड़ रुपये की हमको क्षति हुई है। उन्होंने पिछले वर्ष गवर्नमेंट से इस विषय में पत्र मांगा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ज्यादा पत्थर से कितना ज्यादा सीमेंट में एक्सेस हुआ और उसके बारे में आपने क्या किया? आज तक उसके प्रति क्या कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार जितने भी सरकारी सेक्टर में काम चल रहे हैं सब घाटे में चल रहे हैं। नाममात्र का फायदा दिखाया जाता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चुर्क सीमेंट फैक्टरी का हिसाब सदन के सामने रखेगी और यह बतायेगी कि प्रति टन कितना खर्चा आता है और कितना बाहर आप बेचते हैं तब इससे मालूम पड़ेगा कि कितना घाटा हो रहा है और कितना मुनाफा हो रहा है। मुनाफा हमसे अधिक बढ़ाकर बताया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लैंक में सीमेंट जाती है और उस सीमेंट को क्लैंक से बचाने के लिए जो

[श्री हिम्मतसिंह]

सीमेंट को रंगने का प्रस्ताव है वह करना चाहिए जिससे सीमेंट ब्लैक में न जा सके। यह तो माननीय मन्त्री जी के हाथ में है और इसीलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह यह सब काम करें।

इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसाय हैं, उनको कच्चा माल नहीं मिलता और बिजली का लाइसेन्स नहीं मिलता और इसमें बड़ी कठिनाई पड़ती है। उनको कच्चा माल मिले और बिजली के लाइसेन्स आसानी से मिलें वरना घरेलू उद्योग धंधे फेल हो जायेंगे। हैन्डीक्राफ्ट के जो रूम बना रखे हैं उनमें बड़ा घोटाला है। मैंने बीसियों सवाल रखे हैं और उनमें घोटाला साबित हो चुका है, इसलिए आप कृपया ७ सौ शोकम को आप समाप्त कर दीजिए। तो घरेलू उद्योग धंधों को पनपाने और अच्छे ढंग से चलाने के लिए आप एक कमेटी बनाइए कि इन नियमों को और सेल्स टैक्स के रहते हुए हमारे प्रदेश में यह इन्डस्ट्री कैसे कायम रह सकती है यह कैसे हल किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान को माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने पेश किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और वह इस बात पर कि उन्होंने हर साल की परम्परा को तोड़कर प्रेसो जन इन्सुलेशन फैक्टरी और चुर्क सीमेंट फैक्टरी की गाथा नहीं गायी। कटौती का प्रस्ताव माननीय भगवानदास जी यादवेन्दु ने पेश किया है और अभी इस पर श्री हिम्मतसिंह जी ने इसके समर्थन में भाषण दिया और माननीय सुशीला रोहतगी जी ने भी कुछ सुझाव दिए। मैंने इन सब भाषणों को बड़े गौर से सुना। मुझे भी कुछ आपके द्वारा थोड़ा-सा कहना है। माननीय सुशीला रोहतगी ने एक बात यह कही कि बहुत से लाइसेन्स जारी हो जाते हैं और उनका उल्लेख हमारी रिपोर्टों में हो जाता है परन्तु जब वह रिवोक किए जाते हैं, उनके आंकड़े और कितने रिवोक हुए उनकी संख्या, उनका आंकड़ा हमारे सामने नहीं आता। यह बात सही है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे सरकारी अधिकारियों की तत्परता से और शायद हमारे मन्त्रियों की भी कोशिश से ऐसा अवश्य होता है कि हमारे उद्योगपतियों को लाइसेन्स दिए जाते हैं वे कारखाने शायद यहां नहीं लग पाते उसका एक विशेष कारण है, उसके लिए अफसरों की जिम्मेदारी बहुत कम है। एक बात माननीय सुशीला रोहतगी जी ने यह कही कि २३ सितम्बर, १९६४ को महाराष्ट्र ने १६ प्वाइन्ट कन्सेशन अपने यहां से जारी किया और उसके कारण बहुत से उद्योगपति महाराष्ट्र की तरफ आकर्षित हुए। एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना के अनुसार जो १६ प्वाइन्ट कन्सेशन महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए बताए जाते हैं उनको पहले हमारे डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज ने करीब २० प्वाइन्ट कन्सेशन बनाकर एक पूरी फेहरिस्त सरकार के पास भेज दी थी, वह न मालूम मन्त्रिमण्डल के स्तर पर या सेक्रेटेरियट लेवल पर आकर किस समुद्र में पड़ गयी और खो गई। खो जाने से मेरा मतलब यह नहीं है कि वह किसी ने चुरा ली, मगर जैसा कि एक अपार समुद्र में आकर चीजें ऐसी खलत-मलत हो जाती हैं कि पता नहीं चलता, उसी तरह से पता नहीं चलता कि आज तक उस पर विचार भी किया गया या नहीं, या उस पर कोई निर्णय लिया भी जायेगा या नहीं। उन्हीं चीजों से इशारा लेकर और हो सकता है कि उनकी ओरिजनल थिंकिंग भी रही हो लेकिन उसको लेकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने १६ प्वाइन्ट का कन्सेशन आर्डर तुरन्त जारी कर दिया और आज हमारी असेम्बली में महाराष्ट्र की तारीफ हो रही है।

मुझे अफसोस इसी बात का है कि हमारे औद्योगीकरण में जो अड़चनें हैं, उसके सिलसिले में हमारे डाइरेक्टर या हमारा विभाग या हमारा सेक्रेटेरियट या इन्डस्ट्रीज विभाग जिम्मेदार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी हमारे मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्यों पर है। जिस वक्त बजट पर सामान्य विवाद हो रहा था उस वक्त भी संकेत के तौर पर मैंने यह कहा था कि हमारे

यहां टेंडेंसी इस बात की पैदा हो गयी है कि अपना-अपना छोटा-छोटा राज्य हर आदमी बनाए बैठा है। हर मन्त्री अपना अपना साम्राज्य बनाए हुए है। एक दूसरे से कोआर्डिनेशन नहीं है। क्या कभी आपने बैठकर सोचा है कि हमारी इन्डस्ट्रीज आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं। कहा जाता है कि हमारे यहां मिनरल वेल्थ नहीं है लेकिन जो भी है उनका क्या होता है? किसी ने बैठकर सोचा है उच्चस्तर पर। हमारे प्रदेश में इतने वन हैं और कितनी फारेस्ट इन्डस्ट्रीज लगी हैं, कितनी पनपी है इस प्लान पीरियड में। स्टार पेपर मिल, टरपेंटाइन फैक्टरी जैसी दो तीन चीजें जो पहले थीं वह मौजूद हैं। कोई नयी विकसित हुई और कितनी नयी फैक्टरी लगीं और उसका कारण क्या है। माननीय वन मन्त्री अपना साम्राज्य बनाए बैठे हैं, शिक्षा मन्त्री अपना बनाए बैठे हैं कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। किसी वक्त क्या यह आदमी मिलकर सोचते हैं कि अगर रा मेटीरियल वन विभाग से सस्ते दामों पर मिलेगा तो जो ५ करोड़ मिलता है वह घटकर शायद ४ करोड़ रह जायगा। मगर जो उद्योग लगाया जायगा, उससे कितना सेल्स टैक्स हमारे प्रदेश में आयेगा, कितना इन्कम टैक्स हमारे उत्तर प्रदेश को मिलेगा, कितना इक्साइज में आयेगा, इसका कोई हिसाब नहीं लगाता है। बस इसका हिसाब लगाया जाता है कि कंजर्वेटर आफ फारेस्ट ने लिखकर दे दिया कि हमारा तो रेविन्यू डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक है और हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं।

फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हमारे साथ कोई कोआर्डिनेशन नहीं कर रहा है। यह अफसोस की बात है कि न जाने पुराने जमाने के फाइनेन्शल रूल्स बने हुये हैं, उनकी लकीर ही पकड़े रहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि हम अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का राज्य बनाना चाहते हैं। अपनी स्टेट को एक वैलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। १८८० के लिखे हुये फाइनेंशियल हेंड बुक रूल्स हैं जो पुलिस स्टेट कायम करने के लिये बनाये गये थे। उससे आज काम नहीं चला सकते हैं। यदि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से कहा जाय तो वह कहता है कि मुझे कोई अख्तियार नहीं है। सहारनपुर में पेपर टैक्नालाजी का स्कूल खुला। बहुत दिनों तक उसका प्रिन्सिपल नहीं मिल पाया। अगर किसी को दूनी तनख्वाह किसी फैक्टरी में मिलती है तो वह पेपर के स्कूल में प्रिन्सिपल के पद पर कैसे आयेगा। यह सब ऐसी चीजें हैं जो बिलकुल रिजिड हैं। इन फाइनेन्स की चीजों को बदलिये। फाइनेन्स में अगर कोई कागज जाता है तो ४, ५ और ६ महीने से पहले वह लौटकर नहीं आता है। माननीय शान्ति प्रपन्न जी यहां पर बैठे हुये हैं। ये अक्सर कलकत्ता के आदमियों से या राजस्थान के मारवाड़ियों से कहते रहते हैं कि तुम हमारे यहां आकर उद्योग लगाओ तो हम तुमको बिजली देंगे, बिजली आप जाकर देंगे, बिजली में आप माहिर हैं। मगर और चीजों का क्या होगा। कच्चा माल कहां से देंगे? सेल्स टैक्स के चक्कर से उनको बचाइयेगा? उनको इन टैक्सेज से कैसे कन्सेशन मिलेगा? जो जगह जगह उनको अड़चन आयेगी उनका निपटारा कौन करेगा? जमीन के एक्वायर करने में जो उनको दिक्कत आयेगी उसका निपटारा कौन करेगा? बड़ी कोशिश करके चन्द्रभानु गुप्त जी ने हमारे यहां देहरादून में एक वूल टाप इंडस्ट्री दून वूलर्स लिमिटेड के नाम से खुलवाई। बड़ी मेहनत के बाद वह इंडस्ट्री वहां पर कायम हुई लेकिन एक दिक्कत सामने आगई। म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। ४ महीने का समय इसमें ही बीत गया कि पानी उनको दिया जाय या नहीं। उनको पानी देने के लिये कहां से आयेगा? कोई आपके यहां फैक्टरी लगाता है तो पानी उसको नहीं दिया जायगा तो वह कैसे चिनाई करेगा, कैसे इमारत बनायेगा? आपके मातहत म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है। उसने अपनी तरफ से उस इंडस्ट्री के लगने में ४ महीने की देर कर दी। इत्तफाक की बात है माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी उस समय इस बात पर डटे हुये थे कि इस इंडस्ट्री को देहरादून में लगवाना है तो लग गई वरना ये लोग अमृतसर से जाने के लिये तैयार होगये थे। इन बातों की तरफ बैठकर

[श्री बृजभूषणशरण]

कोई गौर नहीं करता। मैं माननीय शान्ति प्रपन्न जी से अपनी प्राइवेट गोष्ठी में यह बात कह रहा था कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के लोगों से हम क्या कहें। उनका कोई खास कसूर नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कहें।

१, २ बातें जकर हैं जो हमारे नोटिस में लाई गई हैं। वह किसी वक्त टेक्नोक्रेट एडवाइजर का नाम ले देते हैं कि उनकी सलाह से काम किया जायगा। उनका नाम बदल देने का उनको बड़ा शौक है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के नाम करण संस्कार के चक्कर में वे न पड़ें। कायदे की बात के ज्यादा चक्कर में न पड़ें। जनता के लाभ की बात ज्यादा देखें। बहरहाल उनके विषय में हमें ज्यादा शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत तो मंत्रिमंडल से है कि वह आपस में किसी विभाग में कोआर्डिनेशन नहीं करता। अभी जिक्र हुआ कि खांडसारी के उद्योग का गला घोटा जा रहा है। खांडसारी को कौन कहे। यहां पर एक दूसरे का ही गला घोटा जा रहा है। कोई आपस में कोआर्डिनेशन नहीं करता। इसी में अपनी शान समझते हैं। हमारे यहां यह एक सबसे बड़ा चक्कर पैदा हो गया है। मैं जानता हूं कि इस बात को कि हमारी टैक्सेशन पालिसी चाहे सेल्स टैक्स की, चाहे चुंगी की हो वह इस बात में प्रोत्साहन नहीं देती जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। फिर भी हमारे लिये बहुत निराश होने की बात नहीं है जहां तक हमारे उद्योग मंत्री का ताल्लुक है, या हमारे डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज सेक्रेटेरिएट का ताल्लुक है, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की और मुझे बड़ी खुशी है कि इधर २-३ दिन से रोजाना अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि हमारे यहां १४-१५ इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिनमें से कुछ तो कानपुर में लगेंगी, कुछ नैनी में और कुछ वाराणसी में। इसके लिये मैं उद्योग विभाग को बधाई देता हूं। देहरादून में भी एक फैक्टरी मिली है, लेकिन इस बारे में हमने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारे यहां उद्योग लगा दिया जाय। हमारे यहां एक गन्ना फैक्टरी लगी हुई है, इसलिये मैं वहां दूसरी गन्ना फैक्टरी लगाने के लिये ऐसी बेहूदी बात कैसे कह सकता हूं जबकि मैं जानता हूं कि वहां एक गन्ना फैक्टरी के लिये भी गन्ना नहीं है। लेकिन हमारे यहां फारेस्ट प्रोड्यूस है जिसके लिये सरकार को सोचना चाहिये कि उसका सही इस्तेमाल कोई इंडस्ट्री खोल कर किया जाय। मैं बतावनी देता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के लोगों को बुलाया जाय और उनको समझा दिया जाय कि आपका कोई आटोनामस स्टेट्स नहीं है, आप इस उत्तर प्रदेश सरकार के ही एक अंग हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रियल पालिसी जो भी हो, उन पर अपने आपको चलाना पड़ेगा। इन सब चीजों को देख कर हमारी औद्योगीकरण की पालिसी चलायी जायगी तो मैं समझता हूं कि कोई निराशा की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रगति के पथ पर हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो मंत्री हैं वे सचेत रहें कि हमारी खुशहाली का दिन अवश्य आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। ऐसे तो हमारे इस आदरणीय सदन के सभी बड़े-बड़े आदरणीय सदस्यों ने बड़े-बड़े आंकड़े जो कि उनके पास थे, उनको पेश किये, इसलिये मैं आंकड़े की तरफ नहीं जाना चाहता हूं।

अब मैं आपको रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। यह सरकार हमारे इन दो तीन जिलों को इस निगाह से देखती है, जैसे कोई सौतेली मां अपने सौतेले बेटे को देखती है। मान्यवर, सरकार की हर योजना में जब जब लड़ाई चली या ऐसी ही कोई बात हुई, तब तब हमारा रायबरेली जिला, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिला कभी भी पीछे नहीं रहा मदद करने में। इस सरकार को इन फूलों पर विराजमान हुए करीब

१६ वर्ष का अर्सा हुआ, लेकिन आज तक मेरे जिले में एक भी उद्योग धंधे का कोई भी काम नहीं हुआ है। इस सरकार ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि रायबरेली जिले में कोई भी बड़ा कारखाना चलाया जाय। जब विकास मंत्री जी ने हमारे जिले का दौरा किया तो वहां मेले में उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जिले में जरूर कोई न कोई कारखाना खोला जायगा। इस बात का उन्होंने विश्वास भी दिलाया लेकिन दो साल का अर्सा हुआ इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई और हमारे जिले की जनता इन्तजार ही करती रह गयी कि माननीय मंत्री जी ने जो जिले में फैक्ट्री खोलने का आश्वासन दिया था वह पूरा होगा। हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये। हम लोगों ने अपने जिले में एक बड़ा भारी नुमायश किया था, जिसमें आने के लिये उनको निमन्त्रण दिया। वे गये और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जिले में कोई न कोई कारखाना जरूर चलाया जायगा।

जब हमारे जिले में सन् १९२१ में पंडित नेहरू जी गये थे तो हमारे यहां के किसानों ने ही उनको सबसे पहले देश का बहुत बड़ा नेता बनाया। अंग्रेजों के जुल्म का मुकाबला करने में वहां गोलियां चलीं और हजारों आदमी उन गोलियों के शिकार हुए। आज तक उसी जिले में किसानों के लिये ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों तक के लिये कोई कारखाना नहीं खुला है। ऐसे तो उस जिले में कोई पूंजीपति है ही नहीं। हमारा जिला सिर्फ ताल्लुकेदारों का जिला है। हमारे जिले में १८ साल पहले हरिजन कोरियों की बहुत बड़ी संख्या कपड़े बुनने का काम करती थी और इस तरह से आज से १६ साल पहले एक आना गज कपड़ा बिकता था लेकिन आज १६ साल बाद कोरियों को सूत तक नहीं मिलता। जो कपड़ा उन दिनों एक आना गज बिकता था वह कपड़ा आज डेढ़ रुपये गज बिकता है, पहले जो धोती की जोड़ी २० आने में मिलती थी, वह धोती की जोड़ी आज १६ साल के बाद कम से कम ८ रुपये की हो गयी है। राममूर्ति जी ने दया की और हमारे जिले में रहट का कारोबार आज उन्होंने खत्म करा दिया, इससे हमारे जिले का उद्धार हुआ और वह काम पाने लगा। रहट बनाने में पंजाब और कानपुर को भी पीछे छोड़ने वाला जिला है। बखरावां में हम पंजाब का भी मुकाबला करने के लिये तैयार हो गये। अगर यह सरकार हमको आज पैसा दे और हमारे यहां आज कारखाना खुले तो ऐसी बात नहीं है कि हम देश में किसी भी जिले से पीछे रहें। हमारे जिले ने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया है। अगर सरकार कोई उद्योग-धंधा वहां चलाये तो उसको जमीन देने के लिये तैयार है, पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं, मगर सरकार इस तरफ से उदासीन है। हमारे जिले में बहुत बड़ा बाजार लगता है। वह सारे कानपुर को इतना चमड़ा देते हैं कि हर बाजार के दिन २० ट्रक चमड़ा कानपुर को जाता है। हमारे जिले में १,२०,००० चमारों की और १,०६,००० पासियों की बस्ती है। इतना हरिजन वहां होते हुए अगर वह चमड़े का कारखाना न खुले तो शर्म की बात है।

हमारा जिला प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से मिला हुआ है। वहां पानी के साधन बहुत कम हैं, लेकिन अगर सरकार कोई कारखाना खोले और पैसा लगाये तो पानी बहुत नजदीक है। १८-१६ फिट पर पानी निकलता है, सरकार जितना भी बड़ा कारखाना लगाये, उसके लिये पानी की कमी नहीं है, सई नदी पास है, वहां कारखाना खुल सकता है। इसलिये सरकार से हमारी यहां मांग है कि हमारे रायबरेली जिले में कोई बड़ा कारखाना अवश्य लगे जिससे १३ लाख की आबादी जो गरीबों की है, उसको राहत मिले। वहां खाली एक खेती का काम है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे अपने विचार को रखने का मौका दिया। हमारे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक स्थिति बड़ी निराशाजनक है। हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुए हमें इस बात का दुख है कि सरकार ने बहुत सी कमेटियों मुकर्रर कीं, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले आने के लिये, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुरूप जितना कोटा हमें मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। अखबारों में जैसी चर्चा आयी, केन्द्र सरकार का कुछ ध्यान हमारे प्रदेश के लिये इंडस्ट्रीज की आवश्यकता की तरफ अवश्य गया है और आयद १४–१५ बड़ी इंडस्ट्रीज देने का कुछ प्रोग्राम भी आन पड़ता है, इससे हमें खुशी है लेकिन साथ ही तीनों बड़ी योजनाओं से तो औद्योगीकरण के सिलसिले में निराशा ही मिली और हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि एक तरफ तो हमारी पापुलेशन बढ़ रही और दूसरी तरफ बेकारी इसी हिसाब से बढ़ती चली जा रही है और अगर हम सोच विचार कर एक इंडस्ट्रियल बलाइमेंट अपने प्रदेश में कायम नहीं करते तो ऐसा जान पड़ता है कि जो हमारी आर्थिक प्रगति की समस्या है, उस का निराकरण नहीं हो पायेगा। श्रीमन्, मैं आज आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां हर जिले–जिले में इंडस्ट्रियल कमेटी बनायी गयी और इसीलिये वह बनायी गयी थी कि जिले का जो पोटेंशियल है उसे देखते हुए जो लोग गांवों में पड़े हुए हैं, खेती पर निर्भर करते हैं, उनको हम इम्प्लायमेंट दे सकें और उनके लिये लघु उद्योग योजनायें चला सकें। लेकिन श्रीमन्, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो पैसा उद्योग विभाग से बांटा गया, उसका बहुत सही इस्तेमाल नहीं हुआ या जो हमारी ठीक नीति थी उद्योगीकरण की, गांवके उद्योगीकरण की, हम उसके लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाये। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी जो इडस्ट्रीज हैं, जिनके लिये हम देहात में लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उसमें या तो हमको रा-मैटीरियल उपलब्ध नहीं हुआ या फिर हमको पावर नहीं मिली या फिर देन–केन प्रकारेण जो आप का पैसा देने का ढंग है, वह विकट साबित हुआ और उसकी वजह से जितना इस्तेमाल उसका होना चाहिये था वह नहीं हो पाया और इस का नतीजा यह है कि जो बेकारी गांवों में बढ़ रही है उसका हम हल नहीं निकाल पाये और जो हमारा रा–मैटीरियल आदि का पोटेंशियल था उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया।

आज जिले की बेसिस पर अगर आपने या किसी ने इंडस्ट्रीज कमेटी में इस प्रश्न को उठाया होगा और यह जानने का प्रयत्न किया होगा कि हमारे जिले में उद्योगीकरण के रास्ते क्या हैं और उसके लिये सरकार ने क्या प्रयास किया है, उसका क्या प्राक्रप है तो आप को जान कर ताज्जुब होगा कि उसके लिये कोई नक्शा नहीं बनाया गया है। उद्योग विभाग के सामने केवल लोन बांटने का काम है और इस का नतीजा यह हुआ कि हमारी तीन योजनाओं में हमको निराशा ही मिली और अगर आप इंफार्मेशन डिपार्टमेन्ट के स्टेस्टिक्स उठा कर देखें तो आप को जानकर निराशा होगी कि आल इंडिया का जो इंवेस्टमेन्ट हुआ, है, उसमें और हमारे प्रदेश में जो इंवेस्टमेंट हुआ है उसमें बड़ी फर्क है और उसे देख कर हम को बड़ी निराशा होती है। उद्योग विभाग में एक एडवाइजरी कमेटी बनायी गयी, उसमें सरकारी अधिकारियों को सरकार ने प्रोत्साहन दिया। उसे बाद में तोड़ भी दिया गया। इंडस्ट्रीज का जो सारा प्लान है, जो सारा स्वरूप है उसे हम अफसरों को ही देते रहे हैं। एक तरफ हम समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सारा काम अफसरों को देना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं और कहां तक हम उद्योगों में अपनी क्षमता बढ़ा पायेंगे।

श्रीमन्, दूसरी बात तो मुझे कहनी है कि वह यह कि कानपुर में जो डाइरेक्टोरेट रखा गया है, मैं शुरू से ही ऐसा महसूस करता हूं कि जब भी बड़ी इंडस्ट्रीज का सवाल आता है, मैं देखता हूं कि वह डाइरेक्टोरेट एक करेप्शन का अड्डा बना हुआ है। इसके रहते हुए अगर आप सही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरीके से प्रदेश को औद्योगीकरण के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो वह संभव नहीं होगा। मैं जानता हूं और मेरे पास वह पत्र मौजूद है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने जिले के लिये पत्र लिखा और उनके कांस्टीट्यूयेन्सी के लोगों को उद्योगीकरण में सहायता देने के लिये उन्होंने लिखा लेकिन डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वे उस को देख सकें, उस पर विचार कर सकें। उन्होंने उस पर कोई खयाल नहीं किया। जब माननीय मुख्य मंत्री के पत्र पर उन्होंने कोई खयाल नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि औद्योगीकरण के नाम पर कैसे आप प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, प्रदेश को औद्योगीकरण की दिशा में ले जाने का जो आपका उद्देश्य है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, नेशनलाइजेशन की भावना को कैसे पूरा किया जा सकता है, यह मेरी समझ में मान्यवर नहीं आया।

बहुत-सी पर्चेज कमेटियां, मान्यवर, बनायी गयी हैं। जितने भी आफिसर्स हैं उनकी बीवियां उसकी मेम्बर हैं। आगरा, लखनऊ आदि शहरों में जो कमेटियां हैं, वहां क्या होता है? मैनेजर लोग इन आफिसरों की बीवियों के घर जाकर सैम्पिल दिखा आते हैं और इन्वाइस हो जाती हैं। यह इन्डस्ट्रीज विभाग गोरखधन्धे का काम कर रहा है। जो यह परचेज कमेटियां बनायी गयी हैं, इससे इस विभाग में करप्शन बढ़ा है और जनता का पैसा बरबाद हो रहा है, इनको खत्म करना चाहिये। मान्यवर, गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर एक सेन्ट्रल शो रूम है उसमें एक, दो गुड़ियां रखी हैं, कुछ सामान है, मगर वह शो रूम कभी खुलता नहीं है। एक क्लर्क और एक चपरासी भी वहां रहता है।

मान्यवर, आज से बड़ी अड़चन औद्योगीकरण के रास्ते में रा-मैटीरियल की है। माननीय मंत्री जी भी उसकी कमी बताते हैं। मेरा श्रीमन् कहना यह है कि आपके प्रदेश में रा-मैटीरियल उपलब्ध है, उसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले हमें इसे देखना है, इस पर विचार करना है। हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि उसका सही उपयोग हो।

हमारे यहां शुगर इन्डस्ट्री की हालत बड़ी खराब हो रही है। बार-बार सदन में यह मांग की गयी है कि उनका राष्ट्रीय करण किया जाय। आज करोड़ों मन गन्ना पेरने से रह गया है। अगर इस इन्डस्ट्री की तरफ सरकार ने उचित ध्यान न दिया तो यह उद्योग, जो कि उत्तर प्रदेश का मेजर उद्योग है, जिसकी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब ७० मिलें हैं, यह हमारे से बाहर चला जायगा। इसलिये आप को इस उद्योग को आगे ले जाने की दिशा में कदम उठाना चाहिये। कोआपरेटिव के तरीके से ही आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। मान्यवर, एकोनामिक रिव्यू को देखने पर, तथा प्रदेश की स्थिति को देखने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर पूर्वी जिलों में किसी दूसरी भारी इन्डस्ट्री की स्थापना न की गयी, वहां के लोगों को दूसरे रोजगार की तरफ न लगाया गया, तो वहां बेकारी बढ़ती जायगी। उससे भुखमरी की स्थिति पैदा होगी, और वहां की समस्या बहुत जटिल हो जायगी। अगर वहां कोई हैवी इन्डस्ट्री नहीं लगायी गयी तो हम वहां की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। इसलिये अभी हमारे यहां जो बिग इन्डस्ट्रीज लगने वाली है, अभी हमारे गोरखपुर जिले में कागज के कारखाने के लिये रा-मैटीरियल मौजूद है। सारी फैक्ट्री में आप देखें कि वहां पर शुगरशीट, है उसको इस्तेमाल करके कागज के कारखाने को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उसका सर्वे चल रहा है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि गोरखपुर में जो सर्वे चल रहा है उस तरफ ध्यान देंगी। हमारे यहां कई सूत के कारखाने हैं, करघे के कारखाने हैं। आज उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है। उनको बिजली की जरूरत है उनको आगे बढ़ाने के लिए। उनको सस्ते रेट से बिजली मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में सरकार द्वारा जो अनुदान है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस देश और प्रदेश में जिस तरह के लोगों का जिस वर्ग का बहुमत है, जब तक उस वर्ग की प्रगति नहीं होती तब तक कोई दूसरा वर्ग चाहे

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

कोई दूसरा धंधा हो, उसको पनपने का अवसर नहीं मिलेगा। आप यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में अधिकतर कृषकों की आबादी है। कृषक रहते हैं ७५ से ८० फी सदी। आज किसानों की स्थिति वयनीय है। यह सही है कि प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये उनके विकास के लिये कुछ किये जाने का प्रयत्न किया गया है फिर भी जितना प्रयास होना चाहिये था उस दिशा में प्रगति नहीं हो पायी और जब तक उनकी प्रगति नहीं हो पाती, तब तक उद्योग पनपें, ऐसा मैं समझता हूं कि बिल्कुल हास्यास्पद विषय है। अब उद्योगों की दिशा में हमारी सरकार की जो स्थिति है वह बहुत ही भयावह हो गयी है। सरकार पर हमारे उन बिभागों का जो संरक्षण करते हैं। वे हावी रहते हैं। सरकार की स्थिति उस बूढ़े मनुष्य की तरह से है जिसने बुढ़ापे में शादी की हो। बुढ़ापे में की हुई स्त्री चंचल भी है और वह चंचलता के कारण उस बूढ़े व्यक्ति को कितना परेशान करती है, धोखे में रखती है और जो दूसरे पड़ोसी होते हैं वे सलाह देते हैं, मशविरा देते हैं कि वृद्ध औरत तुम्हारे काबू में नहीं है। पर वह कहता है कि तुम झूठ कहते हो। ठीक जैसे ही हम सरकार को सलाह देते हैं तो सरकार ठीक उसी बूढ़े के जवाब की तरह जवाब देती है कि हमारी स्त्री चरित्रवान् है। लेकिन यह औरत अतिशयोक्ति करने लगती है और बृद्ध अपनी आंख से देख लेता है तब वह कहता है पड़ोसी ठीक कहते थे, इसने तो इज्जत धूल में मिला दी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हमारी सरकार की हालत है। आज प्रदेश की हालत इन्होंने कैसी कर रक्खी है। उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में बांट रक्खा है। उन हिस्सों में से एक मध्यक्षेत्र बना रक्खा है। मध्य क्षेत्र में हमारा जिला फतेहपुर आता है। कितनी पंचवर्षीय योजनायें मैंने देखी हैं लेकिन उस जिले का कहीं कोई स्थान नहीं रक्खा है, चाहे वह सिंचाई हो, बिजली हो और चाहे उद्योग हो। तो इस दिशा में मैं माननीय मंत्री जी जो हैं नहीं लेकिन आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जो नये उद्योग आ रहे हैं उनमें से एक आप उद्योग फतेहपुर जिले को भी दे दें जिससे उस गरीब जिले को भी प्रगति हो सके। आज उद्योग की दशा में एक ओर तो हम समाजवाद के सिद्धान्त को बढ़ाते हैं दूसरी ओर हम बढ़ावा देते हैं पूंजीवाद को। जब उद्योग का काम सरकार के हाथ में नहीं था, अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कौन से उद्योग ऐसे हैं जो उस समय प्रचलित नहीं थे। हमारे छोटे-छोटे उद्योग धंधे थे। आज सरकार की योजनाओं के जरिये हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे थे वे मिटते जा रहे हैं। उसका कारण है उनको प्रोत्साहन का न मिलना उनकी स्थिति का मूल्यांकन का न करना, इसलिये पनपाने के लिये, उनको प्रोत्साहन और सहायता मिलनी चाहिये। लेकिन उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है। इलाहाबाद के आयुक्त श्री शुक्ला ने उद्योगों का अभियान चलाकर तूफान मचा रखा है। वह सरकार को भुलावे में डालना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से वह कहते हैं कि हमने इतने छोटे उद्योग चला दिये। वास्तविकता यह है कि एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है और फर्जी लोन बांट दिये गये हैं। सरकारी अधिकारी जो काम करते हैं उनको चाहे सफलता मिले या बिफलता मिले, लेकिन वे अपनी सफलता के गीत गाया करते हैं और सरकार को भुलावे में डालते रहते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किये है मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से उन्हें सर्टीफिकेट दिये जायें, चाहे वह गवर्नर का हो या उद्योग मंत्री का या मुख्य मंत्री का हो। हमारे यहां एक कमेटी बनी जिसमें कलेक्टर, डी० पी० ओ० और उद्योग अधिकारी थे। वहां एक विशेष जाति के लोगों को ही सर्टीफिकेट देने की प्रणाली अपनायी गई। उसमें सब जन प्रतिनिधियों को छोड़ दिया गया। मुख्य मंत्री जी के सर्टीफिकेट इस तरह से देने की व्यवस्था की गई कि वह ए० डी० ओ० उद्योग को मिलें। मैं समझता हूं कि जो लोग उद्योगों को पनपाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे किसी वर्ग के हों या किसी भी जाति या फेथ के हों, उनको यदि वे इस योग्य हैं तो उन्हें सर्टीफिकेट जरूर मिलने चाहिये लेकिन पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं ?

आपके जरिये मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि हम चाहे कितनी अच्छी और सच्ची बात कहें सरकार उसे नहीं मानती है। यह शिकायत मुझे ही नहीं है, करीब-करीब सभी विधायकों को है और कांग्रेसवालों को भी है। हमारी सरकार की हालत तो ऐसी है कि एक

शहर था, वहां एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास बहुत धन था। कुछ हिजड़े भी वहां रहते थे जिन्हें मालूम था कि बुढ़िया के पास बहुत धन है। उन्होंने यह निश्चय किया कि किसी प्रकार इसे हड़पना चाहिये। उन्होंने एक बाजा बजाने वाले से कहा कि जो हम कहें उसकी तुम ध्वनि बजाना और जो पैसा तुम मांगोगे तुमको मिलेगा। सब हिजड़े बुढ़िया के यहां गये और जब देखा कि बुढ़िया काफी प्रभावित हो गई है तो उन्होंने प्रोपेगेन्डा किया कि बुढ़िया मर गई। बुढ़िया को वे विमान पर लिटाकर श्मशान की तरफ ले चले। जिस समय बुढ़िया कहती थी कि मैं मरी नहीं हूं, जिन्दा हूं, तो वे गाते थे बुढ़िया कहती है सच लेकिन सुनता है कौन और बाजा बजाने वाले यही ध्वनि बजाते थे। इसी तरह से सरकार हम विधायकों से कह देती है कि हम लोगों की सूचना गलत है। वह अपने एक छोटे से कर्मचारी की सूचना को सही मान कर हम लोगों की सूचना गलत बताने में हिचकती नहीं है। इस तरह से सरकार चलने वाली नहीं है। एक अच्छी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जन प्रतिनिधियों की बात की इज्जत करे और उनके दिये हुये सुझावों पर विचार करे।

अब मैं इस समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार से एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। जिलों में उद्योग की एक एडवाइजरी कमेटी होती थी जिसमें विधायक भी होते थे और जो यह मश्विरा देती थी कि उद्योगों के लिये किसको पैसा मिले, यद्यपि यह सही है कि किसको लोन दिया जाय, कौन दरख्वास्तों की जांच करे और रिपोर्ट दे जिस पर पैसा दिया जाता या यह सब विभाग के अधिकारी ही जांच करते थे और जिसको वे कहते थे कि इसे पैसे की आवश्यकता है उसे ही पैसा मिलता था। लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ? यह कहा गया कि इस एडवाइजरी कमेटी के लोग गलत लोगों की सिफारिश कर देते हैं, गलत लोगों को पैसा देने की सिफारिश करते हैं, इसलिये उन जिला एडवाइजरी कमेटियों को भंग कर दिया गया। इसका यह नतीजा हुआ कि जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आये हुये, प्रतिनिधि जो अपने क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की जानकारी रखते थे कि कौन उद्योग चलाने की क्षमता रखता है और किसको पैसे की आवश्यकता है, उनको सलाह देने से वंचित कर दिया गया। अब यह होता है कि कलेक्टर साहब जिसकी चाहे उसी को पैसा मिलता है। कलेक्टर के पास केवल बड़े-बड़े आदमियों की पहुंच होती है और जो चालाक है, जिनके पास बुद्धि है तमाम तरह के साधन हैं, उन्हीं को पैसा मिल पाता है। मैं आपको जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जनप्रतिनिधियों की बात की इज्जत करे और उस कमेटी को फिर से पुनर्जीवित करे। इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सही लोगों को पैसा मिल पावेगा चाहे वह कितना ही छोटा व्यक्ति क्यों न हो।

हमारे यहां ऐसा उद्योग खुला है जिसमें कृषि के यंत्र बनते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि अगर कोई कृषि का उद्योग लगावेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर विभाग का एक जी० ओ० भी इस सम्बन्ध में हुआ था। अधिष्ठाता महोदय, मुझे कहते हुए दुख होता है कि जबकि उसकी अनुसूची में यह कहा गया है कि इन यंत्रों पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जब उस उद्योग में कुछ प्रगति होने लगी तो उन पर भी गलत तरीके से टैक्स वसूल किया जा रहा है। वे कृषि यंत्र जो पानी उठाने के लिये बनाये जाते हैं उनका कारखाना फतेहपुर जिले में लगा। मैंने कई बार सरकार को लिखा कि वे यंत्र बैलों से चलते हैं और आपका एक जी० ओ० भी है कि बैलों से चलने वाले यंत्रों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि कृषि की पैदावार बढ़ाओ और दूसरी ओर कृषि के यंत्रों पर गलत ढंग से टैक्स लिया जाता है। हमारे विकास मंत्री जी मौजूद हैं। उनसे भी इस बात का सम्बन्ध है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी विशेष जानकारी करें और ऐसे यंत्रों पर से जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हैं उन पर से टैक्स हटाने की सिफारिश करें।

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

उद्योग को पनपाने के लिये आवश्यक है रा मैटीरियल की भूमि की। बजाय नकद रुपया देने के मशीनें और कच्चा माल दिया जाय और मकान बनाने के लिये सामान दिया जाय। अगर कोई केवल सरकार के ही पैसे से उद्योग चलाना चाहता है तो उससे उद्योग का विकास नहीं होगा। आज फतेहपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कई-कई बार लोन दिया गया लेकिन उद्योग नहीं लगा। उनमें केवल एक ही गुण है कि वे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं, कोई अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को पैसा दे दिया गया। उनसे पैसे की वसूली नहीं होती है। केवल उन्हीं को पैसा देना चाहिये जिन्होंने अपनी कुछ पूंजी लगाकर उद्योग शुरू कर दिया है। हमारे यहां की गुड़ विकास योजना को जारी रखना चाहिये जिसे फिलहाल समाप्त किया जा रहा है।

श्री अविष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। इन्डस्ट्री के बारे में आज सुबह से अनेकों बात कहीं जा रही हैं लेकिन यह बात सत्य है कि बहुत सी चीजों में हम आगे बढ़े हैं। जैसा कि हमें मालूम हुआ हेन्डीक्राफ्ट में हमारा नम्बर एक है, डिफेन्स गुड्स के तैयार करने में हमारा नम्बर २ है। अब यह देखा जाय कि हमारी तरक्की चारों तरफ क्यों नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि रा मेटीरियल हमें नहीं मिल सका है, जितना कि मिलना चाहिये था और जिसकी हमें आवश्यकता थी। दूसरी खास वजह यह है कि जिन लोगों को उसके लिये रुपया दिया गया उन्होंने उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया। कर्ज केवल उन लोगों को ही मिला जो दौड़ धूप कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने उस पैसे को उस काम में नहीं लगाया और अब उनसे पूंजी वापस मिलने की भी आशा नहीं है।

अब मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि जिन लोगों पर लोन बकाया है, उन लोगों के लिये सरकार यह सिफारिश न करे कि उन लोगों से वसूली न की जाय। अपने जिले के मैं ऐसे किस्से भी जानता हूं कि लोगों को ५–७ साल लोन लिये हो गये लेकिन यहां से आर्डर्स पहुंच गये कि इनसे रिकवरी न की जाय। अगर यह प्रथा चालू हुई तो बड़ी मुश्किल पैदा होगी।

जिले में इंडस्ट्री कमेटी बनी हुई है। उससे लोगों को सही इनफारमेशन मिल जाती थी, लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया। उसमें ज्यादातर ब्लाक प्रमुख होते थे। वहां भी पार्टीबन्दी चलने लगी और उपयुक्त आदमियों को धन नहीं मिल पाता था। हमारे जिले में जो इस एक डेढ़ साल में इन्डस्ट्री के लिये धन दिया गया है, मेरा विश्वास है कि उसमें से ५ प्रतिशत धन भी वसूल होने वाला नहीं है। हमारे यहां का जिलाधीश भी पार्टी-बन्दी में शामिल हो गया और उसमें भी एक ग्रुप बनाकर रुपया दिया। इसकी शिकायत सरकार को की गयी लेकिन न जाने सरकार ने क्यों ऐसे बदमाश के विरुद्ध कोई ऐक्शन नहीं लिया। इसको भी एक प्रेस्टिज का इश्यू बना कर जिले को बरबाद किया जा रहा है।

हमारा जिला बहुत छोटा है। हमारे यहां कोई इन्डस्ट्री नहीं है, न कोई साधन है और तारीफ की बात यह है कि उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। इलाहाबाद जिला इतना बड़ा जिला है, इतनी सारी इन्डस्ट्रीज वहां पर लगी हुई है उसको बैकवर्ड कहा जाता है। हमारा जिला बैकवर्ड जिला है और यह एक छोटा सा तीन तहसीलों का जिला है जिसमें कोई किसी तरह का उद्योग नहीं है। शिक्षा में भी पिछड़ा है अभी दो तीन साल से ही वहां एक डिग्री कालेज हो गया है जहां से अभी दूसरा बैच ही जा रहा है और बाकी हर तरह से बड़े जिलों के बीच में वह एक बैकवर्ड जिला है। ऐसी सूरत में मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वह

हमारे जिले फतेहपुर का ध्यान रखें क्योंकि वह एक बहुत ही छोटा सा जिला है या फिर अच्छा हो कि उस को कानपुर और इलाहाबाद में ही मिला दिया जाय वर्ना उसकी कुछ उन्नति की जाय। ऐसा नहीं होता तो फिर उसके जिले बने रहने से लाभ ही क्या है। आपको अभी १९ उद्योग मिले हैं, मेरी प्रार्थना है कि इन १९ इंडस्ट्रीज में से इस तरह से बटवारा किया जाय कि जिन जिलों में किसी तरह के कोई उद्योग नहीं हैं और जहां लेबर भी मिल सकता है वहां बड़े उद्योग लगाये जायं और तमाम तरह की सहूलियतें रा मेटीरियल वगैरा को देख कर यह बटवारा किया जाय, आंख मूद कर यह बटवारा न किया जाय। जहां जो उद्योग चल सकते हैं और माल कच्चा मिल सकता है, लेबर की सहूलियत है वहीं इनको लगाने की तजवीज होनी चाहिये।

इन १९ उद्योगों में मैं देखता हूं कि खास बड़े-बड़े शहरों का ही नाम सरकार की नजर में रहता है। एक दो का हमें मालूम है कि वह बड़े शहरों और जिलों के लिये ही हैं। सरकार की नजर में बड़े और छोटे सभी जिले रहने चाहियें और उसको बराबर हर जिले की उन्नति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरी चीज मुझे यह कहना है कि लोन्स के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में मेरा सुझाव है कि एक कमेटी जिला स्तर पर, एक सूबे के स्तर पर सरकार नियुक्त करे और उसका केवल काम यह है कि एक जिले के स्तर पर वह कमेटी देखे कि जो लोन दिया गया है या जो रा मेटेरियल दिया गया है उसका कहां तक सही इस्तेमाल हुआ है और क्या प्रगति उसकी हुई है। बिना इस तरह की कमेटी के आप की समस्या हल नहीं होगी। यह चीज खत्म नहीं होगी कि हमने रुपया बांट दिया और रा मैटीरियल दे दिया लेकिन हमारे भाई कुछ ऐसे हैं कि नाजायज ढंग से मेटीरियल का प्रयोग किया या लोन वापस नहीं देते। यह सब चीजें इस कमेटी की स्थापना से सुधर सकती हैं।

एक बात यह कही गई कि कानपुर के डायरेक्ट्रेट को तोड़ दिया जाय। बहुत से लोगों की इस विषय में अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं इससे डिफर करता हूं। मेरा सुझाव था कि आप दूसरे रीजनल आफिसेज जगह-जगह बना दें लेकिन कानपुर जो हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है वहां पर यह आफिस डायरेक्टर का रहना जरूरी है। आपको हर आदमी की सहूलियत को देखना चाहिये, अगर किसी साहब का सुझाव है कि वह लखनऊ आ जाना चाहिये लेकिन यहां डायरेक्ट्रेट लाने से वह बात नहीं होगी। लखनऊ कोई औद्योगिक केन्द्र नहीं है, कानपुर जिस तरह से बढ़ रहा है और जैसी वहां की औद्योगिक स्थिति है वहीं पर डायरेक्ट्रेट का रहना जरूरी है। डायरेक्ट्रेट में सुधार हो सकता है, जो देरी होती है वह न हो या और जो दिक्कतें हैं वह दूर की जा सकती हैं लेकिन आफिस वहां रहना चाहिये। जैसा कि उप-मंत्री जी बता रहे हैं रीजनल डायरेक्ट्रेट कायम हो रहे हैं वह अच्छी बात है उससे लोगों का कानपुर आने जाने का खर्च और दूसरी शिकायतें कम हो सकती हैं। दूसरे एक एकनामिक आसपेक्ट भी है कि इतने बड़े दफ्तर को एक जगह से दूसरी जगह हटाने में खर्च भी काबूल में बहुत होगा और नई इमारत कहीं और बनानी पड़ेगी। एक दिक्कत सबसे बड़ी जो है वह यह है कि यद्यपि इन्डस्ट्रीज तो खुल रही हैं लेकिन जो हमारी छोटी इन्डस्ट्रीज होती हैं, उनका जो माल तैयार होता है, उसके लिये बिक्री के भी साधन होने चाहियें। यह बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। मुझ से बहुत लोग मिले हैं और उन्होंने कहा कि हम सामान तो बना रहे हैं परन्तु जो कैपीटल हम मिला है, वह तो हमने सामान में लगा दिया है और हमारे और काम के लिये हमारे पास पूंजी नहीं रह गयी है। सामान भी ज्यों का त्यों रखा हुआ है, वह बिक नहीं पाया है।

मैं चाहता हूं कि हमारी जो काटेज इन्डस्ट्रीज की यूनिट्स हैं उनको एन्सीलीयरी बार्डीज बना दिया जाय। जो हमारी बड़ी २ इन्डस्ट्रीज हैं, जिनको सरकार रुपया देती है,

[श्री जगन्नाथसिंह]

जिनकी हमारी सरकार मदद करती है, उनको नियम बना कर हमे मजबूर करें और कहें कि चूंकि वे हमारे सहयोग से फायदा उठाते हैं तो इसलिये जो छोटी इन्डस्ट्रीज हैं, वे जो सामान बनाती हैं, उसे वे लें। इसका नतीजा यह निकलेगा कि हमारी जो छोटी इन्डस्ट्रीज लगी हैं, वे भी माल पैदा कर सकेंगी और जो बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं वे भी चलेंगी। उनके लिये यह भी हो सकता है कि जैसे बड़ी इन्डस्ट्रीज कोई मशीन आदि बनाती है तो उनके जो छोटे पुर्जे हों, उनको छोटी इन्डस्ट्रीज वाले बनावें। जब इस प्रकार से ये इन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज कायम हो जायेंगी तो उससे छोटी इन्डस्ट्रीज जो होंगी वे चल सकेंगी और उन्हें प्रोत्साहन भी मिल सकेगा और वे पनप भी सकती हैं। इससे २-३ फायदे होंगे, एक तो फायदा यह होगा कि जो छोटी इण्डस्ट्रीज हैं, जिनकी कैपेसिटी बहुत है, वे भी काम में आ जायेंगी और दूसरी जो उनकी शिकायत है कि उनका सामान ब्लाक हो जाता है, उसको इनिशियेटिव मिलेगा और उनके माल को मार्केट की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखें रेलवे की वर्कशाप्स में सब चीजें तो नहीं बनती हैं। वे भी इन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज से बनवाते हैं तो इसी प्रकार से हमें छोटी इन्डस्ट्रीज को एन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज बनाकर उन्हें प्रोग्रेसिव बनाना चाहिये। मैं यहां पर यह भी अनुरोध करूंगा कि जो सही फैक्टस हैं, जो सही बात है उसको नहीं छिपाना चाहिये। केवल यह कहना कि इन्डस्ट्रीज के उत्थान के लिये कुछ नहीं हो रहा है, गलत है और ऐसी बात नहीं है। यह धारणा लेकर कि एक आदमी गलत है सब को गलत नहीं कहा जा सकता है।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे विरोधी दलों की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी मेरे एक दोस्त, माननीय नरसिंह नारायण जी ने करप्शन के ऊपर बड़ा जोर दिया। श्रीमन्, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा प्रदेश इन्डस्ट्रीज में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है और सूबों के मुकाबले में। हम अब भी १० साल पीछे हैं, जहां तक इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है। उसकी खास जिम्मेदारी मैं डायरेक्टोरेट के ऊपर नहीं डालना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि डायरेक्टर या उनके स्टाफ की कोई बड़ी कमी रही है जिसकी वजह से इस प्रदेश में इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ बल्कि मेरा यह कहना है कि यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की, एज ए होल है, और खास कर हमारे मंत्री महोदय की। उन्होंने कभी भी सेन्टर में जाकर यह नहीं कहा कि इस प्रदेश को किन-किन चीजों की यहां की इन्डस्ट्रीज के लिए आवश्यकता है, खासकर आटोमोबाइल्स और हैवी इन्डस्ट्रीज की। १९५५ से १९६२ तक इस सरकार ने किसी भी हैवी इन्डस्ट्रीज की केन्द्रीय सरकार से मांग नहीं की है। जहां तक सूबे की सरकार की तरफ से अब कोई मांग हो, उसके लिये मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है (व्यवधान) शान्तिप्रपन्न शर्मा जी कह रहे हैं कि इन्डस्ट्रीज अब ला रहे हैं। मुल्क अब इतना आगे बढ़ा हुआ है, डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज दो साल से इतना सक्रिय रहा है, अगर मैं उसको कांग्रेटुलेट कर दूं, डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की तरफ से इतनी सक्रियता आयी जिससे मजबूत होकर यू० पी० की सरकार को कहना पड़ा कि हम को ऐसी इंडस्ट्रीज लेनी हैं। अगर माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा कहते हैं कि चौथी पांचसाला योजना में हैवी इंडस्ट्रीज ला रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि तीन पांचसाला योजनाओं में क्यों नहीं लाये। १९४७ में ऐग्रीकल्चर इनकम ६० प्रतिशत से कम थी—५०—५५ फीसदी इनकम इंडस्ट्रीज से थी। आज यू० पी० की ऐग्रीकल्चरल इनकम ७० फीसदी पहुंच गयी। इसका मतलब हुआ कि १९४७ में जितनी इन्डस्ट्रीज थीं, उसके अनुपात से आज १९६६ में इन्डस्ट्रीज कम हैं। सन १९४६—४७ में जब अंग्रेज छोड़ कर गया तब से काटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोग्रेस कम हुई है। (व्यवधान) हमारे दोस्त रियासत हुसैन साहब ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताया कि १९६६ में इर्रीगेशन का एरिया घटा है। राममूर्ति जी मानें या न मानें। १९६६ में जो नयी जमीन तोड़ी गयी उसके अनुपात से इर्रीगेशन कम बढ़ा है। नम्बर २, खेती की पैदावार गिरी है। देश भर में यू० पी० की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। आज भी पूर्वी जिलों में पर कैपिटा इनकम १४० रुपये से ऊपर नहीं है जब कि यू० पी० के दूसरे जिलों के अन्दर २५५ रुपया पर कैपिटा इनकम है और हिन्दुस्तान की पर कैपिटा इनकम ३५५ है। मैं शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से पूछता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां पर सरकार खुद लोन देती है। दुनिया के हर प्रोग्रेसिव कन्ट्री फाइनेंस कारपोरेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस के जरिये इन्डस्ट्रीज को लोन दिया जाता है। यहां सरकार खुद देती है। यहां पर इन्डस्ट्रीज अगर कमजोर हैं तो इसलिये कि सीधा आप का इन्टरवेंशन है। कानपुर की मिसाल लें आपने कानपुर में ६५ लाख रुपया और ९० लाख रुपया तक इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को लोन दिया। वह करेंगे इस तरीके से, लेकिन फाइनेन्शियल कारपोरेशन और इंस्टीट्यूशन्स से किया जाये। यह मेरी प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेन्शियल कारपोरेशन को दीजिये और उनकी इन्स्टीट्यूशन को मजबूत कीजिये। जब तक आप फाइनेन्शियल कारपोरेशन को नहीं मजबूत करेंगे, तब तक वास्तविक मानों में उद्योगों का विकास नहीं होगा। मुझे मालूम है कि फाइनेंशियल कारपोरेशन के श्री भारत भूषण जी ने जितना रुपया आपसे मांगा उतना आपने उन्हें नहीं दिया। उनके मांग के अनुसार २५ फीसदी से भी कम रुपया आपने उनको दिया है। इन चीजों को देखते हुये मेरा सुझाव है कि यदि आप उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें अपने से करनी चाहियें। पहली चीज यह कि सरकार अपने सेल्स टैक्स को खत्म करे। आपको यह देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिये आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि और स्टेटों में इनको फायदा पहुंचाने के लिये क्या कदम उठाया गया है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उसी ढंग से ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज इन्डस्ट्रीज को देनी होंगी।

अब मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं—सहारनपुर में पेपर मिलें हैं, उसके १७ मील पर पंजाब में भी एक पेपर मिल है। इन दोनों स्थानों की पेपर मिलों का यदि आप मुकाबला करें तो इन दोनों को अपनी अपनी प्रदेशीय सरकार से मिलने वाली फैसिलीटीज में जमीन आसमान का अन्तर है। पंजाब वाली पेपर मिल ने एक जांच आसाम में खोलने को थी। उस समय के मुख्य मंत्री कैरो साहब ने स्वयं मिल के लोगों को बुलाया और पूछा इसका कारण तो उन्होंने बताया कि जिस रेट पर वे फैसिलीटीज देना चाहते हैं, उस रेट पर आप नहीं दे रहे हैं। कैरो साहब के द्वारा उस समय डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को बुला कर पूछा गया और उनसे उसी रेट्स पर उन्हें भी फैसिलीटीज देने के लिये कहा गया लेकिन आपके सहारनपुर के मालिक आज भी रो रहे हैं—

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वे रो नहीं रहे हैं। यदि हम देंगे तो आप नाराज हो जायेंगे।

श्री बलवानसिंह—

जमीन में, बिजली में और सेल्स टैक्स में फैसिलीटीज नहीं होंगी और उल्टे ज्यादा से ज्यादा चार्जेज होंगे तो इन्डस्ट्रियलिस्ट क्या सोच कर उद्योग स्थापित करेंगे। आप फैसिलटीज देते किनको हैं? आपने बिड़ला को २ नये पैसे प्रति यूनिट से भी कम रेट पर बिजली दे दी।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जब कोई लेने वाला नहीं था तो हम क्या करते ?

श्री बलवानसिंह—

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के गरीब किसान को ३७ नये पैसे प्रति यूनिट के रेट पर बिजली दी जाती है और आप कहते हैं कि कोई लेने वाला नहीं था।

श्री राममूर्ति—

नहीं, १२ नये पैसे का रेट है।

श्री बलवानसिंह—

यह रेट अब आपने किया होगा। किन्तु क्या यह भी आप जानते हैं कि पंजाब में क्या रेट है? श्रीमन्, मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं उन्हें बिजली कास्ट आफ प्रोडक्शन से भी कम पर दी गयी। तो अगर इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसकी साढ़े तीन सो करोड़ रुपये की फाइनेंस हो और जिसके पास भारत में कहीं पर भी इन्डस्ट्रीज के लिये लाइसेंस आते हों उसको इतने कम पर देना कहां तक उचित है। आज बिड़ला एण्ड को० भारत की तकदीर का फैसला करती है कि किस-किस सूबे को कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज जाएंगी, किस किस कैपिटलिस्ट के पास जाएंगी। यू० पी० की सरकार ने ५५ हजार किलोवाट बिजली एक करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा देकर दिया। यदि आपको वास्तव में काटेज इन्डस्ट्रीज से प्रेम है, उसे प्रोत्साहन देना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह से सरकार कुछ थोड़े से लोगों को प्रोत्साहन दे सकती है, लेकिन इससे आम जनता का फायदा नहीं होगा।

(लाल बत्ती होने पर) अभी तो मुझे बहुत बोलना है।

श्री अधिष्ठाता—

आज समय बहुत सीमित है, आप २, ३ मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री बलवान सिंह—

डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर्स हैं। उनके यहां की एक घांधलेबाजी मुझे मालूम हुई। लखनऊ में एक सज्जन ने सन् ६४ में बिजली लगाने के लिये दरख्वास्त दी। उसके लगाने की दरख्वास्त नीचे से पास होती आयी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर दो साल तक टालते रहे। बीच बीच में उनको दिया भी गया लेकिन सन् ६६ में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यह एक तमाशा होता है डिस्ट्रिक्ट में तो इस चीज को डाइरेक्टर साहब को रोकना चाहिये।

जब तक उन इंडस्ट्रीज को जिनको वह चलाना चाहते हैं, और जब तक उसका उत्साह खत्म नहीं हो जाता तब तक यह सरकार पैसा देने के लिये तैयार नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी।

दूसरी चीज अभी माननीय सुशीला जी ने कही कि जहां इंजीनियरिंग सेक्शन है, एलेक्ट्रो प्लेटिंग जैसे टेकनालाजिकल विभाग हैं उनका इन्चार्ज टेकनालाजिकल एक्सपर्ट होना चाहिये। डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज आई० ए० एस० हो लेकिन दूसरे टेकनालाजिकल एक्सपर्ट्स ही होने चाहिये।

अब मैं एक्सपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। खुशी की बात है कि २० लाख रुपये से ज्यादे का माल एक्सपोर्ट किया गया है। अभी एक साल के अन्दर जितना एक्सपोर्ट हुआ है, हमारे यू० पी० को सबसे अधिक फायदा उससे हुआ है। हैंडीक्राफ्ट का ५० प्रतिशत से ज्यादा माल बाहर प्रदेशों के लिये गया है। यह चीज अच्छी है और उस पर डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज ने ध्यान देकर बहुत अच्छा किया है। लेकिन उसी के साथ रा मैटिरियल का बटवारा हमारे यहां ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि रा-मैटिरियल के बटवारे को डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कर दें बनिस्बत इसके कि वह कानपुर से बटे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लोहा ज्यादा हिन्दुस्तान भर में होता है और फाइनेस्ट क्वालिटी का कोयला हिन्दुस्तान

भर में सबसे ज्यादा यू० पी० में मिल सकता है और ऐग्रोनामिक इंडस्ट्रीज ज्यादा चल सकती हैं वह सबसे ज्यादा रिच यू० पी० में है । तो मैं सरकार से खास तौर पर कहता हूं कि अगर हम अमेरिका की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो वह बेकार बात है लेकिन हां अगर आप ऐग्रोनामिक इंडस्ट्रीज लगावें और उसको विकसित करें तो आप स्वीडेन हालैंड और स्विटजरलैंड से बहुत आगे बढ़ सकते हैं । जो गरीब मुल्क होते हैं उनके लिये हैवी इंडस्ट्रीज ठीक नहीं है और उनके लिये तो ऐग्रोनामिक इंडस्ट्रीज जरूरी है । हजारों रुपये हैवी इंडस्ट्रीज में अनएम्पलायमेंट दूर करने के लिये दिया जाता है किन्तु एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज तो ४ सौ रुपये में लग सकती हैं । करोड़ों रुपया लगने के बाद भी आज ३० लाख से ज्यादा आदमी अनएम्पलायड हैं और हर प्लान के बाद अनएम्पलायमेंट बढ़ता जाता है जहां आपकी पर कैपिटा इन्कम हर देश के मुकाबिले गिर रही है उसमें मुझे आपसे कहना है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर ध्यान दीजिये जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमेंट लोगों को मिले । यू० पी० में रा मैटिरियल बहुत है । फारेस्ट्स हैं । लेकिन यू० पी० के अन्दर जो कमी है वह यह है कि मिनिस्टरों में कोआर्डिनेशन नहीं है । अगर फारेस्ट से मदद लेना चाहे या एग्रीकल्चर से मदद लेना चाहें डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज तो उनका आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । बिजली मिल नहीं पाती, पानी नहीं मिलता, पैसा उनको नहीं मिलता । सेन्टर से मदद नहीं मिलती तो सिवाय इसके कि यू० पी० बैकवर्ड की तरफ जाय और कोई चारा नहीं है, मैं यही कहने के लिये तैयार हूं । मैं समझता हूं मन्त्री जी ने मेरे प्वाइन्ट्स को नोट कर लिया होगा और वे उन पर विचार करेंगे ।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया । जिस पृष्ठभूमि में हमारे उत्तर प्रदेश का उद्योगीकरण शुरू हुआ उस पृष्ठभूमि में उस पर विचार करना आवश्यक है । इसी के तहत में इंडस्ट्रीज विभाग की सफलता और असफलता को देखा जा सकता है । हमारा प्रदेश इतना बड़ा है जिसमें ८ करोड़ जनता रहती है । अभी कुछ लोगों ने चर्चा किया कि हमारे यहां प्रदेश में ऐसे बैकवर्ड पाकेट्स हैं, पूर्वी जिले हैं, बुन्देलखंड है और पहाड़ी जिले हैं, इन क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुये और जिस बैक ग्राउंड में इसको शुरू किया गया उसमें इंडस्ट्री विभाग ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वह सराहनीय हैं । इसी प्रकार से आप ऐसी स्थिति में देखें तो मालूम होगा कि हैन्डीक्राफ्ट हमारे यहां पहले नम्बर का है, जो यहां से सब जगह सप्लाई होता है । डिफेन्स प्रोडक्शन का सामान भी दूसरे नम्बर पर है । बलवान सिंह जी ने कहा कि बिड़ला को सस्ती बिजली दी गई । मैं आपको बतलाऊं कि जहां पर फैक्टरी वह बनाई गई है वहां पर बड़ा भयानक जंगल था। उसमें शेर रहते थे । पहाड़ी इलाका था । वहां पर उन्होंने उस फैक्टरी को लगाया । रा मैटिरियल वह रांची से लाते हैं। लाने के लिये उनको रास्ता भी कुछ देना चाहिये । ऐसे पूंजीपति ने प्रदेश में अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई और सरकार ने कुछ उसको फैसिलिटी दी तो इसमें कोई खास एहसान उनके ऊपर नहीं किया है । प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ सुविधा न देंगे तो कौन यहां पर आकर उद्योग लगाने का प्रयत्न करेगा। मैं सरकार की कमजोरी भी निवेदन करना चाहता हूं । आज यदि हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत बड़ी फैक्टरी लोग नहीं लगाते हैं तो उसका कारण यही है कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई । बिड़ला फैक्टरी के अन्दर चपरासी को १२५ और १५० रुपया मिलता है। वहीं पर सरकार की सीमेन्ट फैक्टरी है। वहां पर इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है । इंडस्ट्री विभाग की जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं वह कम नहीं कही जा सकती हैं । सीमेंट फैक्टरी लगाई गई हैं । पहले उसकी जितनी क्षमता थी उसको दुगुना किया गया और अब उसको और अधिक किया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामप्यारे]

मिर्जापुर में जो काम हुये , उसकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह जिला पहले बड़ा ही बैकवर्ड था । आज यह जिला बिजली की रोशनी से जगमगा रहा है । यहां पर बिड़ला फैक्टरी लगाई गई वहां पर रोशनी चमक रही है । रिहेन्ड डाम के पास सारा जंगल चमक रहा है । कोल फील्ड में बिजली चमक रही है । यह सब पहले ऐसा जंगल था जहां पर शेर और जंगली जानवर रहा करते थे । कोई आदमी वहां पर नहीं जा सकता था । इन उपलब्धियों को देखकर औद्योगीकरण की दिशा में काफी काम किया गया है । मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां जो उद्योग लगाये गये हैं वह बड़े महत्वपूर्ण हैं ।

अब मैं चन्द सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं । मिर्जापुर में बरतन का उद्योग, कालीन का उद्योग और लघु उद्योग भी बड़े महत्वपूर्ण हैं । मैं समझता हूं कि उद्योगों के लिये इतना रा मैटीरियल मिर्जापुर में प्राप्त हो सकता है कि जो बहुत आसानी से चलाये जा सकते हैं । वहां पर ऐसे पेड़ हैं जो पेपर मिल के काम आ सकते हैं । मैं चाहता हूं सरकार वहां पेपर मिल स्थापित करें उत्तर प्रदेश के अन्दर मिर्जापुर में ही लाख पाया जाता है जो हमारे ही क्षेत्र दुद्धी में पड़ता है । लाख उद्योग ऐसा है जिससे फारेन एक्सचेंज की समस्या भी हमेशा हल हो सकती है, लाख उद्योग आज वहां मर सा गया है, इसलिये हमारी प्रार्थना है कि उस उद्योग को पुनः जीवित किया जाय ।

इसके अलावा मैं दो तीन महत्वपूर्ण सुझाव और देना चाहता हूं । वहां बड़ी फैक्टरीज लग रही हैं जिनमें लोगों को नौकरी मिलती है । वह क्षेत्र ऐसा है जहां पढ़े लिखे लोग कम हैं लेकिन जैसे चपरासी हैं, खलासी हैं या अनस्किल्ड लेबर हैं उनकी भर्ती के लिये ऐसा नियम बनाया जाय जिससे जो भी वहां इंडस्ट्रीज लगें, उनमें स्थानीय लोगों की भर्ती के लिये २५–३० या ४० प्रतिशत या जो भी प्रतिशत आप ठीक समझें, निश्चित कर दिया जाय जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके । हमारे यहां की हालत यह है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी है, लेकिन उसमें रावर्ट्सगंज या दुद्धी के लोग नहीं हैं । डल्ला में जो भर्ती होगी उसमें भी स्थानीय लोगों को रखने की कोई आज्ञा नहीं है । कहा जाता है कि इसके लिये योग्य आदमी नहीं मिलते हैं । मैं पूछता हूं कि चपरासी के लिये कौन सी योग्यता चाहिये, लेकिन स्थानीय लोगों को रखने के बजाय जो आफिसर लोग हैं वे अपने क्षेत्र के आदमियों को लाकर भर्ती कर लेते हैं । इस तरह से माननीय मंत्री जी वहां यद्यपि उद्योग धंधे खोल रहे हैं, लेकिन उसका फायदा स्थानीय जनता को कुछ भी नहीं हो रहा है ।

दूसरी चीज यह है कि बड़े उद्योग धंधे के लिये जो जमीन आप एक्वायर करते हैं, उसके लिये लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत जो भी मुआविजा दिया जाता है वह बहुत ही कम होता है । मैं चाहता हूं कि जिन किसानों की या लोगों की जमीन आप लें, कम से कम उनको उतनी कीमत जरूर दें जिससे जिस हालत में वह आज हों उससे बेहतर हालत में रहें । एक तरफ तो आप फैक्टरी लगाते हैं और दूसरी तरफ बस्तियों से कुछ लोगों को उजाड़ते जाते हैं, जो ठीक नहीं है । ये हमारे दो तीन महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

थर्मल पावर स्टेशन कोई बिड़ला जी लगाना चाहते हैं लेकिन जैसा कि बतलाया गया है, बिजली न मिलने की वजह से वहां आज हजारों लेबर बेकार पड़े हैं । इसलिये माननीय मंत्री जी से और खास कर माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से कहूंगा कि उनको बिजली जल्द से जल्द दी जाय जिससे वहां के लेबरों को काम मिल सके ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक फैक्टरी उद्योग विभाग द्वारा फायर ब्रिक्स की हमारे ही क्षेत्र बांसी में शुरू होने वाली थी । उसके लिये जमीन भी एक्वायर कर ली गई थी लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है । वह ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही बैकवर्ड है इसलिये मैं चाहता हूं कि उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाय ।

एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं । वहां पर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, लेकिन आपको कठिनाई आती है कि टेक्निकल आदमी आपको नहीं मिलते । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में टेक्निकल स्कूल या आई० टी० आई० या पोलिटेक्निक स्कूल खोलें जहां शिक्षा देकर लोगों को उन उद्योगों में लगाया जा सके । उन स्कूलों में उसी तरह की शिक्षा दी जाय जिस तरह के लोगों की उन फैक्टरीज में जरूरत हो ।

(इस समय २ बज कर ३६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

इसके अलावा एक बात मैं पुनः सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिले के अन्दर ऐडवाइजरी कमेटी के रूप में जो उद्योग समितियां थीं उनको खत्म कर देने से कोई भला नहीं होगा । उन समितियों में जिले के अधिकारी या कर्मचारी जो भी आते थे, उनके सामने जिसको भी उद्योग धंधे के लिये कोई लोन दिया जाता था, वह इस बात को अच्छी तरह से समझ बूझ कर कि उससे रुपया वसूल हो जायगा, उनकी राय से ही दिया जाता था । यह बात बिलकुल गलत है कि बिना कुछ सोचे समझे ही किसी को लोन दे दिया जाता था । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो जिला कमेटीज हैं उनका पुनर्गठन किया जाय और उनको पहले से ज्यादा सशक्त किया जाय और उनके द्वारा जो भी सुझाव आवें उन पर अमल किया जाय ।

कई वर्ष हुये हमारे यहां एक एग्रो इंडस्ट्रियल स्कीम चलाने की बात थी । वहां के कर्मचारियों ने इस सिलसिले में दौरा किया । वहां के बड़े अधिकारी रामदास जीने हमारे साथ दौरा किया और कई उद्योग धंधे चलाने की बात सोची गयी, जैसे वहां लाख बहुत मिलता है, कागज का कारखाना खोलने की बात सोची गयी, वहां महुआ बहुत होता है जिससे तेल से साबुन बनाने का कारखाना खुल सकता है और इस तरह के उद्योग धंधों के लिये हम लोगों ने २२ गांव सेलेक्ट किये लेकिन वह स्कीम आज तक कागज पर ही है । मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुये यह उद्योग धंधे वहां पनपाये जायं अन्यथा स्थानीय जनता का कल्याण नहीं होगा । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो एग्रो इंडस्ट्रियल स्कीम बनी हुई थी, उस को वह तत्काल लागू करें । इसके बाद सरकार की जो उद्योग नीति है उस के लिये पुनः एक बार माननीय मंत्री जी तथा उद्योग विभाग को धन्यवाद देते हुये इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, उद्योगीकरण के संबंध में सरकार की जो नीति थी वह अब काफी बदल गई है । इस में सब से पहले यह ध्यान रखा गया था कि देश और प्रदेश जो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हैं उन को कृषि से हटा कर उद्योग में ले जाया जाय । दूसरे यह था कि बेकारी की जो समस्या है उस को कम किया जाय और तीसरे यह कि जो बहुत से माल के लिये विदेशों के मुहताज रहते हैं, बहुत से सामान हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं उनके लिये विदेशों पर निर्भर न रह कर हम अपने यहां ही उन सामानों को बनाने की व्यवस्था करें । अगर इस कसौटी पर इस उद्योग विभाग की पिछली कार्यवाही को रखा जाय तो चाहे आप प्रदेश को ले लीजिये अथवा देश को, सभी क्षेत्र में हम पिछड़ते गये हैं ।

मान्यवर, जहां तक काम देने का सवाल है, जनवरी, १९६५ में जहां २४.५ लाख काम चाहने वाले मजदूरों की संख्या थी वह अगस्त ६५ में बढ़ कर २६.५ लाख हो गयी । पूरे देश में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन में जनवरी ६५ में ६,००० लोगों को काम मिलता था, लेकिन अगस्त ६५ में उन की संख्या ५,५०० रह गयी । ६२ में जो मासिक औसत था मजदूरों का जिनको काम मिलता था वह ७,००० था जो ६४ में घट कर ६,७०० रह गया । रोजगार भी कम हो रहा है और काम चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है । इस कसौटी पर अगर हम इस विभाग

[श्री ऊबल]

को कसते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस में हम फेल हुये हैं। दूसरे देश की जो औद्योगिक नीति पहले निर्धारित की गयी थी उस में काफी संशोधन हुये हैं। सरकार की जो मानी जाती नीति थी, जिस की शक्ल में घोषणा की गयी थी कि इस के मुताबिक देश का उद्योगीकरण किया जायगा, उस में दिनों दिन परिवर्तन होता जा रहा है। आज संसार के सारे देश, ब्रिटेन, अमेरिका सभी चाहते हैं कि हमारा देश पिछड़ा रहे, कच्चा माल पैदा करता रहे और कृषि प्रधान रहे ताकि उनके कारखानों के सामान के लिये बाजार उनको तलाश न करना पड़े और वह सारा माल यहां खप जाय। आप देखें कि ४५ में हमारे देश में ७५ विदेशी कंपनियां थीं, ६०-६३ में वह बढ़ कर १,४४६ हो गयीं और उसके बाद उनको और और सुविधा दी गयीं। नतीजा यह हुआ कि हमारे देश का उद्योगीकरण नहीं हो रहा है। सुविधा यह दी गयी कि विदेशी पूंजीपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। यह जो भटकाव बीच में पैदा हुआ कि पहली नीति तो राष्ट्रीयकरण पुरानी कम्पनियों का करने की थी और मुख्य मुख्य उद्योग सरकारी क्षेत्र में लगाये जायंगे उस नीति को छोड़कर उसमें परिवर्तन किया गया और उसके मातहत विदेशी पूंजीपति मुनाफे के साथ साथ अपनी पूंजी भी देश के बाहर अपने देश में ले जा सकते हैं और बहुत से कानून जो लागू थे उनको भी कम किया गया। जैसे यह कानून था कि अगर मुनाफे का हिस्सा मजदूरों में नहीं बांटेंगे तो ३७ फीसदी का जुर्माना कंपनियों पर होगा। उसको घटा कर २५ फीसदी किया गया। इस नीति में बुनियादी भटकाव के कारण हमारे देश और प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। मंत्री जी ने कहा कि अब तो १४-१५ कारखाने आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो ३ पंचवर्षीय योजनायें गुजर गयीं इसमें एक तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी लखनऊ की, एक मिर्जापुर की चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी जिसमें इधर दो तीन वर्ष से ही कुछ सुधार हुआ है वरना हमेशा घाटा ही घाटा गया है, यही औद्योगीकरण हुआ था और रबर फैक्टरी। खाद्य मंत्री जो सेन्टर के हैं उन्होंने बताया था कि कानपुर में फरटिलाइजर का कारखाना लगने वाला है उसका समझौता अमेरिका के साथ हुआ है। १२० वर्षों के लिये। अमरीका वाले जिस भाव पर चाहेंगे फरटिलाइजर बेचेंगे और उसी भाव पर बिकेगा। उस पर सरकार का कोई दखल नहीं होगा नतीजा यह होगा कि फर्टिलाइजर बहुत बढ़े हुये दाम पर किसानों को मिलेगा और हमारे यहां कृषि की पैदावार घटेगी और किसानों से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल होगा। मेरा कहना यह है कि सरकार को औद्योगीकरण की नीति में भटकाव आ गया है।

हमेशा से मांग थी कि चीनी की मिलें पुरानी हो चुकी हैं और बहुत से मिल मालिक अपनी फैक्टरियां दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उससे उन्होंने मुनाफा कमाया लेकिन पूंजी लगाकर सुधार नहीं किया। सरकार से मांग की गयी कि चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसी तरह से कानपुर में हर साल हजारों रुपया सरकार को गलत औद्योगिक नीति से और पूंजीपरस्त पालिसी से, क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों के इशारे पर है हजारों मजदूर मारे जाते हैं। बनारस में कालीन उद्योग जिससे ५ करोड़ की विदेशी मुद्रा मिलती है, एक कमेटी बनी थी उसने एक फैसला किया था उसका पालन नहीं हुआ और कालीन मजदूर एक रुपया भी नहीं पाता और हड़ताल करने के लिये मजबूर हुआ है। तो सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीति है वह औद्योगीकरण के क्षेत्र में बाधा हो रही है और सरकार को अमरीका, ब्रिटेन को खुश करने वाली जो पालिसी है कि उनको छूट देना, उनके मुनाफे को बढ़ाना, उनकी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण न करना और यहां के बड़े बड़े इजारेदार टाटा, बिरला और पदमपत् जिनकी मिली भगत ब्रिटेन से और अमरीका वालों से है उनको छूट देना और उनके साझे में सारे उद्योगधंधों को चलाना इस नीति की वजह से आज हमारे देश और प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योग धंधे व्यक्तिगत लोगों और बड़े-बड़े देशों के अन्दर चले जा रहे हैं।

अभी राममूर्ति जी ने कहा कि रिहंड डैम की बिजली कोई लेने वाला नहीं था तब हमने दिया। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं और वह यह कि सरकार ने बिड़ला तथा चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को जो बिजली दी है वह किस रेट पर दी है ? बिड़ला को तो २ पैसे से कम की यूनिट

के हिसाब से बिजली दी जाती है, किसानों को उससे कहीं ज्यादा यानी ३ पैसे यूनिट पर मिलती है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मऊ और गोरखपुर पावर हाउस से चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को बिजली दी जायेगी ? और क्या इनसे ५ नये पैसे के अलावा ५० हजार रु० माहवार उसके वसूल किये जायेंगे नहीं तो बिजली काट दी जायगी ? रिहन्द के अधिकारियों ने चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी को नोटिस दिया कि आपको मऊ थर्मल प्लान्ट से बिजली दी जायेगी और ५ पैसा फी यूनिट के हिसाब के अलावा ५० हजार रु० मासिक देना पड़ेगा । नहीं तो बिजली काट दी जायगी, बिड़ला को यह सरकार २ पैसे से कम की यूनिट के हिसाब से देती है । मैं कहता हूं अगर यह सब ठीक है तो यह आपकी राष्ट्रीय नीति के विरोध में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग से संबंधित अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं सब से पहले लखनऊ शहर के बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा । उद्योग विभाग ने लखनऊ शहर में कोई भी भारी उद्योग लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया है । इस बजट में उद्योगों के लिये जो मांग की गयी है, उसमें लखनऊ शहर के लिये कोई भी उद्योग लगाने की व्यवस्था नहीं की गयी है । मेरी मांग है कि लखनऊ में एक हैवी उद्योग का कारखाना अवश्य स्थापित किया जाय ।

मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने १५ हैवी इन्डस्ट्रीज को स्वीकृति दी है, किन्तु वह सब लखनऊ के बाहर हैं । उनमें से एक भी लखनऊ के अन्दर नहीं लगायी जायेगी । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

लखनऊ में ४ वर्ष पूर्व, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनायी गयी थी । लेकिन अफसोस की बात है कि किन्हीं कारणों से उसे भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी और यहां स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कायम नहीं हो सकीं । उस स्टेट का यद्यपि ३ लाख रुपया हार्ड कैश यूं ही पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया है ।

तीसरी मांग मेरी यह है कि हमारे प्रदेश में, अल्मूनियम की फैक्ट्री है, मगर लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार अल्मूनियम नहीं मिलता है । मेरी यह मांग है कि इस फैक्ट्री को फिनिश्ड गुड्स बनाने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये । छोटे छोटे इन्डस्ट्रीज के लिये वह मिलना चाहिये। फिनिश्ड गुड्स बनाकर यह लोग मनमाने दामों पर चीजों को बेचते हैं ।

बड़े-बड़े उद्योगों को लगाने के लिये लोगों को जो लाखों रुपया दिया गया था, मेरी जानकारी है कि उन लोगों ने ४ साल से अभी तक उसका एक भी इन्सटालमेन्ट दाखिल नहीं किया है । अगर ऐसी बात है तो माननीय मंत्री जी को एटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स एडाप्ट करके उनसे रुपया रियलाइज करना चाहिये और वह रुपया उनसे लेकर छोटे-छोटे उद्योगों के लिये लोगों को देना चाहिये ।

मुझे मालूम हुआ है कि उद्योग विभाग जिला उद्योग आफिसरों की पोस्ट को खत्म करने वाला है । अगर ऐसा है तो वह गलत है । जो उद्योग लगाने वाले हैं, उनको इन्डस्ट्रीज अफसरों से बड़ी सहायता मिलती है । उनको उनसे इन्सेन्टिव तो मिलता ही है । हर चीज की राय मशविरा उनसे लेते हैं । एक चीज और खास है कि अभी टैक्नीकल सेल्स ज्वाइन्ट डायरेक्टर के लेवल पर नहीं खोले गये हैं । टैक्नीकल आफिसर अभी कानपुर में ही हैं जिससे जो लोग इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उनको कानपुर दौड़कर जाना पड़ता है । तो ऐसा नहीं होना चाहिये । पे रैशनेलाईजेशन कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी । उसमें दिया हुआ है कि असिस्टेन्ट डायरेक्टर का पे ग्रेड बदल दिया गया

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

है उनके ऊपर जब इतना बड़ा भार है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि जिलों में बड़े बड़े इन्डस्ट्री लगायें और लोगों में इनीशियेटिव पैदा करें कि वे लोग लगायें तो ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले की अगर सैलरी घटा दी जायगी, उनको इन्फार्मेशन डायरक्टोरेट के असिस्टेन्ट डायरेक्टर की भी सैलरी नहीं मिलेगी तो उसको क्या एनकरेजमेंट मिलेगा। पे कमेटी ने पहिले ही अपनी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जो लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको डीयरनैस अलाउन्स अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बढ़ायेगी तो उस लेविल पर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस ओर सरकार ने कोई कदम नहीं बढ़ाया। इससे अपनी स्टेट में बड़ा असन्तोष है। यह जनहित में सरकार के सुचारु रूप से चलाने के लिये जो सबसे लोएस्ट लेविल के पुर्जे हैं उनकी बहबूदी का ध्यान रखते हुये सरकार को कहीं से भी पैसा निकाल करके उनको अलाउन्स सेन्ट्रल सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर देना चाहिये।

अभी बहुत से लाईसेन्स इम्पोर्ट के इस तरह दिये जाते हैं रूपी एरिया से। रूपी एरिया वाले देश जो हैं वे माल सप्लाई करने से इन्कार करते हैं क्योंकि उनके पास इतने आर्डर्स हैं कि उनको मजबूरन इन्कार करना पड़ता है। तो मैं सरकार के द्वारा अपने डायरेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले में गौर करें और वे कोशिश करें कि लोगों के लाईसेन्स लैप्स न हों। कुछ ऐसी भी इन्ड्रस्ट्रीज हैं। एक इलाहाबाद में इन्डियन यूनिवर्सिटीज प्रेस नाम की कन्सर्न है जिसमें हायर पर्चेज से उन्होंने एक मशीन ली और जिसमें लाखों रुपया लगा है। लेकिन उनको रा मैटीरियल अपने हिन्दुस्तान में मिल नहीं रहा है। तो उसमें डायरेक्टर साहब का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी मशीनों के लिये अपने प्रदेश भर में पता लगा करके उनके लिये मार्केट से रा मैटीरियल दिलवाने का प्रयत्न करें। सबसे आखिर में मैं यह चाहूंगा कि डायरेक्टोरेट में ऐसे अफसर रखें जायं जिनको कि इन्डस्ट्रीज के बारे में ज्ञान हो। क्योंकि अगर वे सिर्फ किताबी कीड़े होंगे, अगर वह किताबी ज्ञान उनमें होगा तो वे इन्डस्ट्रीलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें जरूरत है फील्ड वर्कर टाईप अफसरों की। इसलिये अपनी प्रदेशीय गवर्नमेन्ट को चाहिये कि एक ऐसा काडर बनायें जो कि इन्डस्ट्रियल काडर हो और जिसके कि अफसर किसी न किसी इन्डस्ट्री को चला चुके हों। अगर ऐसे अफसर अप्वाईन्ट किये जायं तो जिलों में ज्यादा काम होगा बनिस्बत आज के। अपने प्रदेश में उद्योग विभाग ने काफी प्रगति की है लेकिन अगर मेरे इस सुझाव को मान लिया गया तो प्रदेश की और भी बहुत ज्यादा तरक्की होगी। इस विभाग के ज्वाइन्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर ऐसे लोग बनाये जायं जो ५-६ साल तक एक ही पोस्ट पर एक ही जगह रहें ताकि वे डिपार्टमेंट की पालिसी को इम्पलीमेन्ट कर सकें क्योंकि एक साल तो उनको काम के समझने में ही लगता है, एक साल अफसरों को कन्ट्रोल करने में लगता है और तीसरी साल उसका ट्रान्सफर ही कर दिया जाता है। खास तौर से यह जरूरी है कि इन्डस्ट्री विभाग में जो प्रमोशन होते हैं वह सैन्य आफ सर्विस पर नहीं होने चाहिये बल्कि मेरिट पर होने चाहिये कि उन्होंने अपने यहां क्या काम करके दिखाया। अगर इस तरह से प्रमोशन हुये तो अवश्य ही बहुत ज्यादा तरक्की होगी।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सनअती अनुदान पर बोलने का मौका दिया। इसी प्राब्लम पर देश और इस सूबे की भलाई और बहबूदी का दारोमदार है। जिन यूनिट्स का इन्डस्ट्रीज आफीसर के यहां रजिस्ट्रेशन होता है और जिन्होंने डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के यहां सर्टिफिकेट लिया है ऐसे कारखानों का, यह ताज्जुब की बात है वक्त पर रा मेटीरियल नहीं मिलता है। ऐसे सैकड़ों छोटे कारखाने हैं। जब उनको रा मेटिरियल ही नहीं मिलता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन बेकार है।

मान्यवर, इसके अलावा छोटे छोटे कारखाने वालों को १-१ २-२, ४-४ हजार रुपया इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट देता था लेकिन अब ऐसा सुनने में आया है कि छोटी रकम छोटे लोगों को न दी जाकर बड़ी बड़ी रकमें बड़े बड़े लोगों को दी जायेंगी। इससे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की ही इम्दाद होगी और छोटे लोगों का हक मारा जायगा। उद्योगों के जरिये शहरों

और देहातों के हजारों, लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है। अगर उद्योगों के लिये दिये गये रुपये का बेजा इस्तेमाल न किया जाय तो उद्योगों का मकसद जरूर पूरा हो जायगा।

जो लोग रुपये के लिये दरख्वास्त देते हैं उनको बड़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती है। छोटे आदमियों को बड़ी दुश्वारी होती है। जिन छोटे सनअतकार लोगों की दरख्वास्तें मंजूर हों उनको हर एक बड़े कारबारों के तनासुब से रॉ मेटीरियल मिल जाना चाहिये। सप्लाई आफीसर को जो रा मेटीरियल बांटने का अधिकार दिया गया है वह इन्डस्ट्री आफीसर को दिया जाय। सूबे में इन्डस्ट्री की तरक्की के लिये चार बातें बहुत जरूरी हैं—(१) रॉ मेटीरियल का वक्त पर मिलना, (२) कर्जे या अनदान का समय पर मिलना, ज्यादा से ज्यादा तीन महीने में कर्जे का तकसीम कर दिया जाना, (३) किसी भी सनअतकार को प्रार्थनापत्र देने पर ३० दिन के अन्दर इनरजी पावर का मिल जाना और (४) यह कि माल की कीमत का मुकर्रर किया जाना और उस माल के लिये बाजार तैयार करना। मिसाल के तौर पर मैं एक वाकया बहराइच का पेश करूंगा कि हमारे यहां का एक शख्स जिसका नाम इश्तियाक अली है उनसे सनअती महकमें के कर्मचारियों ने खासतौर से एक दरख्वास्त दिलवाई उसको खूब दौड़ाने के बाद जब उन लोगों ने उससे अपना मतलब निकाल लिया तब उन्हें ६००० रुपया एक आरा मशीन के लिये मंजूर हुआ और उसकी जो अपनी निजी पूंजी थी वह भी उन्होंने लगा दिया तब जाकर उसकी इमारत, आरा मशीन और मोटर वगैरा लगा और ६ माह से उस पर बराबर सूद चढ़ रहा है लेकिन आजतक उसको मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। उस गरीब ने बराबर लखनऊ, बहराइच और गोंडे की खाक छानी और यहां भी वह दौड़ा और अपनी अर्जदाश्त उन्होंने हमारे माननीय मंत्री गिराधारी लाल साहब के सामने भी की और उन्होंने मेहरबानी कर के हुक्म भी दिया कि उस को बिजली दे दी जाय लेकिन उस पर भी गोंडा आफिस वालों ने कहा कि ऐसे मंत्रियों के आदेश यहां रोज आया करते हैं। इस तरह से उद्योग के मामलों में रुकावटें डाली जाती हैं और इस तरह से जो गरीब आदमी फंस जाता है उसकी हिम्मत टूट जाती है और उसको देखकर फिर और लोग भी हिम्मत तोड़ देते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इन हालात में सनअत की तरक्की होना नामुमकिन है।

इसके अलावा मुझे पता चला है कि अब सरकार ने फैसला किया है कि टीन के बक्से तैयार करने वाले छोटे सनअतकारों को अब आगे टीन नहीं दिया जायगा और इस तरह से इस फैसले से लगभग दस हजार आदमी इस सूबे में मुतास्सिर होंगे और उनकी रोजी छिन जायगी। मैं चाहता हूं कि नजरसानी कर के सरकार अपने इस तरह के आदेश को वापस ले ताकि यह लोग बेरोजगार न हों। आडिट रिपोर्ट सन् ६३ के सफे ६० पर इंडस्ट्रीज महकमे का जिक्र इस तरह से है कि इलाहाबाद में एक दियासलाई के कारखाने के लिये ६१ हजार का अनुदान और एक लाख ७७ हजार रुपया बगैर किसी इकरारनामे की तकमील के इस विभाग ने दे दिया और बाद को पता चला कि १ लाख ६६ हजार का नुकसान हो गया और इसी तरह से २१ कारखाने में से सिर्फ ६ कारखाने ही कुल चले और बाकी १५ बन्द हो गये। इस से साफ जाहिर है कि यह विभाग सियासी मसलहत के लिये बड़े आदमियों और बेईमान लोगों की मदद करता है और इस ढंग से रकम तकसीम करना ही गोया इस विभाग का काम है। इसी तरह से इलाहाबाद में एक निजी मिल के लिये ७,१४५ रुपया से १२ बीघे ५ बिस्वे जमीन खरीदी गई। मालिकान आराजी ने रुपया लेने के बाद दावा दायर किया और अदालत ने उन को मजीद १८,४३८ रुपये दिलाये और ६ फीसदी सूद का भी और दिलाया और फिर मुद्दयान ने सन् ५६ में सरकार और जिला कलक्टर को नोटिस दिया और यह कहा कि कम्पनी को अब उस जमीन की जरूरत नहीं है, कम्पनी दिवालिया बन गई और अदालत के जरिये से उसने २० मई, सन् ५९ को सरकारी खजाना कुर्क करा दिया। सन् ६० में ६,२७८ रुपये और २१,४०० रुपये की दो रकमें सरकार को बजट में मंजूर करके देनी पड़ीं। इस तरह से २६,४२७ रुपया जमीन के मालिक और ले गये और १,२२१ रुपया अब भी अदालत दीवानी में पड़ा है। इन वाकयात से जाहिर होता है कि सूबा सनअत में कितनी

[चौधरी अब्दुल हसीब खां]

तरक्की कर रहा है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अच्छा हो अगर सनअत के महकमे की एक शाखा मुकदमेबाज अलग से खोल दी जाय ताकि आसानी हो। (समय समाप्त)

(श्री गिरधारी लाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती रामरती—

श्रीमन्, अभी तक इस पर एक महिला ही बोली हैं। अतः आपको हमें मौका देना चाहिये कि मैं भी अपने विचार इसके संबंध में सदन के समक्ष रख सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई बात नहीं है। आप कृपया बैठें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, आपको हमें मौका देना चाहिये। अपने जिले से मुझे भी चुनकर भेजा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर इतने लोग हैं, हर एक को मौका नहीं दिया जा सकता है। नित्या नन्द जी का नाम भी है और बहुत से लोग हैं।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि आज प्रातःकाल से ही मैं यहां पर इस निमित्त बैठा हुआ हूं कि उद्योग के संबंधित अनुदान पर अपने विचार सदन के समक्ष रखूं। श्रीमन्, वाराणसी उद्योग से संबंधित है और आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे इस अनुदान के संबंध में बोलने का अवसर दिया लेकिन मेरे खड़े होने पर ही कुछ माननीय सदस्यों को अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना भाषण थोड़ी देर में ही समाप्त कर दूंगा। हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी और उसके पिछड़ेपन को देखते हुये सरकार की तरफ से इस दिशा में जितना भी प्रयास किया जाय उतना ही थोड़ा है। हम और आप सभी जानते हैं कि यह सरकार, हजारों करोड़ रुपया लगाकर पंचवर्षीय योजनाओं में, उतनी प्रगति और उतना औद्योगीकरण नहीं कर सकी जितना कि होना चाहिये था, चाहे वह कृषि की ओर हो और चाहे वह उद्योग की ओर हो। यह तो निश्चित है कि जितनी हमारी आबादी है, उसके हिसाब से इन पिछले १५ वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध है कि केवल कृषि के उत्पादन को बढ़ा देने से इस प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। अतः उद्योग के सिवाय हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है।

मान्यवर, जब यह उद्योग विभाग स्थापित किया गया उस समय इस विभाग ने साधनों की कमी रहते हुए भी काफी सर्वेक्षण किया और उसके बाद इस विभाग के लोगों को उत्साह और सहायता दोनों मिली लेकिन आज जब हम यह देख रहे हैं कि हमारे देश में अन्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ उद्योग की दिशा में बढ़ रहे हैं, हमें खेद है कि इस विभाग की ओर से उन उद्योगों के लिए, जिन के लिए यह विभाग नितान्त जरूरी है, उपेक्षा बरती जा रही है। आप यकीन मानें कि हमारी सरकार की तरफ से बड़े-बड़े उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग की जा रही है और प्रदेश में उनको स्थापित भी करने जा रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगों से आर्थिक दिशा में कुछ प्रगति तो अवश्य होगी लेकिन इस ७–८ करोड़ आबादी वाले प्रदेश में आप पूरी तरह से विकास नहीं कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आप खोलते हैं। यहां पर मेरे दोस्त एक माननीय सदस्य ने कहा कि मिर्जापुर में बड़ी रौनक हो गयी है। बड़ी बिजली चमकने लगी है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहीं के एक निवासी ने बताया है कि उस जगह पर जो भी काम करने वाले प्राविधिक होंगे, वे बाहर से आये हुए होंगे । थोड़े से कुली और मजदूर उस जगह से जरूर मिल सकेंगे । मढ़वाडीह लोकोमोटिव कारखाने में काफी लोगों की जमीन ली गयी और आश्वासन दिया गया कि उनके बच्चों व घर वालों को काफी काम दिया जायगा, लेकिन वह बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि केवल प्राविधिक लोग ही उसमें लिये जा सकते थे । स्थानीय लोगों को इतना फायदा हुआ कि अधिक रुपया वहां वितरित हो गया । मकान वालों को और दूकानदारों को फायदा हुआ लेकिन जो लक्ष्य है वह प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों के विकास से ही पूरा हो सकता है । उस सम्बन्ध में हमारे विभाग की नीति गलत काम कर रही है ।

हम और आप सभी यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की साधारण जनता के रहन-सहन में विकास हो । उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो लेकिन जिस तरह के नियम हैं वे उद्योगों के फैलाव में बाधक हैं । किसी के पास बुद्धि है, कला है लेकिन पूंजी नहीं है तो वह कोई भी उद्योग कच्चा नहीं कर सकता । अगर दो चार हजार रुपया किसी के पास हो भी तो दिक्कत आयेगी कच्चे माल की । उसको कच्चे माल का कोटा चाहिये जो निर्धारित होना बड़ा मुसीबतजदा है । जितने लोगों का कोटा निर्धारित है उतने ही लोगों का कोटा पूरा नहीं होता है तो अन्य लोगों के लिये कैसे उपलब्ध हो सकता है और इस प्रकार अगर नये आगन्तुकों को काम न हीं दिया जा सकता, उनके लिये नये नियम नहीं बन सकते और सारी सुविधायें पुराने कारखाने वालों तक ही सीमित रहती हैं तो फिर सोचिये कैसे हमारे प्रदेश की उन्नति हो सकती है ?

आज हमको अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा और छोटे कारीगरों प्रोत्साहन देना होगा । बनारस में गृह उद्योग हैं । दो तरह के आदमी वहां हैं । एक तो खुद काम करते हैं । दूसरे बीच के आदमी हैं जिनको कच्चे माल का कोटा मिलता है । वे बेचारे कारीगर जिनके पास साधनों की कमी है बीच वाले आदमी से कच्चा माल ले कर पनप नहीं पाते । पहले कोटा सिस्टम नहीं था तो मार्केट से वह अपना सामान थोड़े से पैसे में ले लेता था, सामान बनाता था और दूकानदार को दे देता था लेकिन कोटे वाला मुनाफा उसको नहीं देना पड़ता था लेकिन आज यह मुसीबत उस पर आयद हो गयी है । इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये वर्ना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि सारी सुविधा कुछ थोड़े से सीमित लोगों के लिये है जिनके पास पैसा है, साधन हैं और जिनके पास विभाग तक पहुंचने की शक्ति है । कोटे लेने वाला भी जानता है कि पैसे का बाजार कानपुर में गर्म है और बिना पैसे दिए हुए रत्ती भर काम नहीं हो सकता । हमारे यहां पीतल उद्योग में पीतल के कोटे को और तांबे के कोटे को कम करके अल्युमीनियम का कोटा निर्धारित कर दिया है जो पहले नहीं था । अभी इसके पहले अल्मूमीनियम का कोई कोटा नहीं था । अल्मूनियम के बर्तन बनाने वाले बड़े-बड़े व्यापारी नहीं हैं, गरीब आदमी हैं । उन्होंने दो कम्पनी कायम किये । उनके पास पूंजी नहीं है कि एक कम्पनी बना सकें । लोकल विभाग ने रेकमेंड भी किया कि उनका केस मंजूर किया जाय लेकिन चूंकि कानपुर में रकम नहीं पहुंची इसलिए नहीं हुआ । तो कैसे समझा जाय कि यह विभाग ऐसे गरीबों के लिए जिनके पास साधन नहीं हैं उनको प्रश्रय देगा ।

दूसरी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर इंडस्ट्रियल कमेटी का कोई उपयोग नहीं । वर्ष में दो एक बार मीटिंग होती है केवल इसलिए कि इंडस्ट्रियल लोन वितरित कर दिया जाय । चार-छः लाख की मांग होती है और लाख डेढ़ लाख रुपया वितरित होता है और वह भी आखिर तक बहुतों को मिलता नहीं । उन कमेटियों को आप महत्व दें । उनके द्वारा जो भी छोटे-छोटे उद्योग करने वाले लोग हों उनको कच्चा माल या लोन दिया जाय । कमेटियों की सिफारिश पर नवागन्तुकों को कोटा दिया जाय । हालत यह है कि ट्रंक बनाने वाले को चादर नहीं मिलती । लोहे के औजार बनाने वालों को सामान नहीं मिलता । यदि मंत्री जी वास्तव में चाहते हैं कि प्रदेश का हित हो तो लोकल कमेटियों को अधिकार दें कि जिन नये लोगों की सिफारिश करें उनको कोटा दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गिरधारीलाल जी पूरा भाषण दे गये कि उद्योग विभाग में यह यह खामियां हैं और अन्त में उन्होंने मांग का समर्थन कर दिया, तो सारा का सारा उनका बोलना बेकार हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी प्लानिंग में ही सारा दोष है। जब सरकार को यह पता नहीं कि उद्योग में कितना धन लगायेंगे, कितनी आबादी छोटे उद्योग में लगेगी, कितनी आबादी बड़े उद्योगों में लगी, तो उद्योग-धंधे का कोई मतलब नहीं होता। दुर्भाग्य है प्रदेश का कि हमारे इंडस्ट्री के डाइरेक्टर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन को इस प्रदेश की जमीन से कोई सरोकार नहीं, मुहब्बत नहीं। दूसरे प्रदेशों में, दक्षिण के या पड़ोसी प्रदेश हैं उनमें काफी उद्योगों में तरक्की हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों का कोई स्थान नहीं है न खयाल है। जब यहां उद्योग धंधों की प्लानिंग है ही नहीं तो उसके सम्बन्ध में न बजट की आवश्यकता है न वादविवाद की। मूल ही गड़बड़ है। बड़े उद्योग नाम को भी यहां नहीं हैं। छोटे उद्योगों की हालत यह है कि वाराणसी जिले में, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में साड़ी और कालीन का उद्योग होता है। इन दोनों उद्योगों में आश्रितों को मिला कर १० लाख लोग लगे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या का भरणपोषण करने वाले घरेलू उद्योग-धंधे के साथ जो उपेक्षा की नीति बरती जाती है वह अक्षम्य है। पहले पहल कालीन उद्योग में कोई नियम कानून था ही नहीं। जब सवाल किया गया कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए, तब तो सरकार ने कहा कि यह उद्योग मोची की तरह है, दर्जी की तरह है, जाते हैं लोग पैसा देकर अपना जूता और कमीज सिलवा लेते हैं। उनको उद्योग उस समय माना ही नहीं गया। लेकिन जब सन् १९५८ में उनकी हड़ताल हुई, सारा कारोबार ठप हो गया, ७० हजार मजदूर जो कालीन उद्योग में लगे हैं और उनके जो आश्रित परिवार हैं, जिनकी संख्या मिलाकर ढाई लाख है, उन लोगों ने जब इस उद्योग को बन्द कर दिया और महीनों काम रुका रहा तो सरकार ने एक कमेटी बैठाई न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये। उस कमेटी ने सन् १९६० में फैसला दिया। उस समय के हिसाब से या उसकी शुरुआत के हिसाब से उन्होंने कुछ मजदूरी मुकर्रर की। अब आप जानते हैं यह सरकार कायदे कानून बनाती है, सेक्शन ३-बी० के हिसाब से जब एक दफा न्यूनतम वेतन तय हो जाता है तो उसके पांच वर्ष के बाद उस पर फिर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। यह कायदे कानून किस लिये सरकार ने बनाये हैं जब वह स्वयं ही उनका पालन नहीं करती है, बार बार चिट्ठी लिखने के बाद, हड़ताल की नोटिस देने के बाद और सरकार से मिलने के बाद भी कुछ भी उसकी चिंता नहीं की गयी तो अन्त में विवश होकर कालीन बुनकरों ने नोटिस दिया कि वे २१ तारीख से हड़ताल कर देंगे। २१ तारीख को मैं श्रममंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, सरकार से मिला, लिखकर दिया, सारी कार्यवाही की गयी, लेकिन लेबर कमिश्नर और डाइरेक्टर कोई भी मामले को सुलझाने के लिये नहीं गया।

माननीय, उसके बाद मैंने आपकी अदालत में भी ध्यान ४२ और कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत दरख्वास्त की और यहां भी सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूर होकर ७० हजार मजदूरों ने हड़ताल कर दी और उसका नतीजा यह है कि सारा कारोबार ठप है। यह वह उद्योग है, जो विदेशी मुद्रा अपने देश में लाता है। उस उद्योग के साथ ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है कि मैं क्या समझूं कि क्या मोहब्बत है इस सरकार को इस जमीन से, यहां की जनता से। इस प्रकार की बातचीत हो रही है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कालीन बुनकरों की यदि ये मांगें नहीं मानी गयीं तो आप यह फैसला निश्चित तौर पर कर लें कि यह उद्योग अब इस प्रदेश में कतई चल नहीं सकता, वह अन्य किसी भी प्रकार से अपना काम चलायें-खेती करें या कुछ भी करें, लेकिन यह उद्योग नहीं चला सकते। आप उन्हें देते ही क्या हैं १२, १२ घंटा काम करवाने के बाद आप उन्हें १० आना और १२ आना मजदूरी देते हैं। किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को बुनकर की मजदूरी ३०, ३५ रुपया से अधिक नहीं है। मैं आपसे निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि यदि उनकी मांगें न मानी गयीं तो यह उद्योग सदा के लिये खत्म हो जायगा, जिसकी देश भर में और विदेशों में शान रही है। मैं उनकी मुख्य-मुख्य मांगों को आपको बता देना चाहूंगा—कानून बुनकरों के न्यूनतम वेतन का पुनः निर्धारण तत्काल किया जाए और उनकी वेतन की दरें इस प्रकार की हो जावें कि एक बुनकर को प्रतिमास ७५ रु० तथा कारखानों में काम करने वाले अकुशल मजदूरों को कम से कम ६५ रुपये की कमाई हो जाए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस उद्योग को चलाने के लिये सरकार जो ऋण देती है उसका भी अजीब किस्सा है। मैंने यह अनुभव किया है कि जरूरतमन्द व्यक्तियों को तो ऋण मिलता ही नहीं, यह तो किसी सिफारिश वाले को या सामाजिक कार्यकर्त्ता या ऐसे लोगों को जो निश्चित रूप से उद्योगों में पैसा नहीं लगाते और इधर उधर लगा लेते हैं कि उनकी रिकवरी का सवाल आता है और फिर रिकवरी होती नहीं और वे लखनऊ आकर रिकवरी को स्टे करा लेते हैं, ऐसी परम्परा चल रही है। जो जरूरतमन्द हैं उनको मिलता नहीं, और जिनको मिलता भी है उनको इतनी कठिनाई के बाद मिलता है कि उसका सारा साहस खत्म हो जाता है। मेरे वाराणसी जिले में पिछले दो-ढाई महीने पहले कमेटी ने करीब-करीब तय कर दिया था कि उन लोगों को ऋण दिया जाय लेकिन कलेक्टर महोदय और इंडस्ट्रीज आफिसर आज तक उनको ऋण नहीं दे सके। मार्च के महीने का खात्मा है, ऋण वितरित नहीं हो पाया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा और इंडस्ट्रीज आफिसर कहते हैं कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके लिये जिम्मेदार नहीं हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नीति हो उसकी स्पष्ट होना चाहिये और उनका कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये और कहां व्यय और कहां पर अपव्यय हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिये और किसने ऋण लेकर कोई उद्योग नहीं चलाया ऐसे लोगों के साथ कड़ाई होनी चाहिये और जुरमाने के साथ उनसे अदायगी करानी चाहिये। अगर ऐसा होगा तब तो उद्योग पनपेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण जिस ढंग से होना चाहिये था उस ढंग से नहीं हो रहा है, और उसकी प्रगति में बराबर अवरोध हो रहा है। अगर आप पांच वर्षों और १४ वर्षों की प्रगति को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जहां दूसरे प्रदेशों में ८ और ९ फीसदी के करीब प्रगति हुई है वहां इस प्रदेश में करीब ३ फीसदी प्रगति हुई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि उद्योग विभाग ने केवल एक बटा ३ काम किया है और ऐसी दशा में जब उद्योगों में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का आफिस है और इतने जिम्मेदार आफिसर्स हैं, और इतना बड़ा उनका अमला सा है तब वह कौन सा कारण है कि हमारा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। इसके साथ-साथ अगर आप देखें कि इस प्रदेश में कितने लाइसेंस दिये गये और उनमें कितने लाइसेंस रद्द हुये तो आप देखेंगे कि रद्द होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। उसका कारण यह है कि हमारे आफिसर्स धांधलेबाजी से, मनचाहे तरीके से उन लोगों को लाइसेंस नहीं देते हैं जो उनकी पूजा, अर्चना और भेंट नहीं दे सकते हैं। इसमें किसकी जिम्मेदारी है सरकार को देखना चाहिये। हमारे प्रदेश में दो तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बल पर यह प्रदेश चलता है उनमें तेजी से गिरावट आती जा रही है और वह बन्द होते चले जा रहे हैं। हमारे यहां कानपुर में म्योर मिल बन्द

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

हो गयी और विक्टोरिया मिल भी बन्द होने को आ रही है तो यह जिम्मेदारी किस पर है ? आप यह देखें कि जो योजनायें बनती हैं और उन पर जो काम होता है वह भी अगर आप देखें तो पता लगेगा कि पिछले साल सरकारी उद्योग यह था कि ६ या ७ करोड़ रुपये साल में खर्च करेंगे, लेकिन आप देखें कि उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ? दिसम्बर तक सिर्फ ३० फीसदी रुपया खर्च हो पाता है । ९ महीने तक अफसरान सोते रहते हैं । दिसम्बर के बाद आफिसर्स जागते हैं और फिर यह कोशिश करते हैं कि वह रुपया खर्च हो जाय और उसमें होता यह है कि उन लोगों को रुपया मिल जाता है जो उनके नजदीक होते हैं और इसीलिये उद्योग की प्रगति में ढिलाई होती जा रही है । इसको भी सरकार को सोचना चाहिये ।

इसके साथ ही आप यह भी देखें कि मिल के अन्दर तीन महीने काम होता है और ९ महीने अफसर सोया करते हैं । हमारे भाई बलवानसिंह जी ने बड़ी तारीफ की कि हमारे डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज बड़ा भारी काम करते हैं । मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि बलवानसिंह जी के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकले । मैं नहीं समझता था कि वह इस तरह की खुशामद-पसंदी बात करते हैं । इसका कारण भी है कि क्यों उन्होंने इंडस्ट्रीज विभाग की तारीफ की । उन्होंने इंडस्ट्रीज विभाग से काफी लम्बा फायदा उठाया है । अगर आप देखें तो आपको कोई भी मद नहीं मिलेगी जिसमें सरकार द्वारा रुपया मिलता हो और उन्होंने न लिया हो । यही कारण है कि वह इस तरह से तारीफ करते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज विभाग के अफसरों का व्यवहार निहायत गलत है । बड़ा खराब व्यवहार उन लोगों के साथ रहता है जो उनके दफ्तर में जाते हैं और जिनको उनके दफ्तर में जाने का मौका मिलता है । मैं बता सकता हूं कि किस तरह से वहां पर ४–४, ६–६ और ८–८ घंटे लोग जाकर बैठे रहते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है । २,३ दिन तक वे परेशान रहते हैं लेकिन अफसरों से मुलाकात नहीं हो पाती है । यह अंधेर है । मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं हमारे डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज तो यह समझते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है । वह सर्व शक्तिमान हैं और उनके हाथ में पूरी शक्ति है । मैं नहीं जानता उनके अन्तराल में क्या बात है लेकिन ऐसी बात जनता में फैली हुई है । इसको सरकार को सोचना चाहिये ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । जिनको वह अफसर लोग चाहते हैं वही वहां पर रह सकते हैं और जिनको वह नहीं चाहते हैं वह वहां नहीं रह सकते हैं । सब लोगों को मालूम है कि जिस अफसर को काफी अनुभव था और जो सेंटर से यहां आया था और इस सरकार के डिप्टी मिनिस्टर भी उनको चाहते थे कि वह इस विभाग में बने रहें, लेकिन डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज उनको नहीं चाहते थे इसलिये उन्होंने उस पोस्ट का नाम ही बदल दिया । आप देखें कि पोस्ट वही और काम भी वही केवल उसका नाम ही बदल दिया । जिस आदमी को अनुभव था और जो काम कर सकता था और जिसको डिप्टी मिनिस्टर मानते थे और चाहते थे कि विभाग में बने रहें और उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन डाइरेक्टर साहब नहीं चाहते थे इसलिये डिप्टी मिनिस्टर की बात नहीं चली और वह यहां से हटा दिये गये । वह थे इंडस्ट्रियल इकानामिक एडवाइजर और उनका नाम बदल कर कर्मशियल एडवाइजर कर दिया गया । यह परिवर्तन किया गया । उसका स्केल १,०००–१००–१,५०० है । इस तरह से सारी गड़बड़ी वहां आफिस में होती है । यही कारण है कि हमारा प्रदेश उद्योगीकरण के मामले में पिछड़ता चला जाता है । हम रे यहां आ.प देखते है कि उद्योग भी नष्ट हो रहा है । उसकी तरफ किसी की तवज्जह नहीं है । इसमें सैद्धांतिक गलती है और वह यह है कि जो लोग आई०सी०एस० हैं वे शासन के काम का अच्छी तरह से चला सकते हैं । शासन की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं क्योंकि उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है । उस ट्रेनिंग का प्रभाव उनके ऊपर रहता है । जनता के हित में काम करना या जनता को साथ लेकर काम करना उनके लिये असंभव हो जाता है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार को

बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इस प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ाना है और इस प्रदेश में उद्योग को तरक्की देना है तो इस तरफ ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ जो मुख्य- मुख्य व्यवसाय हैं काटन टैक्सटाइल, शुगर ये सब गिरावट की ओर जा रहे हैं। इसकी बड़ी चर्चा यहां सदन में हुई है कि शुगर मिलों का क्या हाल है। अगर इन सारी चीजों को आप देखें, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ठीक ढंग से चले तो इसमें आप ऐसे लोगों को रखें जिनको व्यापारिक अनुभव हो और जिनमें कुछ काम करने की रुचि हो और जिनमें यह भावना हो कि प्रदेश का औद्योगीकरण किया जाय। आज जो कुछ काम हो रहा है उससे औद्योगीकरण के बजाय अनौद्योगीकरण हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा नियम बनावे जिससे इस प्रदेश का और औद्योगीकरण हो सके। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। जिला बांदा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पिछड़ा हुआ और गरीब जिला है। यहां मजदूरों की संख्या २ लाख के ऊपर है जिनको कानपुर में कताई, बुनाई और चमड़े की कसाई के काम में लगाया जा सकता है। हमारे यहां कोरियों की बहुत बड़ी आबादी है जो कभी कपड़े बुनने व सूत कताई का काम करते थे, सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह उन कोरियों से आज भी कपड़ा बुनने व सूत कताई का काम ले, जैसा कि वे पहले करते थे। लेकिन सरकार इन कोरियों की ओर से बिलकुल उदासीन है जिससे उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। बांदा में कांच का कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है जिससे कई स्थानों में कारखाने खोले जा सकते हैं और उनमें बहुत से मजदूर खप सकते हैं। सरकार कर्जा दे देकर अपने को सफल समझती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और इसी से उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं लेकिन वास्तव में यह सरकार की भूल है। कोई भी उद्योग धंधा नहीं खुलता है बल्कि वह रुपया ब्याज पर लगा कर फिर बाद में उसे अदा कर दिया जाता है।

बांदा में पयाल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे मोटा कागज बनता है। यदि सरकार कई स्थानों पर उसके कारखाने खोले तो बहुत से मजदूरों की खपत उसमें हो सकती है। उससे सरकार को लाभ हो सकता है और गरीबों का भी पोषण हो सकता है। बांदा में खरिया मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। उस मिट्टी को इंगलेन्ड, अमेरिका भेजा जाता है जहां से पाउडर बन कर आता है जो यहां अधिक कीमत पर बिकता है। अगर सरकार उस खरिया मिट्टी से पाउडर बनवाना ही शुरू कर दे तो भारत का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। यहां रंगीन मिट्टी भी बहुत मिलती है। उस रंगीन मिट्टी से रंग बनाने का कारखाना खोला जा सकता है और वह अच्छी तरह से चल सकता है। बांदा में लकड़ी और बांस तथा घास काफी मात्रा में मिलती है जिससे कागज बनाने का कारखाना खुल सकता है। उद्योग मंत्री जी डींग बहुत मारते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह बांदा जिले में उद्योग-धंधे को खोले। जब तक बांदा में छोटे-छोटे उद्योग धंधे नहीं खोले जायेंगे तब तक वहां की गरीबी दूर नहीं होगी।

श्रीमती रामरती (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके इस महान् कृत्य के लिये आपको मैं धन्यवाद देती हूं। महोदय, किसी भी उन्नत देश के लिये उस देश में अधिक से अधिक उद्योग धंधों का होना अत्यन्त ही आवश्यक है। हमारे देश का एक युग वह भी था कि जब हम एक सुई से लेकर छोटे-छोटे सामानों को विदेशों से मंगाते थे, किन्तु आज हमारे देश ने इस दिशा में कदम बढाया। आज हम मोटर के बड़े-बड़े कारखाने खोलने लगे, इंजन तथा टैंक, हवाई हजाजों का निर्माण करने लगे। महोदय, यह हमारे तथा हमारे देश के लिये गर्व का ही विषय नहीं है बल्कि आज हममें

[श्रीमती रामरती]

इतना साहस आया कि हम अन्य देशों के लिये अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, इन समस्याओं को देखते हुए हम अपने जिले के भी कुछ प्रश्न आपके सामने, मंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं। महोदय, हमारा जिला फैजाबाद जो कि पूर्वी जिलों में आता है, साथ साथ वह एक कमिश्नरी का भी रूप है। वह राम की भी जन्म-भूमि है। वहां की जनसंख्या कुल १६ लाख है, इसमें हरिजनों की कुल संख्या ४ लाख से ऊपर है। यहां इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए इसमें ८५ फीसदी के करीब ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कृषक मजदूर के हित में कार्य करते हैं। ४ महीने खेती पर काम करने के बाद वह बड़े-बड़े शहरों का मुंह देखने लगते हैं। अपने बीवी-बच्चों को छोड़ कर दूसरे शहरों में भागते हैं। उसका कारण यही है कि इनकी जीविका के लिये कोई भी साधन हमारे जिले में नहीं है। महोदय, इसके भी दो तीन साल पहले सुना गया था कि हमारे यहां एक खाद का कारखाना भी खुलने जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई, पर उस प्रसन्नता के बाद एक निराशा भी हुई कि अब वह कारखाना फैजाबाद जिले में न खुल कर गोरखपुर जिले में खोला गया और आज वहां वह कारखाना खुल ही गया। यदि वह हमारे जिले में खुला होता तो हमारे जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य होता। हमारे जिले में खुलने से जिले के उन गरीब असहाय लोगों की जीविका और रोटी का साधन तो बनता ही, साथ साथ हमारे जिले के किसानों की खाद की समस्या भी हल होती। इस तरह से हमारे जिले के लिये वह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध होता। किन्तु यह दुर्भाग्य ही रहा।

इसके बाद फिर हमारे ही जिले की एक तहसील टांडा जिसकी अच्छी तहसीलों में आज गिनती होती है वहां पर ज्ञात हुआ कि हमारी प्रांतीय सरकार दो सूती मिल के कारखाने जन-प्रतिनिधियों के द्वारा खोलने का विचार कर रही है, जिसकी स्वीकृति भी मिल गयी है और वहीं के एक सज्जन को वहां सूत की मिल खोलने का लाइसेंस भी दे दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सज्जन भी उस तहसील और जिले के उन गरीब, निरीह, असहाय लोगों के ऊपर कृपा न करके वह मिल कानपुर जैसे उन्नत तथा विकास वाले शहरी इलाके में ले गये। साथ ही हम देखते हैं कि यह उपेक्षा केवल जिले की ही नहीं, बल्कि अन्य कमिश्नरियों में कहीं पर तो यूनिवर्सिटी और कहीं पर कालेज खुल रहे हैं, कहीं पर कल-कारखानों की स्थापना हो रही है, परन्तु हमारी कमिश्नरी के लिये इस दिशा में भी उपेक्षा दिखाई देती है।

महोदय, इस तरह की उपेक्षा हमारे जिले के लिये असहनीय है और मैं आप से प्रार्थना करूंगी कि कम से कम हमारे जिले के लिये इस तरह के कदम अवश्य उठाये जाने चाहिये जिससे इस समस्या का हल हो। मेरा यह सुझाव है कि जिला फैजाबाद में टांडा, अकबरपुर और टाउन एरिया जलालपुर ऐसे स्थान हैं कि जहां पर बुनकर अधिक संख्या में रहते हैं। वहां पर १,५०० पावर लूम इस समय चल रहे हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि वहां पावर लूम में काम आने वाले सामानों का एक कारखाना बना दिया जाय। इस से वहां के जुलाहों को बड़ी राहत मिल जायगी।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारे टांडा जिले में चमार ज्यादा हैं और वहां से काफी चमड़ा बाहर भेजा जाता है। वहां यदि इस कच्चे चमड़े को पक्का करने के लिये एक कारखाना खोल दिया जाय तो बहुत उत्तम होगा। वहां पर बहुत से लोग अपने छोटे-मोटे उद्योग चलाना चाहते हैं उनको जूते बनाने का सामान खरीदने के लिये फिर कलकत्ता या कानपुर नहीं जाना पड़ेगा और उन की समस्या भी हल हो जायगी, साथ ही वहां के गरीब तबके को रोटी भी मिल जायगी।

तीसरा निवेदन मेरा उस समाज के लिये है जिसे हरिजन के नाम से पुकारा जाता है। यह दलित और गरीब समझे जाते हैं। उनके लिये यह निवेदन था कि उन के सामने रोजी और रोटी की आज भीषण समस्या है। जो उन के कुटीर उद्योग हैं जैसे दरी, या कालीन बनाना बेंत की कुरसी बनाना आदि उन में वे जुटे रहते हैं और वे यह आशा करते हैं कि उनको उनके

उत्पादन का अधिक मूल्य मिले। ज्यादा पैसा मिलने से ही वे अपने बाल बच्चों का ठीक से पालन-पोषण कर सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उन के द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर से टैक्स उठा लिया जाना चाहिये ताकि उन वस्तुओं की खपत अधिक हो सके और उनको सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही मैं अपने जिले के लिये यह निवेदन करूंगी कि महिलाओं के लिये ऐसे छोटे मोटे कारखाने खोले जायं कि जिससे उन में बेकारी की समस्या हल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जहां तक कारखानों का सवाल है, हमारी सरकार ने अगर पहले से इस पर ध्यान दिया होता तो जो आज बेकारी की दशा है उस में इतनी दुर्दशा न होती। श्रीमन्, मेरे जिले में नैनी में कारखाने खोले गये। किसानों से कई हजार बीघा जमीन ली गयी। बड़ी लम्बी-लम्बी इमारतें बनायी गयीं, सड़कें बनायी गयीं और आप देखें कि वहां करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आज तक कोई सामान ऐसा नहीं है कि जो वहां बनता हो और जिसकी खपत विदेश में तो क्या यहां पर भी हो।

चर्खी के कारखाने खोलने वालों को लाखों रुपया लोन का दिया गया है। करछना में लगभग ५ हजार बीघा जमीन किसानों की एक कारखाने के लिये ले ली गयी। सरकार उस पर कारखाना खोलने जा रही है, मगर मैं चाहूंगा कि सरकार उसकी ठीक प्रकार से देख भाल करे। सरकार ने जो जमीन किसानों की ली है उसके कारण ५ हजार किसान बेकार हो जायंगे उनके लिये सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहिये। उन लोगों ने सत्याग्रह भी किया, जेल भी गये, वे चाहते थे कि उनकी जमीन न ली जाय। सरकार को उनके लिये कोई प्रबन्ध करना चाहिये।

जो कारखाने वाले हैं उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण उनका काम ठप्प पड़ा हुआ है। सरकार को उन्हें कच्चा माल दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

उद्योगों के लिये बिजली बड़ी मुश्किल से मिलती है। यह आशा थी कि रिहन्द के बाद बिजली आसानी से मिलने लगेगी, मगर लोगों को २-३ हजार रुपया खर्च करने के बाद भी बिजली नहीं मिल पाती। बमरौली में एक कारखाने वाले को आज तक बिजली नहीं मिली।

हमारे यहां स्टील ट्रंक बनाने के छोटेछोटे कारखाने हैं। उनको स्टील की चादरें नहीं मिलती हैं जिसके कारण उनका रोजगार बन्द पड़ा है और हजारों आदमी बेकार पड़े हैं। जिनके पास कारखाने ट्रंक बनाने के नहीं हैं उनको तो सरकार द्वारा परमिट मिल जाते हैं और वे उसे लेकर ब्लैक में बेच देते हैं, मगर जो कारखाना खोले बैठे हैं उनको परमिट नहीं मिलते। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। जो ट्रंक ५ रुपये में तैयार होना चाहिये वह ७-८ में तैयार होता है क्योंकि उनको ब्लैक में टीन खरीदनी पड़ती है।

कप्तानगंज चीनी मिल की भूमि में किसानों ने हजारों एकड़ भूमि में गन्ना बोया। उस मिल ने बजाय उसका उपयोग करने के, उसको जला दिया। यह उनके साथ आज के जमाने में कितना अन्याय हुआ है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मुझे लोन के संबंध में कहना है। लोन कमेटी जो बनी है छोटे-छोटे कारखाने चलाने के लिये ये लोन लेने वाले अधिकांशतः कोई कारखाने नहीं चलाते हैं। वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्याणचन्द मोहिले]

ले जाकर के उसे अपने घर पर रख लेते हैं और दूसरे कामों में उपयोग करते हैं। इनको देखने वाला नहीं है। जिन आदमियों को रुपया दिया गया है वे सांठ-गांठ रखते हैं उनसे। सरकार जिन कारखाने वालों का रुपया दिये हुए हैं उनके कारखाने नहीं चल रहे हैं। मेहरबानी करके उस रुपये का उपयोग कराइये। मेरे यहां दियासलाई का कारखाना खुला हुआ है। बहुत दिनों चला। उसको सरकार ने चलाया। वह रुपया खा पी करके कारखाने वाले बैठ गये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह दियासलाई का कारखाना चौलगंज में लगाया गया था उसमें किस पर कितना रुपया बाकी है वह जानकारी में चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चश्मे का कारखाना खुलने वाला था लेकिन सरकार की कमजोरी की वजह से वह नहीं लग सका। नहीं तो उसमें कम से कम दो चार हजार बेकार आदमी लग जाते। लेकिन वह कारखाना यहां से बंगाल चला गया। मैं यह कहूंगा कि केवल कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा मिनिस्टर महोदय इसको स्वयं देखें। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि उद्योग किसी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। किसी प्रदेश की उन्नति का मापदंड अगर हम देखना चाहें तो हम उसको औद्योगिक उन्नति से देख सकते हैं। मान्यवर, काफी कोशिश के बावजूद अभी हमारा प्रदेश दुर्भाग्य से इस दिशा में अपने देश में बहुत पीछे है। करीब-करीब सौ परसेंट पीछे है यानी हमसे दूसरे लोग दुगुना आगे बढ़े हुए हैं। अखिल भारतीय कांटैक्स्ट में जैसा आपके सामने निवेदन किया गया हमारी आय इंडस्ट्री से ६ परसेंट है जबकि आल इंडिया परसेंटेज १६ है। तो इस प्रकार मान्यवर, अभी इस दौड़ में हम बहुत पीछे हैं। इन दिनों में अभी जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया था हमारा प्रदेश इस बात में सफल हुआ कि हमने कई नयी इंडस्ट्रीज प्रदेश में प्रारम्भ कीं आने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में या आने वाले वर्षों में। मान्यवर, यह देखा गया कि अब तक उत्तर प्रदेश के प्रति अवहेलना की गयी थी यदि आज उसको पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज मिलीं तो वह उसका अधिकारी था और इसके लिये मैं सम्पूर्ण अधिकारी वर्ग और मंत्रि महोदय को बधाई देता हूं लेकिन मान्यवर यह होते हुये भी हमें देखना पड़ेगा कि अपना ढांचा जो इंडस्ट्रीज का चल रहा है वह और जो हमारी प्रगति की कमी है अखिल भारतीय स्तर पर हम इतना पीछे हैं उसके कुछ कारणों पर भी निगाह डालनी पड़ेगी और उसको डालते वक्त हम बहुत दूर न जायं। जैसा माननीय मन्त्री ने कहा कि पंजाब हमारा पड़ोसी प्रदेश है उसको देखें। आखिर वह हमसे आगे कई दिशा में दिखाई देता है और है। कुछ कारण होंगे। मान्यवर, मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कार्य, जैसा मैं कई बार इस सदन में निवेदन कर चुका हूं, केवल लोन देने और ग्रान्ट देने तक ही सीमित है। उसके कोई फालो-अप करने का तरीका और प्रैक्टीकल नो-हाऊ करने का तरीका सक्रिय रूप में देखने में नहीं आया। अगर कोई नया व्यक्ति थोड़ी सी पूंजी से या अधिक पूंजी से नया उद्योग लगाना चाहे और उद्योग विभाग के ऊपर आश्रित रहे तो मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। उद्योग विभाग की कार्य-क्षमता को मैं इसी मापदंड से आंकता हूं कि उसकी कार्य-प्रणाली में ऐसी क्षमता है कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास साधन हैं तो उद्योग विभाग उसे इतनी सहायता देने में समर्थ है कि वह उसकी सहायता और टैक्नीकल एडवाइस को मिलाकर अपना कार्य ठीक से चला सके। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी इन्डस्ट्रीज को जितना लोन दिया जाता है मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर उसकी जांच की जाय तो उसमें से कम से कम ५० फीसदी मिसयूटीलाइजेशन होता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

७५ फीसदी ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि ७५ फीसदी । मैं इसको भी ज्यादा नहीं मानता हूं । मैंने कुछ अधिकारियों के साथ कुछ यूनिट्स को देखा । मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हमने १० यूनिटस देखे तो ७५ फीसदी या ६० फीसदी तो डिफंक्ट हैं, यानी वे काम ही नहीं कर पा रहे हैं यद्यपि वे लोन और ग्रान्ट ले चुके हैं । एस्टीमेट्स कमेटी के साथ पंजाब में हम लोग गये थे । उनका तरीका यह है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि जिनको सहायता दी जाती है ३ महीने के बाद यह देखते हैं कि वह क्या उन्नति कर रहा है । माननीया सुशीला जी ने अपने भाषण में अच्छा सुझाव दिया था कि जैसे बर्थ और डैथ का रजिस्टर होता है वैसे ही इन्डस्ट्रीज में भी जब किसी इंडस्ट्री के लिये सहायता दी जाती है तो यह भी देखा जाय कि उसकी डैथ तो नहीं हो गई है । इसका भी हिसाब रखना जरूरी है । तो फिर शायद डैथ हो ही नहीं ।

मान्यवर, कोटे के बारे में बहुत जिक्र हुआ । वास्तव में कच्चा माल किस मात्रा में मिले, इसी पर हमारे उद्योग की नीति की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है । मैं आंकड़े पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा ताकि अधिक समय न लगे, मेरे सामने वे हैं, लेकिन आज शिकायत यह है कि उत्तर प्रदेश का कच्चा माल का कोटा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में, जो इससे कहीं छोटे हैं, बहुत कम मात्रा में है । सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि हमें इनोशनल कच्चा माल का कोटा ज्यादा मिले । साथ ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफैक्टिव है । इसी सदन की एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी सन ६४-६५ की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय यह सिफारिश की थी कि हम यह प्राविधान करें कि डिस्ट्रिक्ट लैविल पर यह कोटा मिल जाया करे । सेन्ट्रल लैविल पर केवल कोई टैक्नीकल सैल या एक्सपर्ट हो जो उस प्रार्थना को जांचे और इस दृष्टि से देखे कि उस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है या नहीं । अगर आवश्यकता नहीं है तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाय और उस आदमी को बता दिया जाय कि तुम्हारी दरख्वास्त आगे नहीं चली है । लेकिन अगर टैक्नीकल क्राइटेरिया से वह पार हो सके तो उसे डिस्ट्रिक्ट लैविल पर भेज दिया जाय और उसको कोटा संबंधी सारी बातें डिस्ट्रिक्ट लैविल हो पर हो जावें । चन्डीगढ़ में हमको बतलाया गया कि पंजाब में जो इन्डस्ट्रीज लगाता है उसको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता है । जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में छोटी-छोटी इन्डस्ट्री लगाने वालों को भी कानपुर और लखनऊ दौड़ना पड़ता है पंजाब में ऐसा नहीं है । इसके साथ ही साथ हमें अपनी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन करना होगा । उत्तर प्रदेश के इन्डस्ट्रीज विभाग को अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी । लेकिन हमारे यहां किसी भी इंडस्ट्री वाले के साथ ऐसा बरताव किया जाता है मानो किसी को भिक्षा दी जा रही हो । हमारी मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिये कि इन्डस्ट्रीज वाले को विभाग के पीछे न भागना पड़े बल्कि विभाग को इन्डस्ट्रियलिस्ट के पीछे भागना चाहिये । अगर कोई आदमी नयी इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो हमें उसको साधन देना चाहिये । मध्य प्रदेश सरकार इसी प्रकार से सहायता कर रही है ।

इन्डस्ट्रियल इनफार्मेशन ब्यूरो एक सक्रिय रूप में बनायी जानी चाहिये जिससे जो आदमी नयी इन्डस्ट्री छोटी अथवा मध्यम लगाना चाहे तो वहां से उसको पूरी जानकारी मिल जाय । आज कल इन्डस्ट्री विभाग पुरानी किताबों को बता देता है जिनमें से कोई जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो पाती, कोई कोआर्डिनेटेड पिक्चर नहीं मिल पाती । इसलिये इस प्रकार की ब्यूरो की अत्यन्त आवश्यकता है ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और बड़ी इन्डस्ट्रीज दोनों ही प्रदेश के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। एम्प्लायमेंट के लिहाज से लघु उद्योगों का बड़ा महत्व है। लेकिन यहां सरकारी लेविल पर और डायरेक्टर लेविल पर दोनों के काम एक ही आदमी को सुपुर्द है। लेकिन जैसी कि कहावत है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हमारे यहां सदा ही छोटी इन्डस्ट्री सफर करती है। अगर आपको छोटी इन्डस्ट्रीज को तरक्की देना है और प्रदेश में अनइम्प्लायमेन्ट को कम करना है तो हमें इसके लिये अलग डायरेक्टोरेट और अलग महकमा स्थापित करना होगा। आज कोई आदमी किसी एक के लिये जिम्मेदार नहीं है। एक आदमी को एक काम का जिम्मेदार ठहराना है।

खांडसारी और गुड़ में करोड़ों रुपया लोगों को नुकसान हो रहा है। मैंने प्रश्न किया था पिछले साल और इस साल क्या भाव है। तो उत्तर मिला कि पिछले साल इतने रुपये का कन्ट्रोल था, इस वर्ष कन्ट्रोल नहीं है, इसलिये बता नहीं सकते कि क्या भाव है और नुकसान की सूचना नहीं है। एक ऐसे उद्योग के बारे में, जिससे १० लाख आदमियों को रोजगार मिलता है और करोड़ों रुपये का उत्पादन होता है उसके बारे में विभाग में ऐसी कोई सैल नहीं है न आदमी है, जो यह देखता हो कि उसकी तरक्की हो रही है या अवनति हो रही है और सरकार को यह सलाह दे कि इसके संरक्षण की आवश्यकता है या उस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। यह कमी तभी पूरी हो सकती है जब हम इन दोनों का सेपरेशन करें।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी इस बात की देख रेख के लिये भी होना चाहिये जो इस बात की जांच करता रहे, इस बात को देखता रहे कि किसी टैक्स को लगाने से किस इन्डस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है। मैं समझता हूं इन्डस्ट्री विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये। आज भी दो इन्डस्ट्रीज का जिक्र किया गया। मैं इस समय खांडसारी का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उससे मेरा ज्यादा संबंध है। अपोजीशन लीडर ने भी कहा। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी चीज पर सेल्स टैक्स लगाने का उसके उद्योग पर क्या असर पड़ रहा है, समय-समय पर इस चीज का अध्ययन किया जाना चाहिये। आज आवश्यकता है कि इन तीन चार चीजों पर जिनका कि जिक्र किया गया और किया जाय।

इसके अलावा अब एक आखिरी बात और अर्ज करूंगा कि यू० पी० खादी बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हम गांधी जी की जो भावना थी उस पर चलते हुये एक सच्ची सक्रिय सेवा कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों से मेरी बात हुई, कुछ जरा सी गलतफहमी है लेकिन यह संस्था बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। हम कुछ दिनों से इसके सम्बन्ध में एक आर्डिनेन्स आने की बात सुन रहे थे और अब भी बिल तैयार है उसको सक्रिय बनाने के लिये और कार्यान्वित करने के लिये वांछित नियमों को जल्द बनाना चाहिये। इस संस्था की सर्विसेज का प्रश्न है वह अपने वेतन-क्रम के लिये बड़े उदासीन रहते हैं, वह भी आखिर एक आवश्यक काम कर रहे हैं एक पुनीत आस्था के साथ तो उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिये जो ऐसी अन्य सर्विसेज के साथ होता है और होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री भगवानदास शास्त्रबन्धु का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, अभी तो बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, सबन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नहीं हो सकता, आज बजट के बाद एक आध घंटे का विवाद है और उसके बाद साढ़े ५ बजे गिरि साहब तिलक हाल में बोलेंगे। अब समय आज और नहीं बढ़ेगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार आकांक्षायें और सुझाव यहां प्रस्तुत किये, मैंने उनको गौर से सुना और विचार किया। मैं उनका सब का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज की बहस में भाग लिया। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने तो कट मोशन का समर्थन इसलिये किया कि यह प्रस्ताव विभाग की आलोचना के लिये और इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के बारे में था और इधर के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध इस लिये किया ताकि वह भी इस विभाग की कार्य क्षमता और गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकें। फर्क इतना है कि उधर के बैठने वाले ऐसी ही बात कहते हैं क्योंकि उनको उधर ही रहना है और हमें इधर रहना है। तमाम माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उद्योग निदेशालय यहां का बहुत उदासीन है और उसमें कार्य क्षमता नहीं है, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, काम करने का उसमें शक्ति नहीं है और कुनबापरवरी, व्यक्ति विशेष के हाथों में खेलना यही काम उसमें ज्यादा है। उधर से कहा गया है कि इसमें डायरेक्टोरेट के अधिकारियों की गलती नहीं है बल्कि इसका दायित्व सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें डायरेक्टोरेट की गलती है, सरकार की क्या गलती हो सकती है। निदेशक ही की जिम्मेदारी है, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। पहला यह कि हमारे देश में स्वर्ण कंट्रोल लागू किया गया और उसका प्रभाव फिरोजाबाद और बनारस के लघु उद्योगों पर भी पड़ा, क्योंकि फीरोजाबाद की कांच की चूड़ियां और बनारस की साड़ियों के निर्माण में भी सोने का इस्तेमाल होता है। इसलिये चूड़ी उद्योग में सोचा गया कि सोने के नियंत्रण लगने से इस उद्योग में कमी आ जायेगी। अतः पिछले दिनों पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने पर फिरोजाबाद के उद्योगपतियों की प्रमुख संस्था ग्लास इंडस्ट्रीज सिन्डिकेट ने डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को कई बार लिख कर भेजा कि पाकिस्तान से लड़ाई के कारण फिरोजाबाद में लोग जरूरी बार आइटम्स बनाना चाहते हैं। उन्होंने डी० आई० को इसके बारे में राय देने व आवश्यक कार्यवाही करने को बार बार लिखा। क्योंकि हमारे यहां १०० के करीब जो फैक्ट्रीज हैं उनमें ६० के करीब चलती रहती हैं। और ४० फैक्टरीज बन्द रहती हैं लेकिन डायरेक्टर महोदय ने कोई भी उत्तर अब तक उनको नहीं दिया है। यह उनकी कार्य क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इस प्रदेश के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९६५-६६ के साल के लिये फारेन एक्सचेंज के लिये डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को इजाजत दे दी है लेकिन डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के इम्पोर्ट लाइसेंस के लिये अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है। एच० टी० सी० एक ट्रेडिंग कारपोरेशन है और उपभोक्ताओं के लिये कच्चा माल इम्पोर्ट करता है और उत्तर प्रदेश की इन्डस्ट्रीज को कच्चा माल यही एस० टी० टी० देता है। यह माल आता है और ए० टी० सी० में पड़ा रहता है। हमारा डायरेक्टोरेट, उपभोक्ता को उसकी खबर नहीं देता जिससे माल अन्त में एस० टी० टी० के एजेन्टों के द्वारा चोर बाजारी में चला जाता है और परिणाम यह निकलता है कि उपभोक्ता को लासेज उठाने पड़ते हैं और डायरेक्टोरेट की समय पर खबर न देने की यह लापरवाही की जाती है। इस ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

साथ ही मुझे यह कहना है कि उद्योग क्षेत्र में नई इमारतों के कांस्ट्रेक्शन की बीमारी भी बड़े जोर से चल रही है। जैसे दवाखाने की इमारत तो बन गयी लेकिन डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा दवा गायब उसी तरह से नई-नई इंडस्ट्रियल इस्टेट बन रही हैं लेकिन वहां उत्पादन कुछ नहीं होता, और दिखाने के लिये इस्टेट है इसके विपरीत पुराने कारखाने जिन में ज्यादा रुपया नहीं लगता है उनके लिये कानपुर स्थित डायरेक्टोरेट से जी० सी० शीट्स तक नहीं मिलतीं और ऐसे व्यक्तियों को यह जी० सी० शीट्स तथा रा मेटीरियल दिया जाता है जो डायरेक्टोरेट

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

वालों के जान पहचान के होते हैं और उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है जिससे इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचता है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़े-बड़े उद्योग फैलाये जा रहे हैं । गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी और नैनी में ५५ करोड़ रुपये की लागत से नये उद्योग खोले जा रहे हैं लेकिन पता नहीं आगरा को क्यों उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है जबकि वह बड़े पुराने शहरों में है । वहां पर ३ सूती मिलें हैं जो १ साल से बन्द पड़ी हैं और मजदूर भूखे मर रहे हैं लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती । इस तरह से प्रादेशिक सरकार के हाथ में है चाहे तो एक शहर को सरसब्ज बना दें और दूसरे को वीरान बना दे ।

गोल्ड के बारे में कहा गया कि उसमें व्यय करने से गोल्ड खराब हो जाता है । यह ऐसी ही दलील है कि साढ़े ७ करोड़ आदमी इस प्रदेश के अन्दर खाते हैं और दूसरे दिन खराब कर देते हैं तो उनको अन्न नहीं मिलना चाहिये । इस तरह से गोल्ड पर भी यह चीज लागू नहीं होती । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें ।

कोल्ड स्टोरेज के लिये मैंने पहले भी इशारा किया था । फिर कहता हूं कि उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि साहू जैन ने २८ रुपये के अगेन्स्ट ६४ रुपये में प्रति बोरा सोडा ऐश बेचा और उनको डी० आई० आर० में गिरफ्तार नहीं किया गया । साहू जैन केमिकल्स में तीन करोड़ रुपये से ज्यादा हमारा रुपया कर्जे में लगा हुआ है लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । सरकार पूंजीपतियों का पोषण करती है । असली स्थिति को छिपा कर सरकार ने चमक-दमक दिखा कर इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को आशावादी बना रखा है । आज वह ऐसी स्थिति में है कि वह जनता क्रान्ति के रास्ते पर जा सकती है । मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाय जो हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति तथा मान्यताओं के विरुद्ध हो । हिन्दुस्तान ने शान्ति का संदेश दूसरे देशों को दिया है और इस दिशा में दूसरे देशों का नेतृत्व किया है । . उस हिन्दुस्तान के मिनिस्टरों के खिलाफ विद्रोह करने के लिये जनता विवश हो जायगी । मैं माननीय सुचेता जी को बार-बार बधाई देता हूं कि उन्होंने बनारस के साड़ी उद्योग और फीरोजाबाद के चूड़ी उद्योग को महत्ता दी है । चूड़ी हिन्दुस्तान की नारी का सुहाग चिह्न है । किसी विवाहिता स्त्री का पति मर जाने पर उसकी चूड़ियां तोड़ी जाती हैं । चूड़ी उद्योग में छोटे-छोटे गरीब लोग काम करते हैं इसलिये मैंने चूड़ियों की बात कही । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) —

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं । (शोर)

श्री शिवनाथसिंह—

लाखों मन टीन कानपुर से पाकिस्तान भेजी गयी । आप इसके बारे में स्पष्टीकरण करा दें इतना बड़ा देश द्रोह किया गया आपने उसके विरुद्ध क्या किया ?

श्री उग्रसेन—

आपको बुरा लग रहा है । लक्ष्मी चन्द्र अग्रवाल ने एक करोड़ का टिन पाकिस्तान भेज दिया । आप यह बात कहने के लिये हुक्म नहीं दे रहे हैं ।

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं इस सदन के सदस्यों का जो उन्होंने सुझाव यहां दिये। यह मैं मानता हूं कि हमारे उद्योग विभाग में पिछले दिनों में जो तरक्की करनी चाहिये थी वह नहीं की। उतना काम भी हमारे यहां पर नहीं हुआ। काम हुआ अवश्य है लेकिन और अधिक होना चाहिये।

मैं माननीय भगवान दास साहब का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमें बड़े भारी सुझाव दिए हैं। उनसे मुझे यह भी आशा थी कि वे हमारा जो उद्योग विभाग है उसका जो कार्य-क्रम है उस पर कुछ सुझाव देंगे। उनके कुछ सुझाव अच्छे भी हैं, लेकिन ग्लास इन्डस्ट्रीज का जो बोर्ड बना उसके बारे में जो उन्होंने कहा वह मेरी समझ में उचित नहीं था। कहा गया कि हम कुन्बा-परस्ती करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिरोजाबाद में जो ग्लास इन्डस्ट्री बनी है उसमें हमने कोई तरक्की नहीं की है। वहां पर कांच का ही काम नहीं हुआ बल्कि वहां पर दो नयी आटोमेटिक और सेमी आटोमेटिक मशीनरी लगायी गयीं और बड़ी-बड़ी भट्टी लगायी गयी हैं। शिकोहाबाद में हमारे ही प्रयास से सैंड वाशरी लगायी गयी। भारतवर्ष में यह सबसे बड़ी वाशरी है। लेकिन अफसोस है कि माननीय भगवानदास जी को यह दिखायी नहीं दी।

यहां पर यह भी कहा गया कि बिजली कम्पनियों को एक सस्ते रेट पर ऋण दिया गया ४ १/२ परसेन्ट के हिसाब से। हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में यह प्राविधान है कि कोई भी कम्पनी एक निश्चित रिजनेबिल रिटर्न से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकती। ६ परसेन्ट से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। तो अगर उन्हें ८ परसेन्ट के हिसाब से रुपया दिया जाय तो वे कभी भी नहीं लेंगे। यह पुरानी बात है। यह ऋण भी पुराना है जो आपने कहा कि वह वापिस क्यों नहीं ले लिया। ऋण देने की कुछ शर्तें होती हैं और उन्हीं के अनुसार ऋण का रिएसाइ-जेशन भी होता है। जब शर्तें पूरी हो जायंगी तो उसे वापिस भी ले लिया जायगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह मार्च १९५६ का कर्जा है। आपके जो नियम में है, जो आपके कानून हैं वे सब टूट गये हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, १ करोड़ ६० लाख का कर्जा है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, अब माननीय उग्रसेन और माननीय भगवान दास जी की बातों का उत्तर देकर अपने विभाग के कामों की ओर आता हूं। हमने इस प्रदेश में हैन्डी क्राफ्टस् के द्वारा बनी हुयी ११.९ करोड़ की कीमत की चीजों को विदेशों में भेजा है। यहां से एक्सपोर्ट किया है और उसके हिसाब से हमारा प्रदेश देश भर में नम्बर एक है। मैंने यह भी कहा था कि हमने जो लड़ाई का सामान दिया है जो काम में आता है, वह ३·०५ रु० का सामान दिया है, इस हिसाब से हमारा जो प्रदेश है वह एक दूसरे नम्बर पर है। मैंने यह भी कहा था कि हमारे प्रदेश में जो छोटी यानी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट है वह हमने बड़ी भारी लगाने की कोशिश की है और इस वक्त १,१,२८४ स्माल स्केल यूनिट्स हमने लगा दी हैं। इस तरह से हमारा प्रदेश पहले की पोजीशन से अब उठकर नम्बर तीन पर आ गया है। मैंने इस बात का भी इंतजाम किया है कि नानपारा हाउस में जो हम सामान बनाते हैं, उसको एक म्यूजियम का रूप दे सकें। यदि जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

माननीय सदस्य उसे देखना चाहेंगे उसे देख सकेंगे, असेम्बली के बाद मैंने उसके लिये प्रबन्ध कर दिया है, मैंने बसों का भी इन्तजाम किया है । आपको देखकर खुशी होगी कि हम अपने प्रदेश में कितना अच्छा-अच्छा सामान बना रहे हैं।

जहां तक बड़ी इंडस्ट्रीज का सवाल है, इसमें हमारी कुछ दिक्कतें हैं वह यह है कि लड़ाई शुरू हो जाने के कारण हमें कुछ सामान नहीं मिला, रा मैटीरियल में देर हो गयी और जो फारेन एक्सचेंज चाहिये था वह भी कम मिलने लगा था। इसके साथ यह भी बात सत्य है कि जो बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनकी भी कमी है। मैं माननीय अग्रवाल जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने जो कहा, यदि कोई आदमी यहां आकर छोटी या बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो लोन का हम उसके लिये भले ही इंतजाम कर दें, लेकिन अन्य दूसरी चीजों का इन्तजाम नहीं कर सकते। इस बारे में कानपुर में हमारा एक शेल था, लेकिन हमने सोचा है कि वह ठीक नहीं है । हमने इस पर फिर पूरा-पूरा ध्यान दिया है । और इस बात का इन्तजाम किया है कि कानपुर में एक सेल हो जो-जो व्यक्ति इन्डस्ट्री लगाना चाहें, उन्हें आवश्यक सलाह दे सके । मैंने भी इस बात का प्रयत्न किया है कि हमारी स्टेट में कौन-कौन सी इन्डस्ट्री कहां कहां पर लग सकेगी इस बात की भी हमने फीगर्स इकट्ठा की हैं । इस सम्बन्ध में अगर उसके बाद कोई लगाना चाहे तो वह यदि हमें मिलेंगे तो मैं अपनी थोड़ी-सी जानकारी से उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास करूंगा । मैं यह जानकारी आपको भी दूंगा । मैं हर तरह से उनकी मदद करने के लिये तैयार हूं जो इंडस्ट्रीज यहां पर लगाना चाहें, जिससे वह अपनी इंडस्ट्रीज यहां पर लगा सकें।

श्री उग्रसेन--

आप इसकी जानकारी देने के लिये एक किताब छपवाकर बंटवा दें ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

बात यह है कि किताब छपी हुई है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है । अगर किसी को भी किताब की आवश्यकता हो और वह ज्यादा डिटेल जानना चाहे तो मैं उसका भी इंतजाम करूंगा क्योंकि हमें यहां पर इंडस्ट्री अधिक से अधिक खोलनी है और मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इंडस्ट्री के बिना काम चलने वाला नहीं है। मैं आपसे सलाह चाहता हूं, मैं केवल यहां पर आपको जवाब देने के लिये बोल रहा हूं, मैं आपकी राय की कद्र करता हूं और उसे सहर्ष चाहता हूं, जिससे मैं भी उनका कुछ लाभ उठा सकूं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

किन्तु आप नौकरशाही पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने माननीय सदस्यों की बात पर कम विश्वास करते हैं । (व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि उनको गुस्सा ज्यादा आता है । आपने अपनी स्पीच में कहा था. . . .

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

फिर आप वही कह रहे हैं, मैंने यह नहीं कहा था ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैं बहरहाल यह समझता था. . . . . .

श्री उग्रसेन---

शर्मा जी, उनका नाम न लेकर आप अपनी बात कहिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

खैर, मैं यह कह रहा था कि बड़ा भारी शोर यहां पर था कि हम जो सामान देते हैं, जो रा-मैटीरियल देते हैं उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है और जो ऋण हम लोगों को देते हैं उस लोन का ठीक इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरह की बातें हमारे सदन में होती हैं। तीसरी बात सबसे बड़ी यह कही गयी कि जो सुविधायें इंडस्ट्री लगाने के लिये देनी चाहिये, वह हम नहीं देते हैं। हमारी बहिन सुशीला जी ने कहा और अग्रवाल साहब ने भी कहा था कि जो सुविधायें दूसरे प्रदेश वाले दे रहे हैं वह सुविधायें हमारा हमारा प्रदेश नहीं देता है। हमारी दिक्कत यह है कि अगर हम थोड़ी सी सुविधा देने की बात करते हैं तो हमारे सदन में उसके लिये कुहराम मच जाता है। हमारे भाई ऊदल जी ने उधर से मिर्जापुर में अल्मूनियम फैक्टरी है उसके लिये बिजली सस्ती देने की बात उठायी और वह शायद बलवान सिंह जी के कहने से वह कहने लगे हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अल्मूनियम की फैक्टरियां इस देश में तीन जगह लगी हैं। केरल में जो कम्यूनिस्ट सरकार हमारे भाई ऊदल जी की थी उन्होंने बिजली १२० रुपये पर किलोवाट पर ईयर बिड़ला जी को दी। उड़ीसा वालों ने १३० रुपये पर दी लेकिन उसके साथ ही यह शर्त थी कि १० वर्ष के बाद १३५ रुपये हो जायगा और हमने बड़ा भारी जुर्म कर दिया कि वह बिजली १७५ रुपये में दी।

श्री उग्रसेन--

आपने तो १२० रुपये में दी थी, लेकिन जब हमने हल्ला मचाया तब आपने उसको १७५ रुपये कर दिया। अब श्रेय आप लूटना चाहते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बस जहां आपकी बात कमजोर पड़ने लगती है वहां आप शोर मचाने लगते हैं।

श्री उग्रसेन--

सवाल यह है कि आप बिड़ला के हाथ क्यों बिके ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप ही सवाल करके आप ही जवाब देना चाहते हैं। सरकार को जवाब देने दीजिये और उनकी बात सुनिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जब हम उनको सुविधा देने की बात कहते हैं तो शोर होता है कि क्यों सुविधायें दे रहे हो। आपने दो एक छोटी सी सुविधा देने की बात कही है लेकिन इससे जो प्रभाव होता है वह नहीं देखते। पर जो बिजली हम बिड़ला को देते हैं वह उनकी जानकारी के लिये बता दूं।

श्री बलवानसिंह--

गरीब लोगों को भी क्या इतनी ही बिजली में सुविधा देंगे और क्या इतने ही सस्ते रेट पर बिजली पहुंचायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जहां तक बिड़ला जी को बिजली देने की बात है, करीब-करीब हमने उसी रेट पर उनको बिजली दी है जो औरों को दी है। जहां तक कर्जे का सवाल है, बड़ा भारी शोर मचा कि हमने दूसरों को बहुत ज्यादा कर्जा दे रखा है। लेकिन जो तमाम कर्जा है वह ६.८४ करोड़ रुपया है जो दूसरे लोगों के ऊपर है.....

श्री उग्रसेन—

यह भी बतला दें कि कितना-कितना किस-किस पर बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास यह फिगर नहीं है लेकिन यह फिगर है कि टोटल कर्जा जो हमने दिया है अपने प्रदेश में वह है ६.८४ करोड़ रुपया और उसमें से जो लेना है आज तक उसकी भी एक तारीख होती है वह २.७२ करोड़ रुपया होता है और इस २.७२ करोड़ रुपये में से हम १.३२ करोड़ रुपया पा चुके हैं। जो हमारा बैलेंस ओवर ड्यू है यानी लेना है वह १.४६ करोड़ रुपया है। आप जो कहते हैं कि अरबों और करोड़ों रुपये हमको लेने हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल १.४६ करोड़ रुपये हमको लेने हैं।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——

इस तरह से क्लेरिफिकेशन तो सब लोग करने लगेंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं इस बात पर आ रहा था कि एक तरफ तो आप मांग करते हैं कि सुविधायें दें जिससे इंडस्ट्रीज लगें और दूसरी तरफ जब हम उसका कुछ इन्तजाम करते हैं तब इस सदन में और सदन के बाहर आवाज उठती है कि यह गलत हो रहा है और उसका रिएक्शन भी हुआ। मैं आपके द्वारा सदन की जानकारी के लिये बतला दूं कि हमारे पास कुछ बड़े व्यापारियों ने लिख कर भेजा है और कहा है कि उत्तरप्रदेश में वे आगे कोई उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि यहां के लोग जो कुछ सुविधायें दी जाती हैं उसमें भी रोक-टोक करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा हमारे यहां एक शिकायत यह थी कि जो हम सामान देते हैं उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं होता और जब सदस्य इस बात को कहते हैं तो मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि यह बात जो उन्होंने कही वह सही नहीं है। मैं स्वयं समझता हूं कि वह बात सही है और इसी बात को ध्यान में रख कर हमने यह आदेश दिया है, पहले भी आदेश था लेकिन उस आदेश को फिर दोहरा दिया है कि जो कच्चे माल का बाकायदा एक रजिस्टर रखें जिसमें लिखा हो कि कितना माल दिया गया, कितना माल बना और उसकी कहां-कहां किस तरह से खपत हुई। हमने यह भी आदेश दिया है कि जब हम कच्चा माल किसी को दें तो उसका प्रचार हो जिससे सबको मालूम हो कि किस फैक्ट्री को कितना माल हमने दिया जिससे उस माल का दुरुपयोग न हो सके। पुरानी बातों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन आगे के लिये हम सतर्क हैं। कुछ शिकायतें भी थीं। हमने इसका प्रयास किया कि कच्चा माल जो मिल या दूसरों को दें उसका ठीक ठीक इस्तेमाल हो सके चाहे टिन शीट हो, रांगा हो, कोई चीज हो। यह भी प्रयास किया कि जो सामान नहीं मिला करता था या जिसका इन्तजाम कर सकते थे वह मुहैया करके हम अपनी इंडस्ट्री को चलायें। कायदे के अनुसार अल्मुनियम हमको नहीं मिला करता था हमने बिजली देते समय कंडीशन लगा दी कि हमारे प्रदेश को इतना अल्मुनियम देना पड़ेगा और उसका इन्तजाम करके अपने प्रदेश में वह इंडस्ट्री लगायी जो अल्मुनियम से बनती है। हमको इसमें भी सफलता मिली है कि हमने अपना रा-मैटिरियल पैदा किया और उसको इस्तेमाल किया और इंडस्ट्री को बढ़ाया और बाहर भी सामान भेजा।

एक दिक्कत बड़ी भारी थी कि बाहर की कुछ इंडस्ट्रीज तो थीं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। हम अपने स्टेट सेक्टर में भी कुछ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। एक चुर्क की भी सीमेंट फैक्टरी है। बड़ा हल्ला होता था कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी मुनाफा नहीं देती। लेकिन वह हमको काफी मुनाफा दे रही है और हमको यह भी श्रेय है कि उसके बाद एक डल्ला फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी है। वह जब बनेगी तो काफी मात्रा में सीमेंट बिकने लगेगा। आप्टीकल ग्लास की फैक्ट्री, विभूति ग्लास वर्क्स भी है। हमने प्रयास किया है कि जो शुगर फैक्टरी हमारी हैं वह कोआपरेटिव बेसिस पर चलायी जायं। ४ फैक्टरियां चलती भी हैं। एक हमारी टैक्सटाइल सूत बनाने की इटावा में बनी है। वहां का माल बहुत अच्छा निकला है।

जहां तक गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की फैक्टरीज का संबंध है, वह तो हमने परसों अखबारों में निकाल दिया है कि हमने काफी ले ली हैं और बड़ा भारी प्रयास किया। पहले नहीं मिली थीं, लेकिन अब हमको ज्यादा से ज्यादा मिलें, यह प्रयास किया है।

बड़ी शिकायत है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटीज जो लोन बांटा करती थीं, उनसे वह अधिकार छीन लिया। हमारे सदन में इधर के बैठे सज्जन ने कहा कि कमेटी जो फैसले लिया करती थीं वह एक जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फतेहपुर में बहुत गलत फैसले लिये जो कि नहीं लेने चाहिये थे। ये कमेटीज सिर्फ ऐडवाइज करती थीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उनका अपना कोई अधिकार नहीं था। यह कोई बड़ी बढ़िया चीज नहीं थी और एम० एल० एज० की हैसियत को बढ़ाने वाली नहीं थी। उसमें रुपया तो कोई देता था, वसूल दूसरी एजेन्सी करती थी, यह ठीक नहीं था। (व्यवधान)

जिन बातों का जवाब मैं नहीं दे सका हूं, मैंने उन्हें नोट कर लिया है। जो भी हमारी कमजोरियों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है उन्हें दूर किया जायेगा। एक्सपोर्ट के मामले में हमारा प्रदेश नं० १ में रहा है। हमारा प्रयास होगा कि अन्य मामलों में भी हमारा प्रदेश आगे रहे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे इन अनुदानों को स्वीकार करें।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास माववेन्दु—

लेदर उद्योग के बारे में आश्वासन मिला था, उस बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री उग्रसेन—

म्योर मिल कब से चलेगी, यह बता दें मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग, के अन्तर्गत १०,८६,५४,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,४४,९९,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत २,२८,६६,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, सवा पांच बजे कोई चीज है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे जल्दी खत्म कर दीजिये । और अगर हाउस की राय हो तो इसे कल ले लिया जाय ।

अनेक सदस्य—

कल ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है । अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२२ मार्च, १९६६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

क्रम-सं०	नाम
१	श्री सगीर अहमद खां
२	श्री अख्तर जाह अब्बासी,
३	श्री हीरा लाल उपाध्याय,
४	श्री इकबाल अहमद,
५	श्री के० एन० आनन्द,
६	श्री माता प्रसाद,
७	श्री कुशल पाल गर्ग,
८	श्री प्यारे लाल जाटव,
९	श्री एस० एम० ए० सिद्दीकी,
१०	श्री भोलानाथ सिंह राठौर,
११	श्री ध्रुव नारायण,
१२	श्री राम कृष्ण त्रिपाठी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

गाजीपुर तथा बलिया जिले के सिंचाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

जिला गाजीपुर

वर्ष	सिंचाई क्षेत्र एकड़ में
१९६४–६५	५७,७७४
१९६५–६६ (२०–२–६६ तक)	६७,६३८
जिला बलिया	
१९६४–६५	३८,६४१
१९६५–६६ (२०–२–६६ तक)	४२,३४९

गिरधारीलाल,
सिंचाई मंत्री

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४७ पर)

घाटमपुर तहसील के ग्राम

१—अकबरपुर बीरबलपुर बाजार
२—अकबरपुर भूवेयी
३—अमीर
४—असधाना
५—बरंगास
६—बरी गांव
७—बराई मोहन
८—बारी पाल
९—बरना
१०—बीहार
११—बेहता गम्भीरपुर
१२—बेहता बुजुर्ग
१३—बेन्डा
१४—भदरास
१५—भदवारा
१६—भीतर गांव
१७—बोबीपुर
१८—बिहुपुर
१९—बरहर
२०—चिरली
२१—चहेली
२२—चरोली
२३—चरहता
२४—गिरसी
२५—गोपालपुर घाटमपुर
२६—गोपालपुर नरबल
२७—हांजीपुर कादिम
२८—हरबंसपुर
२९—हाथी
३०—हेरनी
३१—इतारा
३२—जहांगिराबाद
३३—केथा
३४—कटरी
३५—किराड़
३५—कोहरा
३७—कोरियान
३८—कोरया
३९—कुनघनखेरा
४०—कुरनी
४१—कुतरा
४२—मकरन्दपुर बानबनगर
४३—पनबरी लालपुर
४४—परोरी
४५—पारस
४६—पालीखेरा
४७—पटारा
४८—पटारी
४९—राह
५०—रामपुर
५१—राम सराय
५२—रिग्राना
५३—समूही
५४—सराह
५५—सिम्रोन्ह हरी
५५—सीहरी
५७—तारगांव घाटमपुर
५८—तिलसराय ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

प्रश्न में उल्लिखित माइनरों की सूची

१—बरौली माइनर का बढ़ाव	०—४—०
२—रायपुर माइनर का बढ़ाव	०—४—०
३—कैथा माइनर का बढ़ाव	०—६—०
४—उमरी माइनर का बढ़ाव	१—०—०
५—तेजपुर माइनर का नव निर्माण	२—३—०
६—पडरी माइनर का नव निर्माण	१—२—०
७—अकबरपुर रजबहा का बढ़ाव	३—६—०
८—भवई माधू रजबहा का बढ़ाव	११—०—०
९—रेउना रजबहा आखौर बढ़ाव	१४—६—०
१०—बुधनपुर माइनर	४—१—०
११—बरीपाल माइनर	३—७—०
१२—हारामऊ माइनर	१—४—०
१३—दौलतपुर माइनर	२—२—०
१४—सचौली माइनर	१—०—०

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर)

(क) खजुहा विकास खंड—पारादान माइनर का बनाना तथा दरियापुर माइनर का बढ़ाना।

(ख) अमोसी विकास खंड—औरा-निस्फी व इटरा ग्रामों के सिंचाई के लिये बहरामपुर माइनर का बढ़ाना। शेष ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु जानकारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सर्वेक्षण करने के बाद ही हो सकेगी।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

तालिका

क्रम सं०	नाम	परमिट संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
१	२	३	४
१—श्री	डब्लू० एल० रौस	१	१
२—श्री	बी० ओ० हार्न	४	६
३—श्री	जीवन नाथ बहाल	..	८
४—श्री	जगत नाथ बहाल	१	६
५—श्री	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	१	३